# अध्याय II

## प्रस्तावना

## राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

### सामान्य

**2.1.1.1** राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में राज्य सरकारी कंपनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य सा.क्षे.उ. को जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने के लिए स्थापित किया जाता है एवं ये राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2018 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत दो[1] सांविधिक निगमों एवं 16 सरकारी कंपनियों को सम्मिलित करते हुए रा.रा.क्षे. दिल्ली में 18[2] सा.क्षे.उ. थे। इन सरकारी कंपनियों में से कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

**2.1.1.2** इस प्रतिवेदन में 30 सितंबर 2018 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर सा.क्षे.उ. का वित्तीय निष्पादन शामिल है। सा.क्षे.उ. की प्रकृति एवं लेखों की स्थिति नीचे दी गई **तालिका-2.1.1.1** में दर्शाई गई है:

**तालिका-2.1.1.1: प्रतिवेदन में शामिल सा.क्षे.उ. की प्रकृति**

| सा.क्षे.उ. की प्रकृति | कुल संख्या | सा.क्षे.उ. की संख्या, जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि[3] के दौरान प्राप्त हुए | | | | | सा.क्षे.उ. की संख्या, जिनके लेखे 30 सितंबर 2018 तक (कुल बकाया लेखे) बकाया थे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017-18 तक लेखे | 2016-17 तक लेखे | 2015-16 तक लेखे | 2015-16 से पूर्व के लेखे | कुल | |
| कार्यशील सरकारी कंपनियाँ[4] | 16 | 11 | 6 | 1 | 7 | 25 | 4 (11) |
| सांविधिक निगम | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 (1) |
| **कुल** | **18** | **12** | **7** | **1** | **7** | **27** | **5 (12)** |

स्रोत: अक्तूबर 2017 से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित

कार्यशील सा.क्षे.उ. ने 30 सितंबर 2018 तक अपने नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ₹ 8,119.06 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2017-18 (₹ 6,86,017 करोड़) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 1.18 *प्रतिशत* था। कार्यशील सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ₹ 2,909.83 करोड़ की हानि दर्ज की। मार्च 2018 तक, राज्य सा.क्षे.उ. ने 0.31 लाख कर्मचारियों को नियोजित किया था।

---

1 दिल्ली वित्तीय निगम एवं दिल्ली परिवहन निगम

2 भारत सरकार एवं एनडीएमसी द्वारा इक्विटी अंशदान के माध्यम से 2016-17 में संस्थापित एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड शामिल है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने कंपनी में कोई निवेश नहीं किया है।

3 अक्तूबर 2017 से सितंबर 2018 तक

4 सरकारी सा.क्षे.उ. में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं 139(7) में संदर्भित अन्य कंपनियाँ शामिल हैं।

## उत्तरदायित्व संरचना

**2.1.1.3** सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 के तहत निर्धारित की गई है। अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें प्रदत्त पूँजी का न्यूनतम 51 *प्रतिशत* केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से एवं एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के पास आंशिक रूप से होता है, एवं इसमें वह कंपनी भी शामिल है जो इस प्रकार की सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से एवं एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में अथवा नियंत्रित किसी अन्य कंपनी[5] को इस रिपोर्ट में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी की तरह संदर्भित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अंतर्गत किसी सरकारी कंपनी एवं सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को नि.म.ले.प. द्वारा वित्तीय वर्ष की शुरूआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, प्रथम लेखापरीक्षक को कंपनी के पंजीयन की तारीख से 60 दिनों के भीतर नि.म.ले.प द्वारा नियुक्त किया जाना है एवं यदि नि.म.ले.प. उक्त अवधि के भीतर इस प्रकार के लेखापरीक्षक को नियुक्त नहीं करता है तो कंपनी के निदेशक मंडल अथवा कंपनी के सदस्यों को इस प्रकार के लेखापरीक्षक को नियुक्त करना होगा।

आगे, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, धारा 139 की उप-धारा (5) तथा उप-धारा (7) के अंतर्गत शामिल किसी भी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक हो, एक आदेश द्वारा इस प्रकार की कंपनी के लेखों का लेखापरीक्षण किए जाने हेतु कह सकते हैं तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान इस प्रकार के नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से एवं एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक

[5] कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय - (कठिनाईयों को दूर करना) सातवाँ आदेश 2014, दिनांक 4 सितंबर 2014

रूप से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में अथवा नियंत्रित कोई भी सरकारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा के अधीन है। 31 मार्च 2014 को या इससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगी।

### सांविधिक लेखापरीक्षा

**2.1.1.4** सरकारी कंपनियों (जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत अन्य बातों को शामिल करते हुए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति नि.म.ले.प. को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर नि.म.ले.प. द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होंगे।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा, उनसे संबंधित कानूनों के अधीन है। दो सांविधिक निगमों में से, नि.म.ले.प. दिल्ली परिवहन निगम का एकल लेखापरीक्षक है। दिल्ली वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा का संचालन राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटैंट द्वारा किया जाता है एवं पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा संचालित की जाती है।

### सा.क्षे.उ. द्वारा लेखों को प्रस्तुत करना

#### 2.1.1.5 समय पर अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट, इसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है एवं शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकार की तैयारी के पश्चात राज्य विधान मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ एवं नि.म.ले.प. द्वारा इस पर की गई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक को रखा जाएगा। सांविधिक निगमों को नियंत्रित करने से संबंधित अधिनियमों में प्रायः समान प्रावधान विद्यमान होता हैं। यह तंत्र राज्य के समेकित निधि से कंपनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करना आवश्यक है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक एजीएम की तारीख से अगली तक 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उनके विचार के लिए उक्त एजीएम में रखा जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास जैसे दण्ड लगाने का प्रावधान है।

### सरकार एवं विधानमंडल की भूमिका

**2.1.1.6** सरकार अपने प्रशासनिक विभागों द्वारा इन सा.क्षे.उ. के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखती है। मुख्य कार्यपालक एवं बोर्ड के निदेशक, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के लेखों व उनके उपयोग की भी निगरानी करता है। इसके लिए, राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों एवं नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन, और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अधिनियम 2019 की धारा 394 के अंतर्गत अथवा संबंधित अधिनियमों में विनिर्धारित शर्तों के अनुसार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं। नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाती हैं।

### राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा निवेश

**2.1.1.7** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की इन सा.क्षे.उ. में उच्च वित्तीय हिस्सेदारी है। यह मुख्यतः दो प्रकार की है:

- **अंशपूँजी व ऋण**-अंशपूँजी के योगदान के अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. समय-समय पर सा.क्षे.उ. को ऋणों के रूप में भी वित्तीय सहायता देती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता**-रा.रा.क्षे.दि.स. आवश्यकतानुसार सा.क्षे.उ. को अनुदानों एवं सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता भी प्रदान करती है।

**2.1.1.8** 31 मार्च 2018 तक सा.क्षे.उ. में निवेश का क्षेत्र-वार सारांश **तालिका-2.1.1.2** में दिया गया है:

**तालिका-2.1.1.2: सा.क्षे.उ. में क्षेत्र-वार निवेश**

| क्षेत्र का नाम | सरकारी कंपनियाँ[6] | सांविधिक निगम | कुल | निवेश[7] (₹ करोड़ में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | इक्विटी | दीर्घकालिक ऋण | कुल |
| पॉवर | 4 | - | 4 | 7,106.78 | 3,511.39 | 10,618.17 |
| वित्त | 1 | 1 | 2 | 43.97 | 33.92 | 77.89 |
| सेवा | 3 | - | 3 | 24.04 | 2.14 | 26.18 |
| अवसंरचना | 2 | - | 2 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| परिवहन | 1 | 1 | 2 | 1,994.50 | 11,736.14 | 13,730.64 |
| **कुल** | **11** | **2** | **13** | **9,190.29** | **15,283.59** | **24,473.88** |

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

सा.क्षे.उ. निवेश का जोर मुख्य रूप से पिछले पाँच वर्षों के दौरान पॉवर क्षेत्र पर था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान किए गए ₹ 5,347.17 करोड़ के कुल निवेश में से पॉवर क्षेत्र को ₹ 5,329.17 करोड़ (99.66 *प्रतिशत*) का निवेश प्राप्त हुआ।

**2.1.1.9** 2013-14 से 2017-18 में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को नीचे दिए गए **चार्ट-2.1.1.1** में दर्शाया गया है:

**चार्ट-2.1.1.1: सा.क्षे.उ. में क्षेत्र-वार निवेश**

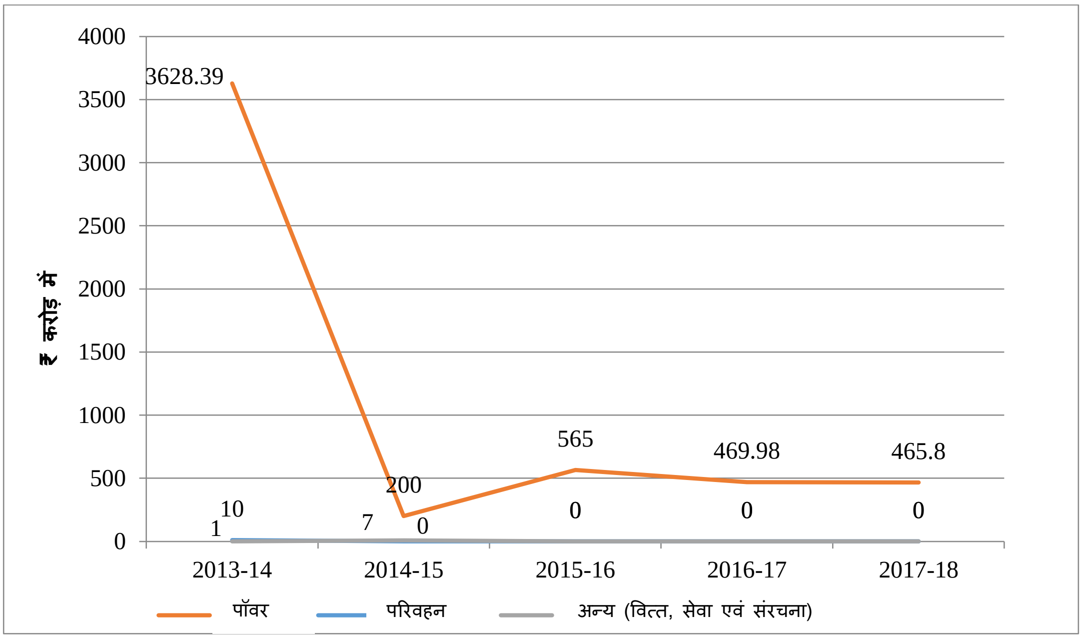


स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

पॉवर क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में निवेश (इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण) 2013-14 में ₹ 3,628.39 करोड़ से 2017-18 में ₹ 465.80 करोड़ के बीच था। जबकि वर्ष 2013-14 में परिवहन क्षेत्र में केवल ₹ 10 करोड़ का निवेश हुआ था और अन्य क्षेत्र (वित्त, सेवा एवं संरचना क्षेत्र सहित) में 2013-14 में एक करोड़ रूपये एवं 2014-15 में ₹ सात करोड़ था।

---

[6] एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स लिमिटेड, डीएसआइआइडीसी लिकर लिमिटेड एवं डीएसआइआइडीसी मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड को छोड़कर

[7] निवेश में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण शामिल है।

पॉवर सैक्टर में निवेश के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए, हम इस रिपोर्ट के भाग I[8] में पाँच पॉवर क्षेत्र सा.क्षे.उ. एवं रिपोर्ट के भाग II[9] में 13 सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा परिणामों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

8 भाग I में अध्याय-I (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली) शामिल है।

9 भाग II में अध्याय-II (पॉवर क्षेत्र के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली) शामिल है।

## भाग-I

## पॉवर क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

### प्रस्तावना

**2.1.2.1** पॉवर क्षेत्र उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में भी योगदान देता है। पॉवर क्षेत्र सा.क्षे.उ. के टर्नओवर से जीएसडीपी का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. के क्रियाकलापों की सीमा को दर्शाता है। **तालिका-2.1.2.1** मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए दिल्ली के पॉवर क्षेत्र उपक्रमों का टर्नओवर एवं जीएसडीपी का विवरण प्रदान करती है:-

**तालिका-2.1.2.1: पॉवर क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर की तुलना में दिल्ली के जीएसडीपी का विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| विवरण | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| टर्नओवर | 3,739.93 | 3,640.67 | 4,410.86 | 3,617.57 | 4,178.31 |
| दिल्ली का जीएसडीपी | 4,43,960.00 | 4,94,885.00 | 5,48,081.00 | 6,16,826.00 | 6,86,017.00 |
| दिल्ली के जीएसडीपी से टर्नओवर की प्रतिशतता | 0.84 | 0.74 | 0.80 | 0.59 | 0.61 |

स्रोतः सा.क्षे.उ. के लेखों एवं राज्य जीएसडीपी आँकड़े

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर की वृद्धि ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान (-)17.98 *प्रतिशत* से 21.16 *प्रतिशत* के बीच मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाया, जबकि दिल्ली के जीएसडीपी की वृद्धि ने 10.75 *प्रतिशत* से 12.54 *प्रतिशत* तक वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाया।

विगत पाँच वर्षों के दौरान जीएसडीपी की संयोजित वार्षिक वृद्धि 11.49 *प्रतिशत* थी। संयोजित वार्षिक वृद्धि दर कई समयावधि में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। विगत पाँच वर्षों के दौरान जीएसडीपी के 11.49 *प्रतिशत* संयोजित वार्षिक वृद्धि के प्रति, पॉवर क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर में 2.81 *प्रतिशत* की कम संयोजित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। जीएसडीपी में इन पॉवर क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2013-14 में 0.84 *प्रतिशत* से कम होकर 2017-18 में 0.61 *प्रतिशत* तक हो गई।

### पॉवर क्षेत्र उपक्रमों का गठन

**2.1.2.2** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने (नवम्बर 2000) दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (दि.वि.सु.अ. 2000) को एक विद्युत नियामक आयोग के गठन करने, विद्युत उद्योग के पुनर्गठन (विद्युत के उत्पाद, संचरण, वितरण एवं आपूर्ति के युक्तिकरण), विद्युत उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अवसर बढ़ाने एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक कुशल, वाणिज्यिक,

आर्थिक एवं प्रतिस्पर्धी तरीके से विद्युत उद्योग के विकास एवं प्रबंधन के लिए अनुकूल उपाय करने एवं उनसे संबंधित या प्रासंगिक मामलों हेतु अधिनियमित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली विद्युत सुधार (स्थानांतरण योजना) नियम, 2001 (नवंबर 2001) को अधिसूचित किया। स्थानांतरण योजना ने दिल्ली विद्युत बोर्ड (दि.वि.बो.) के कार्यों को अनबंडल करने एवं उत्तराधिकारी संस्थाओं में बोर्ड की मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों, कार्यवाही एवं कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए प्रावधान दिये। तदनुसार, छह नई कंपनियाँ अर्थात (i) होल्डिंग कंपनी (दिल्ली पॉवर कंपनी लिमिटेड-डीपीसीएल), (ii) जेनको, (इंद्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड-आईपीजीसीएल), (iii) ट्रांस्को (दिल्ली ट्रांस्कों लिमिटेड-डीटीएल), (iv) डिस्कॉम-1, (v) डिस्कॉम-2 एवं (vi) डिस्कॉम-3 को निगमित किया गया (जुलाई 2001), परन्तु 1 जुलाई 2002 से कार्य करना शुरू किया। डिस्कॉम-1, डिस्कॉम-2 एवं डिस्कॉम-3 निजी क्षेत्र को स्थानांतरित (जुलाई 2002) कर दी गई। उपर्युक्त के अतिरिक्त, दो पॉवर क्षेत्र उपक्रमों अर्थात प्रगति पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जनवरी 2001 में निगमित) एवं डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड (मई 2011 में निगमित) की लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली को लेखापरीक्षा सौंपी गई जिससे क्षेत्र के अंतर्गत पाँच पॉवर क्षेत्र उपक्रम आ गए।

### पॉवर क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

**2.1.2.3** वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पॉवर क्षेत्र उपक्रमों का कोई विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण नहीं किया गया।

### पॉवर क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

**2.1.2.4** 31 मार्च 2018 तक पॉवर क्षेत्र उपक्रमों में निवेश का गतिविधि-वार सारांश **तालिका-2.1.2.2** में दिया गया है:

**तालिका-2.1.2.2: पॉवर क्षेत्र उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश**

| गतिविधि | सरकारी उपक्रमों की संख्या | निवेश (₹ करोड़ में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | इक्विटी | | दीर्घकालिक ऋण | | कुल |
| | | सरकार | अन्य | सरकार | अन्य | |
| विद्युत का उत्पादन[10] | 2 | 2,670.73 | 140.00 | 1,008.12 | 1,094.82 | 4,913.67 |
| विद्युत का संचरण[11] | 1 | 3,691.00 | 260.00 | 823.81 | 627.46 | 5,402.27 |
| विद्युत का वितरण[12] | - | - | - | - | - | - |
| अन्य[13] | 2 | 745.05 | 0.01 | 1,679.46 | 0 | 2,424.52 |
| **योग** | 5 | 7,106.78 | 400.01 | 3,511.39 | 1,722.28 | 12,740.46 |

स्रोत: 30 सितंबर 2018 तक सा.क्षे.उ. के नवीनतम अंतिम लेखों के आधार पर संकलित।

10 आईपीजीसीएल और पीपीसीएल शामिल है।

11 डीटीएल

12 डिस्कॉम्स निजी क्षेत्र में कार्य कर रही है।

13 डीपीसीएल एवं डीएसआइआइडीसी एनर्जी लिमिटेड शामिल है।

31 मार्च 2018 तक, पाँच विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 12,740.46 करोड़ था। निवेश में 58.92 *प्रतिशत* इक्विटी के प्रति एवं 41.08 *प्रतिशत* दीर्घकालिक ऋण में शामिल थे।

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋण कुल दीर्घकालिक ऋणों का 67.09 *प्रतिशत* (₹ 3,511.39 करोड़) थे, जबकि कुल दीर्घकालिक ऋणों का 32.91 *प्रतिशत* (₹ 1,722.28 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों से लिया गया।

## पॉवर क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता

**2.1.2.5** रा.रा.क्षे.दि.स. पॉवर क्षेत्र उपक्रमों को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 में समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए पॉवर क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान जारी इक्विटी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के बारे में बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण **तालिका-2.1.2.3** में दिया गया है:

**तालिका-2.1.2.3: विगत तीन वर्षों के दौरान पॉवर क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| विवरण[14] | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सा.क्षे.उ. की संख्या | राशि | सा.क्षे.उ. की संख्या | राशि | सा.क्षे.उ. की संख्या | राशि |
| पूँजीगत इक्विटी (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिए गए ऋण (ii) | 3 | 565.00 | 3 | 469.98 | 3 | 465.80 |
| प्रदान की गई अनुदान/सहायता (iii) | 2 | 187.18 | 3 | 188.94 | 0 | 0 |
| कुल व्यय (i+ii+iii) | 4 | 752.18 | 4 | 658.92 | 3 | 465.80 |

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्रित सूचना।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के प्रति बजटीय सहायता का विवरण **चार्ट-2.1.2.1** में दिया गया है:

**चार्ट-2.1.2.1: इक्विटी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के प्रति बजटीय सहायता**

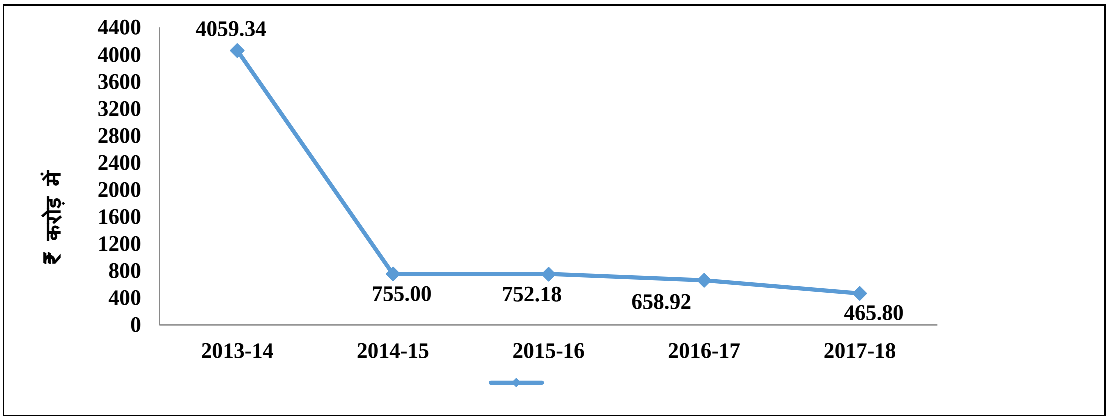


स्रोतः सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

14 राशि केवल राज्य बजट से व्यय दर्शाती है।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन सा.क्षे.उ. द्वारा प्राप्त की गई बजटीय सहायता ₹ 465.80 करोड़ से ₹ 4,059.34 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त की गई ₹ 465.80 करोड़ की बजटीय सहायता रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण थे।

## रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखों के साथ समाशोधन

**2.1.2.6** राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी एवं ऋणों के बकाया के आँकड़े रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखों में प्रदर्शित होने वाले आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित सा.क्षे.उ. एवं वित्त विभाग को इनके अंतरों का समाशोधन करना चाहिए। 31 मार्च 2018 तक ऋणों के आँकड़ों में अंतरों को **तालिका-2.1.2.4** में दिया गया है:

**तालिका-2.1.2.4: पॉवर क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखों के अनुसार बकाया ऋण**

*(₹ करोड़ में)*

| पॉवर क्षेत्र उपक्रम का नाम | बकाया ऋण | | अंतर |
|---|---|---|---|
| | वित्त लेखों के अनुसार | पॉवर क्षेत्र उपक्रम के अभिलेखों के अनुसार | |
| दिल्ली पॉवर कंपनी लिमिटेड | 3,326.39 | 1,330.56 | 1,995.83 |
| दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड | 974.37 | 974.36 | 0.01 |
| इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड | 691.90 | 241.79 | 450.11 |
| प्रगति पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड | 867.33 | 1,188.31 | -320.98 |
| **कुल अंतर** | **5,859.99** | **3,735.02** | **2,124.97** |

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं वे.एवं.ले.का. से संकलित सूचना।

पिछले कई वर्षों से आँकड़ों के बीच अंतर निरंतर बना हुआ है। यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार एवं सा.क्षे.उ. अंतरों का समयबद्ध तरीके से समाशोधन करें।

## पॉवर क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों की प्रस्तुति

### 2.1.2.7 पॉवर क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी में सामयिकता

31 मार्च 2018 तक नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच पॉवर क्षेत्र उपक्रम थे। सांविधिक आवश्यकतानुसार 30 सितंबर 2018 तक इन सभी कार्यशील सा.क्षे.उ. द्वारा वर्ष 2017-18 के लेखे प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षों हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष का 30 सितंबर तक पॉवर क्षेत्र उपक्रमों के लेखों की प्रस्तुति में बकायों के विवरण **तालिका-2.1.2.5** में दिए गए हैं।

**तालिका-2.1.2.5: पॉवर क्षेत्र उपक्रमों के लेखों की प्रस्तुति से संबंधित स्थिति**

| क्रम. सं. | विवरण | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सा.क्षे.उ. की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए लेखों की संख्या | 5 | 5 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | उन सा.क्षे.उ. की संख्या, जिनके चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिया गया | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए पिछले वर्ष के लेखों की संख्या | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 30 सितंबर को अंतिम रूप दिए जा रहे लेखे | 1 | 4 | 0 | 0 | 1* |
| 6 | इन सा.क्षे.उ. की संख्या, जिनके लेखे बकाया हैं | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 7 | बकाया लेखों की संख्या | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 8 | बकायों का विस्तार | शून्य | शून्य | एक वर्ष | एक वर्ष | शून्य |

स्रोत: अक्तूबर 2013 से सितंबर 2018 के दौरान प्राप्त किए गए सा.क्षे.उ. के लेखों के आधार पर संकलित

*दिल्ली पॉवर कंपनी लिमिटेड

## पॉवर क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

**2.1.2.8** 30 सितंबर 2018 तक पाँच पॉवर क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यशील परिणाम उनके अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार **परिशिष्ट-2.1** में वर्णित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपक्रमों में सरकार द्वारा किए गए निवेश पर उचित लाभ प्राप्त करेंगे। 31 मार्च 2018 तक पाँच पॉवर क्षेत्र सा.क्षे.उ. में निवेश की राशि ₹ 12,740.46 करोड़ थी, जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 7,506.79 करोड़ एवं दीर्घकालिक ऋण के रूप में ₹ 5,233.67 करोड़ शामिल थे। इसमें से, रा.रा.क्षे.दि.स. के पास चार पॉवर क्षेत्र उपक्रमों (डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड को छोड़कर) में ₹ 10,618.17 करोड़ का निवेश है, जिसमें ₹ 7,106.78 करोड़ की इक्विटी एवं ₹ 3,511.39 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान पॉवर क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋणों के रूप में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश की वर्ष-वार स्थिति **चार्ट-2.1.2.2** में दी गई है:

**चार्ट-2.1.2.2: पॉवर क्षेत्र उपक्रमों में रा.रा.क्षे.दि.स. का कुल निवेश**

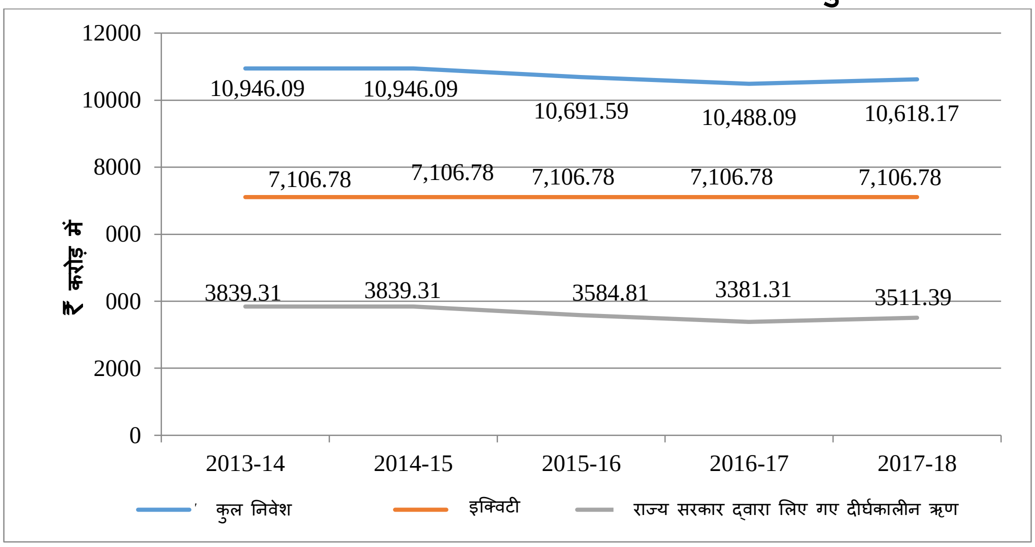


स्रोतः सा.क्षे.उ. के लेखे

किसी कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से निवेश पर वापसी, इक्विटी पर वापसी एवं नियोजित पूँजी पर वापसी के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर वापसी किसी निश्चित वर्ष में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में निवेशित धनराशि के संबंध में उठाए गए लाभ अथवा हानि को मापता है और इसे कुल निवेश से लाभ के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नियोजित पूँजी पर वापसी एक वित्तीय अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ इसकी पूँजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना नियोजित पूँजी द्वारा ब्याज एवं करों से पूर्व कंपनी की आय को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर वापसी, निष्पादन की एक माप है जो कि शेयरधारकों की निधियों द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके गणना किया जाता है।

**निवेश पर वापसी**

**2.1.2.9** निवेश पर वापसी, कुल निवेश पर लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान पाँच पॉवर क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ[15] की समग्र स्थिति को **चार्ट-2.1.2.3** में दर्शाया गया है:

**चार्ट-2.1.2.3: पॉवर क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ**

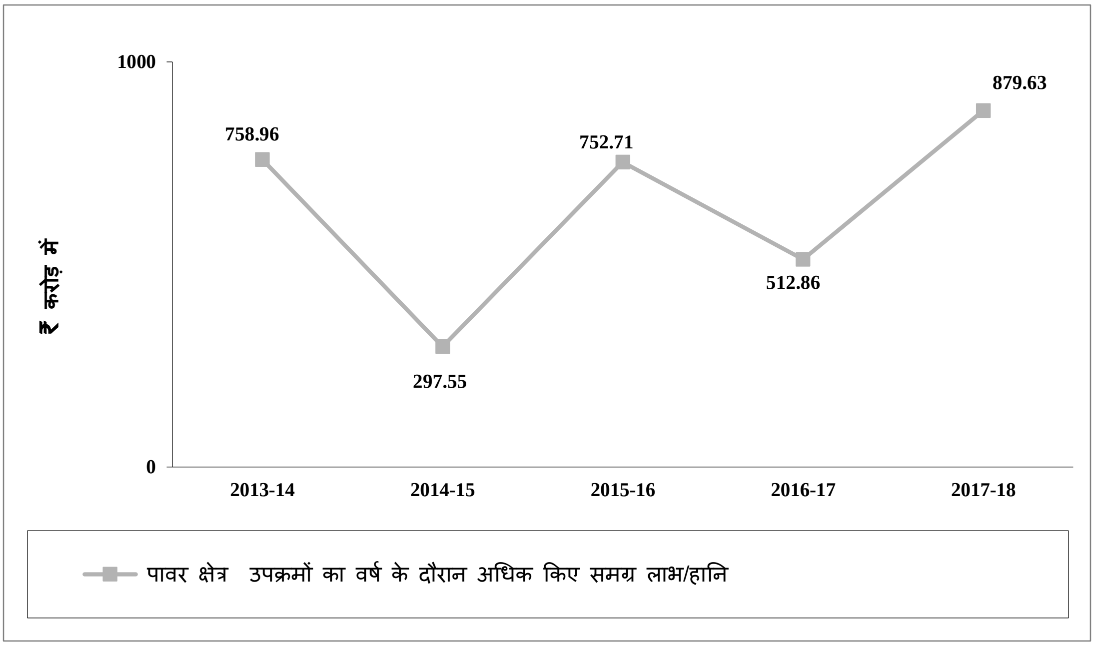


स्रोतः सा.क्षे.उ. के लेखे

इन सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ, 2013-14 में ₹ 758.96 करोड़ के प्रति 2017-18 में ₹ 879.63 करोड़ था। उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार, इन पाँच सा.क्षे.उ. में से चार सा.क्षे.उ. ने लाभ अर्जित किया एवं एक सा.क्षे.उ. को मामूली हानि हुई **(परिशिष्ट-2.1)**। शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कंपनियाँ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (₹ 627.18 करोड़) एवं प्रगति पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 211.37 करोड़) थीं।

15 आँकड़े, संबंधित वर्षों के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार हैं।

2013-14 से 2017-18 के दौरान लाभ/हानि अर्जित करने/उठाने वाले पॉवर क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति **तालिका-2.1.2.6** में दी गई है:

**तालिका-2.1.2.6: लाभ/हानि अर्जित/उठाने वाले पॉवर क्षेत्र उपक्रम**

| वित्तीय वर्ष | पॉवर क्षेत्र में कुल सा.क्षे.उ. | वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. की संख्या | वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले सा.क्षे.उ. की संख्या |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | 5 | 4 | 1 |
| 2014-15 | 5 | 3 | 2 |
| 2015-16 | 5 | 5 | 0 |
| 2016-17 | 5 | 3 | 2 |
| 2017-18 | 5 | 4 | 1 |

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखों के आधार पर संकलित

### (क) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वापसी

**2.1.2.10** राज्य के पाँच पॉवर क्षेत्र उपक्रमों में से, रा.रा.क्षे.दि.स. ने केवल चार पॉवर क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में निधियों का निवेश किया। रा.रा.क्षे.दि.स. ने एक पॉवर क्षेत्र उपक्रम अर्थात डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड, में किसी भी प्रत्यक्ष निधि का निवेश नहीं किया, जो कि एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थात दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी है, जिसने उसकी पूँजी के लिए योगदान दिया।

चार सा.क्षे.उ. से निवेश पर वापसी की गणना रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. में केवल इक्विटी के रूप में किए गए निवेश पर की गई है क्योंकि चार सा.क्षे.उ. को कोई ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध निधियों को निवेश के रूप में माना नहीं गया है क्योंकि वे निवेश के रूप में अर्हता नहीं रखते हैं।

रा.रा.क्षे.दि.स. के पास 2017-18 तक ₹ 7,106.78 करोड़ की इक्विटी भागीदारी थी।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश का रिटर्न **तालिका-2.1.2.7** में दिया गया है:

**तालिका-2.1.2.7: ऐतिहासिक लागत आधार पर रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश पर वापसी**

| वित्तीय वर्ष | ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी के रूप में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेशित निधियाँ (₹ करोड़ में) | कुल आय/हानि (₹ करोड़ में) | निवेश पर वापसी (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | 7,106.78 | 758.96 | 10.68 |
| 2014-15 | 7,106.78 | 297.55 | 4.19 |
| 2015-16 | 7,106.78 | 752.71 | 10.59 |
| 2016-17 | 7,106.78 | 512.86 | 7.22 |
| 2017-18 | 7,106.78 | 879.63 | 12.38 |

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं उनके लेखों से प्राप्त सूचना

2013-14 से 2016-17 के दौरान चार पॉवर क्षेत्र सा.क्षे.उ. के निवेश पर वापसी की मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाई गई है। इसमें 2017-18 के दौरान 12.38 *प्रतिशत* तक का सुधार हुआ।

**(ख) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर**

**2.1.2.11** चार पॉवर क्षेत्र उपक्रमों में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा महत्वपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार के निवेश पर वापसी, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से आवश्यक है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वापसी की पारंपरिक गणना निवेश पर वापसी की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसी गणना धन के वर्तमान मूल्य (व.मू.) की अनदेखी करती है। सरकारी निवेशों के व.मू. की गणना निवेशों के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में राज्य सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेशों के व.मू. पर वापसी की दर का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। 31 मार्च 2018 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में अपने व.मू. पर निवेशों की ऐतिहासिक लागत, लाने हेतु, राज्य सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेशित पिछले निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारी पर वर्ष-वार ब्याज की औसत दर जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार को निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में माना जाता है को चक्रवृद्धि दर पर किया गया। इसलिए, रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के व.मू. की गणना की गई, जहाँ रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 2002-03[16] से 31 मार्च 2018 तक इक्विटी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निधियों का निवेश किया गया है। सभी सा.क्षे.उ. में वर्ष 2017-18 के दौरान निवेश पर सकारात्मक वापसी प्राप्त हुआ।

पॉवर क्षेत्र उपक्रमों में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के व.मू. की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों को निवेश के रूप में माना नहीं गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[17] के लिए सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर को व.मू. पर प्राप्त करने हेतु चक्रवृद्धि दर के अनुसार अपनाया गया था चूंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा उठाई गई लागत को प्रस्तुत करती है एवं इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर वापसी की न्यूनतम अनुमानित दर के रूप में मानी जाती है।

**2.1.2.12** 2001-2002 से 31 मार्च 2018 तक पाँच पॉवर क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी एवं ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश की कंपनीवार स्थिति **परिशिष्ट-2.2** में दर्शाई गई है। 2002-03 से 31 मार्च 2018 तक चार पॉवर क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित रा.रा.क्षे.दि.स. निवेश के व.मू. की समेकित स्थिति **तालिका-2.1.2.8** में दर्शायी गई है:

---

16 कंपनियों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार

17 सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर, संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) पर भारत के नि.म.ले.प. की रिपोर्ट से अपनाई गई थी। 2001-02 के लिए औसत उधारी दर उपलब्ध नहीं थी।

**तालिका-2.1.2.8: 2002-03 से 2017-18 तक रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेश का वर्ष-वार विवरण एवं सरकारी निधियों का वर्तमान मूल्य (व.मू.)**

*(₹ करोड़ में)*

| वित्तीय वर्ष | वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी | वर्ष के दौरान कुल निवेश[18] | वर्ष के अंत में कुल निवेश | सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (% में) | वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के लिए निधियों की लागत वसूल करने हेतु न्यूनतम अनुमानित रिटर्न | वर्ष के लिए कुल आय[19] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v = ii+iii | vi | vii ={v*(1+ vi/100)} | viii=(vi*v)/100 | ix |
| 2002-03 | - | 323.14 | 323.24[20] | 323.24 | 11.17 | 359.35 | 36.11 | -1104.4 |
| 2003-04 | 359.35 | 0.00 | 0.00 | 359.35 | 10.65 | 397.62 | 38.27 | 0.00 |
| 2004-05 | 397.62 | 0.00 | 0.00 | 397.62 | 10.34 | 438.73 | 41.11 | -683.40 |
| 2005-06 | 438.73 | 0.00 | 0.00 | 438.73 | 8.87 | 477.65 | 38.92 | -1002 |
| 2006-07 | 477.65 | 1.00 | 1.00 | 478.65 | 9.35 | 523.40 | 44.75 | -13.15 |
| 2007-08 | 523.40 | 4,087.50 | 4,087.50 | 4,610.90 | 9.84 | 5,064.61 | 453.71 | -575.26 |
| 2008-09 | 5,064.61 | 464.50 | 464.50 | 5,529.11 | 9.90 | 6,076.49 | 547.38 | 27.27 |
| 2009-10 | 6,076.49 | 497.54 | 497.54 | 6,574.03 | 9.52 | 7,199.88 | 625.85 | 222.95 |
| 2010-11 | 7,199.88 | 239.00 | 239.00 | 7,438.88 | 9.10 | 8,115.82 | 676.94 | 420.5 |
| 2011-12 | 8,115.82 | 450.00 | 450.00 | 8,565.82 | 9.77 | 9,402.70 | 836.88 | 216.41 |
| 2012-13 | 9,402.70 | 299.00 | 299.00 | 9,701.70 | 9.73 | 10,645.67 | 943.98 | 470.50 |
| 2013-14 | 10,645.67 | 745.00 | 745.00 | 11,390.67 | 9.21 | 12,439.76 | 1,049.08 | 758.96 |
| 2014-15 | 12,439.76 | 0.00 | 0.00 | 12,439.76 | 8.59 | 13,508.33 | 1,068.58 | 297.55 |
| 2015-16 | 13,508.33 | 0.00 | 0.00 | 13,508.33 | 8.54 | 14,661.94 | 1,153.61 | 752.71 |
| 2016-17 | 14,661.94 | 0.00 | 0.00 | 14,661.94 | 8.65 | 15,930.20 | 1,268.26 | 512.86 |
| 2017-18 | 15,930.20 | 0.00 | 0.00 | 15,930.20 | 8.58 | 17,297.01 | 1,366.81 | 879.63 |
| **कुल** | | **7,106.68** | **7,106.78** | | | | | |

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं राज्य वित्त पर भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन से प्राप्त सूचना

वर्ष के अंत में इन चार कंपनियों में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश का बकाया 2002-03 में ₹ 323.24 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 7,106.78 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2018 तक रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 17,297.01 करोड़ था।

यह तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2002-03 से 2017-18 की अवधि के दौरान कंपनियों की कुल आय न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से कम थी।

2013-14 से 2017-18 के दौरान निवेश पर वापसी ऐतिहासिक लागत के अनुसार एवं इस प्रकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की तुलना **तालिका-2.1.2.9** दी गई है:

**तालिका-2.1.2.9: रा.रा.क्षे.दि.स. की निधियों पर वापसी**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | कुल आय/ हानि (-) | रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी एवं ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में निवेश | ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश पर वापसी (%) | वर्ष के अंत में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश का वर्तमान मूल्य | निवेशों के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश पर वापसी (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 758.96 | 7,106.78 | 10.68 | 12,439.76 | 6.10 |
| 2014-15 | 297.55 | 7,106.78 | 4.19 | 13,508.33 | 2.20 |
| 2015-16 | 752.71 | 7,106.78 | 10.59 | 14,661.94 | 5.13 |
| 2016-17 | 512.86 | 7,106.78 | 7.22 | 15,930.20 | 3.22 |
| 2017-18 | 879.63 | 7,106.78 | 12.38 | 17,297.01 | 5.09 |

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं उनके लेखों से प्राप्त सूचना

18 राज्य सरकार द्वारा पावर क्षेत्र उपक्रमों को कोई ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया गया था।

19 2002-03 से 2011-12 के लिए, कर से पूर्व लाभ के लिए आँकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। चूंकि कर पश्चात लाभ उपलब्ध नहीं था। 2012-13 के बाद कर पश्चात लाभ के आँकड़े दर्शाए गए हैं।

20 2001-2002 में पीपीसीएल एवं डीपीसीएल में प्रत्येक के लिए ₹0.05 करोड़ का प्रारंभिक निवेश शामिल है।

2017-18 के दौरान ऐतिहासिक लागत पर आधारित रिटर्न 12.38 *प्रतिशत* थी, जबकि वर्तमान मूल्य पर आधारित रिटर्न केवल 5.09 *प्रतिशत* थी।

**निवल मूल्य**

**2.1.2.13** निवल मूल्य का अर्थ है कि प्रदत्त पूँजी एवं निर्बाध आरक्षितियों व अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त की गई राशि। अनिवार्य रूप से यह एक माप है कि एक इकाई का मालिकों के लिए क्या मूल्य है। एक नकारात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों की संपूर्ण निवेश को संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय से हटा दिया गया है। पाँच पॉवर क्षेत्र उपक्रमों की कुल संचित हानि[21] ₹ 7,506.79 करोड़ के पूँजीगत निवेश के सापेक्ष ₹ 157.28 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.32 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने के बाद ₹ 7,349.19 करोड़ का निवल मूल्य था **(परिशिष्ट-2.1)**। पाँच पॉवर क्षेत्र उपक्रमों में से, दिल्ली पॉवर कंपनी लिमिटेड (₹ -779.11 करोड़) में निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था।

**तालिका-2.1.2.10** चार पॉवर क्षेत्र उपक्रमों की कुल प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को इंगित करती है, जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इक्विटी का निवेश किया है:

**तालिका-2.1.2.10: 2013-14 से 2017-18 के दौरान चार पॉवर क्षेत्र उपक्रमों का निवल मूल्य**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी | वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-) | आस्थगित राजस्व व्यय | निवल मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 7,506.78 | -2,087.31 | 1.70 | 5,417.77 |
| 2014-15 | 7,506.78 | -2,087.31 | 1.70 | 5,417.77 |
| 2015-16 | 7,506.78 | -1,658.02 | 1.59 | 5,847.17 |
| 2016-17 | 7,506.78 | -905.50 | 1.61 | 6,599.67 |
| 2017-18 | 7,506.78 | -157.50 | 0.32 | 7,348.96 |

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

चार पॉवर कंपनियों की संचित हानि 2013-14 के ₹ 2,087.31 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹ 157.50 करोड़ हो गई एवं निवल मूल्य ₹ 5,417.77 करोड़ से बढ़कर ₹ 7,348.96 करोड़ हो गया है।

चार[22] सा.क्षे.उ. में से एक सा.क्षे.उ. अर्थात डीपीसीएल का निवल मूल्य विगत पाँच वर्षों में अर्थात 2013-14 से 2017-18 तक पूर्णतया नकारात्मक रहा।

21 संचित हानि-निर्बाध आरक्षितियाँ

22 आईपीजीसीएल, पीपीसीएल, डीटीएल एवं डीपीसीएल

### लाभांश भुगतान

**2.1.2.14** चार पॉवर क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित लाभांश भुगतान जहाँ रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उस अवधि के दौरान इक्विटी निवेश की गई थी, को **तालिका-2.1.2.11** में दर्शाया गया है:

**तालिका-2.1.2.11: 2013-14 से 2017-18 के दौरान चार पॉवर क्षेत्र उपक्रमों का लाभांश भुगतान**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | कुल सा.क्षे.उ., जहाँ पर रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी निवेश की गई थी | | वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. | | सा.क्षे.उ. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया | | लाभांश भुगतान अनुपात (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सा.क्षे.उ. की संख्या | रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेशित इक्विटी | सा.क्षे.उ. की संख्या | रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेशित इक्विटी | सा.क्षे.उ. की संख्या | सा.क्षे.उ. द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/5*100 |
| 2013-14 | 4 | 7,106.78 | 3 | 6,361.73 | 0 | 0 | - |
| 2014-15 | 4 | 7,106.78 | 2 | 2,670.73 | 0 | 0 | - |
| 2015-16 | 4 | 7,106.78 | 4 | 7,106.78 | 0 | 0 | - |
| 2016-17 | 4 | 7,106.78 | 3 | 6,510.24 | 0 | 0 | - |
| 2017-18 | 4 | 7,106.78 | 4 | 7,106.78 | 0 | 0 | - |

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, जिन सा.क्षे.उ. ने लाभ अर्जित किया, की संख्या दो से चार के बीच थी, परन्तु किसी भी उपक्रम ने किसी भी वर्ष के दौरान लाभांश घोषित नहीं किया।

### इक्विटी पर वापसी

**2.1.2.15** इक्विटी पर वापसी (आरओई) वित्तीय निष्पादन का एक मापक है जो यह मूल्यांकन करता है कि प्रबंधन, कंपनी की परिसंपत्तियों को लाभप्रद बनाने के लिए कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना शेयरधारकों की निधि से शुद्ध आय को विभाजित करके की जाती है। इसे एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और यदि शुद्ध आय एवं शेयर-धारकों की निधि दोनों सकारात्मक संख्या हैं तो किसी भी कंपनी के लिए इसकी गणना की जा सकती है।

एक कंपनी के शेयरधारकों की निधि प्रदत्त पूँजी तथा निशुल्क आरक्षितियों को जोड़ कर उसमें से संचित हानियों तथा आस्थगित राजस्व व्यय को घटा कर परिकलित किया जाता है एवं इससे यह पता चलता है कि यदि समस्त परिसंपतियों को बेच दिया जाए तथा सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तो कंपनी के हितधारकों के लिए क्या बचेगा। सकारात्मक शेयरधारी निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को कवर करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियाँ हैं जबकि नकारात्मक शेयरधारी इक्विटी का आशय है कि देयताएँ परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

इक्विटी पर वापसी की गणना चार पॉवर क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में की गई है, जहाँ रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निधियों को निवेशित किया गया था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन चार पॉवर क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित शेयरधारकों की निधियों एवं इक्विटी पर वापसियों का विवरण **तालिका-2.1.2.12** में दर्शाया गया है:

**तालिका-2.1.2.12: चार पॉवर क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित इक्विटी पर वापसी, जहाँ रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निधियों को निवेशित किया गया था**

| वर्ष | वर्ष[23] के लिए निवल आय/कुल कमाई (₹ करोड़ में) | शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में) | इक्विटी पर वापसी (%) |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | 758.96 | 5,417.77 | 14.01 |
| 2014-15 | 297.55 | 5,417.77 | 5.49 |
| 2015-16 | 752.71 | 5,847.17 | 12.87 |
| 2016-17 | 512.86 | 6,599.67 | 7.77 |
| 2017-18 | 879.63 | 7,348.96 | 11.97 |

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षों के दौरान, निवल आय और शेयरधारकों की निधि सकारात्मक थी और इक्विटी पर वापसी ने 5.49 *प्रतिशत* से 14.01 *प्रतिशत* के बीच मिश्रित प्रवृत्ति दर्शायी है।

**नियोजित पूँजी पर वापसी**

**2.1.2.16** नियोजित पूँजी पर वापसी (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी नियोजित है। नियोजित पूँजी पर वापसी की गणना ब्याज एवं करों से पूर्व कंपनी की आय (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूँजी[24] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सभी पाँच पॉवर क्षेत्र उपक्रमों के आरओसीई का विवरण **तालिका-2.1.2.13** में दर्शाया गया है:

**तालिका-2.1.2.13: नियोजित पूँजी पर वापसी**

| वर्ष | ब्याज एवं करों से पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में) | नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में) | आरओसीई (%) |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | 1,815.72 | 12,406.50 | 14.64 |
| 2014-15 | 1,276.91 | 12,459.62 | 10.25 |
| 2015-16 | 1,702.10 | 12,044.65 | 14.13 |
| 2016-17 | 1,485.48 | 12,420.91 | 11.96 |
| 2017-18 | 1,789.37 | 12,582.85 | 14.22 |

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

2013-14 से 2017-18 के दौरान पॉवर क्षेत्र उपक्रमों की आरओसीई, जो 10.25 *प्रतिशत* से 14.64 *प्रतिशत* के बीच था ने मिश्रित प्रवृत्ति दर्शायी है।

---

[23] संबंधित वर्षों के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार आँकड़े

[24] नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + निर्बाध आरक्षितियाँ एवं अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - आस्थगित राजस्व व्यय। आँकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं, जिनके लिए सा.क्षे.उ. के लेखों को अंतिम रूप दिया गया।

**कंपनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण**

**2.1.2.17** 2013-14 से 2017-18 के दौरान उन कंपनियों जिनके पास लिवरेज था, के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण, कंपनियों की सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों को चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। इसका मूल्यांकन ब्याज कवरेज अनुपात एवं ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

**ब्याज कवरेज अनुपात**

**2.1.2.18** ब्याज कवरेज अनुपात एक कंपनी को बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है तथा उसी अवधि के ब्याज व्यय से कंपनी के ई.बी.आई.टी. को भाग करके परिकलित किया जाता है। यह अनुपात जितना कम होता है कंपनी की ऋणों पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता भी उतनी कम होती है। एक से कम ब्याज कवरेज़ अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ब्याज भार वाले पॉवर क्षेत्र उपक्रमों में ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण **तालिका 2.1.2.14** में दिए गए हैं:

**तालिका 2.1.2.14: ब्याज कवरेज अनुपात**

| वर्ष | ब्याज (₹ करोड़ में) | ब्याज एवं कर से पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.) ₹ करोड़ में | सरकार तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋणों की देयता वाले सा.क्षे.उ. की संख्या | एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या | एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 736.71 | 1,815.72 | 4 | 3 | 1[25] |
| 2014-15 | 725.21 | 1,276.91 | 4 | 2 | 2[26] |
| 2015-16 | 675.00 | 1,702.10 | 4 | 4 | 0 |
| 2016-17 | 684.96 | 1,485.48 | 4 | 4 | 0 |
| 2017-18 | 577.92 | 1,789.37 | 4 | 4 | 0 |

स्रोतः सा.क्षे.उ. के लेखे

एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाले पॉवर क्षेत्र उपक्रमों की संख्या 2013-14 में तीन कंपनियों से बढ़कर 2017-18 में चार कंपनियाँ हो गई।

**ऋण-टर्नओवर अनुपात**

**2.1.2.19** पिछले पाँच वर्षों के दौरान, पाँच पॉवर क्षेत्र उपक्रमों की टर्नओवर ने 2.81 *प्रतिशत* की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की तथा ऋण में चक्रवृद्धि वार्षिक कमी 6.97 *प्रतिशत* थी जिसके कारण ऋण-टर्नओवर अनुपात में 2013-14 में 1.87 से उन्नत होकर 2017-18 में 1.25 हो गया, जैसा कि **तालिका 2.1.2.15** में दिया गया है:

[25] डीपीसीएल

[26] डीपीसीएल एवं डीटीएल

**तालिका 2.1.2.15: पॉवर क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित ऋण-टर्नओवर अनुपात**

*(₹ करोड़ में)*

| विवरण | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| सरकार/बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण | 6,988.59 | 7,041.63 | 6,197.26 | 5,821.01 | 5,233.66 |
| टर्नओवर | 3,739.93 | 3,640.67 | 4,410.86 | 3,617.57 | 4,178.31 |
| ऋण-टर्नओवर अनुपात | 1.87 | 1.93 | 1.41 | 1.61 | 1.25 |

स्रोत: संबंधित वर्षों के 30 सितंबर तक सा.क्षे.उ. के नवीनतम अंतिम लेखों के आधार पर संकलित

## पॉवर क्षेत्र उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणी

**2.1.2.20** पाँच पॉवर क्षेत्र उपक्रमों ने 1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान अपने नौ लेखापरीक्षित लेखों को प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से आठ लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा नि.म.ले.प. द्वारा की गई पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखों की गुणवत्ता में मूलतः सुधार की आवश्यकता है। 2015-18 के लेखों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की टिप्पणियों की कुल धनराशि का विवरण **तालिका-2.1.2.16** में दिया गया है।

**तालिका-2.1.2.16: पॉवर क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

*(₹ करोड़ में)*

| क्र.सं. | विवरण | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि |
| 1 | लाभ में कमी | 3 | 324.31 | 3 | 694.8 | 2 | 1,027.19 |
| 2 | लाभ में वृद्धि | 2 | 331.45 | 1 | 433.27 | 6 | 2,325.39 |
| 3 | हानि में वृद्धि | 0 | 0 | 1 | 91.04 | 1 | 93.30 |
| 4 | हानि में कमी | 0 | 0 | 1 | 229.94 | 1 | 171.71 |
| 5 | महत्वपूर्ण तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण | 1 | 57.43 | 3 | 145.58 | 0 | 0 |
| 6 | वर्गीकरण की त्रुटियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/नि.म.ले.प. की टिप्पणियों से संकलित

2017-18 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सभी नौ लेखों पर अर्हता प्रमाणपत्र जारी किए थे। सा.क्षे.उ. द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन शिथिल रहा जैसा कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों में लेखांकन मानकों के गैर-अनुपालन के छः मामलों को इंगित किया।

## लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

**2.1.2.21** लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) में निर्धारित है कि भारत के नि.म.ले.प. प्रतिवेदन की विधान सभा में प्रस्तुति के पश्चात विभाग लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर कार्रवाई आरंभ करेगा तथा समिति के विचारार्थ प्रतिवेदन के पटल पर रखने के चार महीनों के भीतर सरकार द्वारा उस पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) प्रस्तुत किए जाने चाहिए। पाँच पॉवर क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर ए.टी.एन. की स्थिति **तालिका-2.1.2.17** में दी गई है:

**तालिका-2.1.2.17: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर ए.टी.एन. की स्थिति (30 सितंबर 2018 को)**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (सा.क्षे.उ.) | लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की राज्य विधान सभा में प्रस्तुति की तिथि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पी.ए.) तथा पैराग्राफ | | पी.ए./पैराग्राफों की संख्या जिनके लिए ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए थे | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पी.ए. | पैराग्राफ | पी.ए. | पैराग्राफ |
| 2013 | 01.08.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 30.06.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 13.06.2016 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2016 | 10.03.2017 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 03.04.2018 | 0 | 3 | 0 | 1 |

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त ए.टी.एन. पर आधारित संकलन

### सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

**2.1.2.22** 30 सितंबर 2018 को कोगू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा पैराग्राफों की चर्चा की स्थिति **तालिका-2.1.2.18** में दी गई है:

**तालिका-2.1.2.18: 30 सितंबर 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए जाने के साथ चर्चा किए गए निष्पादन लेखापरीक्षाएं/पैराग्राफ**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | निष्पादन लेखापरीक्षाएं/पैराग्राफ की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट | | चर्चा किए गए पैराग्राफ | |
| | निष्पादन लेखापरीक्षा | पैराग्राफ | निष्पादन लेखापरीक्षा | पैराग्राफ |
| 2013 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 3 | 0 | 2 |

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोगू की चर्चा पर आधारित संकलन

### कोगू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

**2.1.2.23** 2013 से 2017 की अवधि के लिए कोगू से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

# भाग II

## राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) की कार्यप्रणाली

### प्रस्तावना

**2.1.3.1** 31 मार्च 2018 को 13 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) थे जो पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। ये राज्य सा.क्षे.उ. 1967 से 2016 के बीच निगमित किए गए थे तथा इसमें 11 सरकारी कंपनियाँ तथा दो सांविधिक निगम अर्थात, दिल्ली वित्तीय निगम तथा दिल्ली परिवहन निगम शामिल थे। उनमें एक कंपनी अर्थात, एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी लिमिटेड भी शामिल थी जिसे 2016-17 में भा.स. तथा एन.डी.एम.सी. द्वारा इक्विटी अंशदान के माध्यम से निगमित किया गया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने इस कंपनी में कोई निवेश नही किया है।

राज्य सरकार राज्य सा.क्षे.उ. को समय-समय पर इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 13 सा.क्षे.उ. में से राज्य सरकार ने केवल नौ राज्य सा.क्षे.उ. में निधियों का निवेश किया जबकि राज्य सरकार ने उन तीन सरकारी कंपनियों में कोई निधियाँ नहीं लगाई जिन्हें अन्य सरकारी कंपनियों के सहायक के रूप में सम्मलित किया गया था। इन तीन सहायक कंपनियों[27] की इक्विटी में संबंधित नियंत्रक कंपनी द्वारा अंशदान किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार का एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड जिसे एन.डी.एम.सी. तथा भारत सरकार द्वारा इक्विटी अंशदान के माध्यम से निगमित किया गया था, में कोई निवेश नहीं था।

### राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

**2.1.3.2** सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से सा.क्षे.उ. की टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। **तालिका 2.1.3.1** मार्च 2018 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) की टर्नओवर तथा दिल्ली के जीएसडीपी का विवरण प्रदान करती है:

**तालिका 2.1.3.1 : दिल्ली के जीएसडीपी की तुलना में सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) की टर्नओवर का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| टर्नओवर | 4,675.16 | 4,569.35 | 4,186.91 | 4,100.76 | 3,940.75 |
| दिल्ली का जीएसडीपी | 4,43,960.00 | 4,94,885.00 | 5,48,081.00 | 6,16,826.00 | 6,86,017.00 |
| दिल्ली के जीएसडीपी में टर्नओवर की प्रतिशतता | 1.05 | 0.92 | 0.76 | 0.66 | 0.57 |

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे तथा राज्य जीएसडीपी आंकड़े

[27] दि.रा.औ.अ.वि.नि. लिकर लिमिटेड, दि.रा.औ.अ.वि.नि. मेंटनेंस सर्विसेज लिमिटेड एवं दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स विकास लिमिटेड

इन सा.क्षे.उ. की टर्नओवर ने 2013-14 से 2017-18 की विगत पाँच वर्ष की अवधि में घटती प्रवृत्ति को दर्शाया। उपरोक्त अवधि के दौरान टर्नओवर में कमी की दर 8.37 *प्रतिशत* से 2.06 *प्रतिशत* के बीच थी। उसी अवधि के दौरान राज्य के जीएसडीपी में वृद्धि 10.75 *प्रतिशत* से 12.54 *प्रतिशत* के बीच में थी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान जीएसडीपी की संयोजित वार्षिक वृद्धि की दर 11.49 *प्रतिशत* थी। संयोजित वार्षिक वृद्धि बहुत सी समय अवधियों में वृद्धि दर को मापने का एक उपयोगी तरीका है। जीएसडीपी की 11.49 *प्रतिशत* की संयोजित वार्षिक वृद्धि के विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) की टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 4.18 *प्रतिशत* की नकारात्मक संयोजित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप राज्य जीएसडीपी में इन सा.क्षे.उ. के टर्नओवर के हिस्से में 2013-14 में 1.05 *प्रतिशत* से 2017-18 में 0.57 *प्रतिशत* की कमी आई।

## राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश

**2.1.3.3** कुछ सा.क्षे.उ. ऐसे है जो कुछ सेवाएँ प्रदान करने में, जिन्हें निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों की वजह से प्रदान करने का इच्छुक नही हो सकता है, राज्य सरकार के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने कुछ ऐसे व्यापार खण्डों में भी सा.क्षे.उ. के माध्यम से निवेश किया है जो निजी क्षेत्र उपक्रमों के साथ प्रतियोगात्मक पर्यावरण में कार्य करते हैं। इसलिए इन सा.क्षे.उ. की स्थिति को दो मुख्य वर्गों के अंतर्गत विश्लेषित किया गया है अर्थात, जैसे जो सामाजिक क्षेत्र में हैं तथा जो प्रतियोगात्मक पर्यावरण में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त इन राज्य सा.क्षे.उ. में से तीन[28] सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार के लिए कुछ विशेष गतिविधियों को पूरा करने के लिए सम्मिलित किया गया, जिन्हे 'अन्य' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2018 तक इन 13 सा.क्षे.उ. में इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋणों के रूप में किए गए निवेश के विवरणों को **परिशिष्ट-2.3** में वर्णित किया गया है।

**2.1.3.4** 31 मार्च 2018 को इन राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश के क्षेत्र-वार सार को **तालिका-2.1.3.2** में दिया गया है:

[28] जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड, शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम लिमिटेड, एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी लिमिटेड

**तालिका-2.1.3.2: राज्य सा.क्षे.उ. में क्षेत्र-वार निवेश**

| क्षेत्र | सा.क्षे.उ. की संख्या | निवेश (₹ करोड़ में) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी अंशदान | अन्य द्वारा इक्विटी अंशदान | कुल इक्विटी | रा.रा.क्षे.दि.स. से दीर्घकालिक ऋण | अन्य से दीर्घकालिक ऋण | कुल दीर्घकालिक ऋण | कुल |
| सामाजिक क्षेत्र | 2[29] | 32.92 | 0 | 32.92 | 3.06 | 19.33 | 22.39 | 55.31 |
| प्रतियोगात्मक पर्यावरण में सा.क्षे.उ. | 8[30] | 2,039.83 | 8.46 | 2,048.29 | 11,769.14 | 9.71 | 11,778.85 | 13,827.14 |
| अन्य | 3 | 10.76 | 250 | 260.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 260.76 |
| **कुल** | **13** | **2,083.51** | **258.46** | **2,341.97** | **11,772.20** | **29.04** | **11,801.24** | **14,143.21** |

स्रोत*:* 30 सितंबर 2018 को सा.क्षे.उ. के नवीनतम अंतिम लेखों के आधार पर संकलित

31 मार्च 2018 को, इन 13 सा.क्षे.उ. में कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 14,143.21 करोड़ था। इक्विटी में निवेश 16.56 *प्रतिशत* था तथा दीर्घावधि ऋणों में 83.44 *प्रतिशत* था। राज्य सरकार द्वारा इक्विटी योगदान कुल इक्विटी का 88.96 *प्रतिशत* (₹ 2,083.51 करोड़) था, जबकि इक्विटी का 11.04 *प्रतिशत* (₹ 258.46 करोड़) योगदान भा.स./अन्य ने किया था। राज्य सरकार द्वारा दिये गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 99.75 *प्रतिशत* (₹ 11,772.20 करोड़) थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 0.25 *प्रतिशत* (₹ 29.04 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था।

निवेश 2013-14 में ₹ 13879.88 करोड़ से 1.90 *प्रतिशत* बढ़कर 2017-18 में ₹ 14,143.21 करोड़ हो गया। 2013-14 से 2017-18 के दौरान निवेश में वृद्धि मुख्यतः इक्विटी में ₹ 250 करोड़ बढ़ जाने के कारण थी, जो भारत सरकार तथा एन.डी.एम.सी. द्वारा एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी लिमिटेड में निवेश था।

## राज्य सा.क्षे.उ. का विनिवेश, नवीनीकरण तथा निजीकरण

**2.1.3.5** 2017-18 के दौरान, राज्य सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार द्वारा कोई विनिवेश, नवीनीकरण अथवा निजीकरण नहीं किया गया था।

## राज्य सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता

**2.1.3.6** रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) राज्य सा.क्षे.उ. को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) के संबंध में वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण, अनुदान/आर्थिक सहायता के बजटीय व्यय के विवरणों का सार **तालिका-2.1.3.3** में दिया गया है।

[29] दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक, विक्लांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड

[30] दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (दि.रा.औ.अ.वि.नि.) लिमिटेड और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स लिमिटेड, दि.रा.औ.अ.वि.नि. लिकर लिमिटेड, दि.रा.औ.अ.वि.नि. मेंटेनेन्स सर्विसेज लिमिटेड, दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) लिमिटेड, दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी) तथा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)

**तालिका-2.1.3.3: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के वर्षों के दौरान राज्य सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| विवरण[31] | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सा.क्षे.उ. की संख्या | राशि | सा.क्षे.उ. की संख्या | राशि | सा.क्षे.उ. की संख्या | राशि |
| इक्विटी पूँजी व्यय (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिए गए ऋण (ii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रदत्त अनुदान/आर्थिक सहायता (iii) | 2 | 1,152.23 | 3 | 1,640.70 | 4 | 2,085.22 |
| **कुल व्यय (i+ii+iii)** | 2 | **1,152.23** | **3** | **1,640.70** | **4** | **2,085.22** |

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्रित सूचना

मार्च 2018 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/आर्थिक सहायता के बजटीय व्यय से संबंधित विवरण **चार्ट-2.1.3.1** में दिए गए है:

**चार्ट-2.1.3.1: इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/आर्थिक सहायता के प्रति बजटीय व्यय**

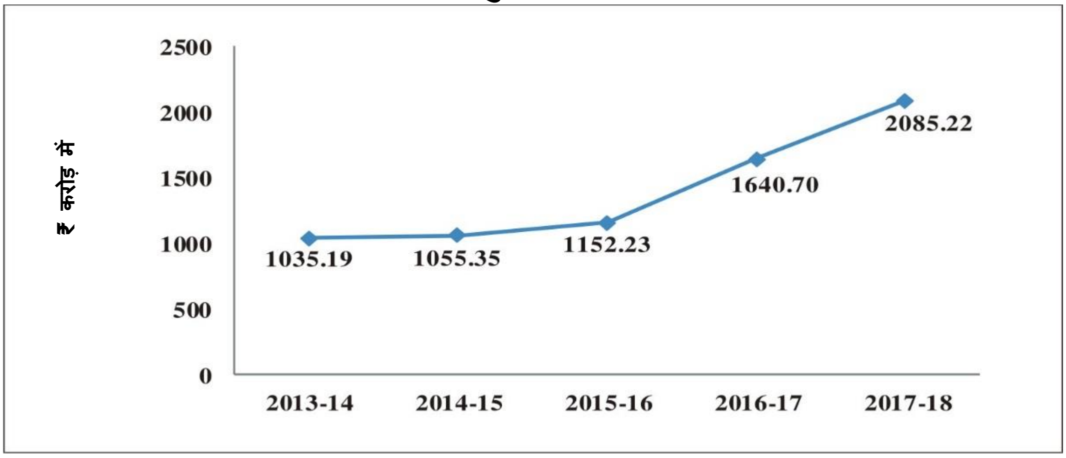


स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन सा.क्षे.उ. को वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 1,035.19 करोड़ से ₹ 2,085.22 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2017-18 के दौरान दी गई ₹ 2085.22 करोड़ की बजटीय सहायता अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में थी। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार ने इन सा.क्षे.उ. को इक्विटी अथवा ऋणों के रूप में कोई सहायता प्रदान नहीं की। 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ₹ 2,085.22 करोड़ के अनुदान/आर्थिक सहायता में से ₹ 2,021.77 करोड़ बस डिपो/टर्मिनलों के विकास करने हेतु दिल्ली परिवहन निगम को दिए गए थे।

## दिल्ली सरकार के वित्त लेखों के साथ समाशोधन

**2.1.3.7** राज्य सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी तथा ऋणों से संबंधित आंकडों का रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखों में दिखाए गए आंकडों के साथ मेल होना चाहिए। यदि आंकडे मेल नहीं खाते है तो संबंधित सा.क्षे.उ. तथा

[31] राशि केवल राज्य बजट से व्यय को दर्शाता है।

वित्त विभाग को अंतरों का समाशोधन करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2018 तक की स्थिति **तालिका-2.1.3.4** में दी गई है।

**तालिका-2.1.3.4: राज्य सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों की तुलना में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण, गारंटियाँ**

*(₹ करोड़ में)*

| के संबंध में बकाया | वित्त लेखों के अनुसार राशि | राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि | अंतर |
|---|---|---|---|
| इक्विटी | 2,191.13 | 2,090.90 | 100.23 |
| ऋण | 27,663.68 | 11,791.82 | 15,871.86 |

स्रोत: सा.क्षे.उ. तथा वे एवं ले का से एकत्रित सूचना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ राज्य सा.क्षे.उ. जिनमें राज्य सरकार ने निवेश किया था, में से छः[32] सा.क्षे.उ. में ऐसे अंतर प्रकट हुए जैसा कि **परिशिष्ट-2.4** में दर्शाया गया है। आंकड़ों के बीच अंतर पिछले कई वर्षों से निरंतर बने हुए हैं। आकड़ों में मुख्य अंतर इक्विटी के लिए दिल्ली अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांग वित्त एवं विकास नगम लिमिटेड (डीएससीएफडीसी) तथा दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी) में तथा ऋणों के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड में पाए गए। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार तथा संबंधित सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढ़ंग से अंतरों का समाशोधन करना चाहिए।

## सा.क्षे.उ. द्वारा लेखों की प्रस्तुति

**2.1.3.8** 31 मार्च 2018 को सभी 13 सा.क्षे.उ. (11 सरकारी कंपनियाँ तथा दो सांविधिक निगम) नि.म.ले.प. के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत थे। सा.क्षे.उ. द्वारा लेखों को तैयार करने में अपनाई गई समयसीमा की स्थिति का वर्णन निम्नवत है:

### कार्यशील राज्य सा.क्षे.उ. द्वारा लेखों को तैयार करने में समयसीमा

सभी कार्यशील सा.क्षे.उ. द्वारा वर्ष 2017-18 के लेखों को 30 सितंबर 2018 तक प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालाँकि, 11 सरकारी कंपनियों में से छः सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2018 को अथवा उससे पहले नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2017-18 के अपने लेखे प्रस्तुत किए, जबकि पाँच सरकारी कंपनियों के लेखे बकाये थे। दो[33] सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम (दिल्ली परिवहन निगम) में नि.म.ले.प. ही एकमात्र लेखापरीक्षक है। एक सांविधिक निगम (डीएफसी) के वर्ष 2017-18 के लेखे समय पर लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के वर्ष 2017-18 के लेखे 30 सितंबर 2018 तक प्रतीक्षित

---

32 डीएससीएफडीसी, डीटीआईडीसी, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.रा.औ.अ.वि.नि.एल), डीटीसी, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससी), एवं दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी)

33 डीटीसी एवं डीएफसी

थे।

30 सितंबर 2018 को कार्यशील सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों की प्रस्तुति में बकाया के विवरण **तालिका-2.1.3.5** में दिए गए हैं।

**तालिका-2.1.3.5: कार्यशील सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों की प्रस्तुति से संबंधित स्थिति**

| क्र.स. | विवरण | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सा.क्षे.उ. की संख्या (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 2 | चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखों की संख्या | 10 | 9 | 7 | 15 | 18 |
| 3 | कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिया | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए, पूर्व वर्ष के लेखों की संख्या | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 5 | 30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए जाने के अन्तर्गत लेखे | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| 6 | कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| 7 | बकाया लेखों की संख्या | 12 | 15 | 20 | 17 | 12 |
| 8 | बकायों का विस्तार | एक से 10 साल | एक से 11 साल | एक से 12 साल | एक से 13 साल | एक से 6 साल |

स्रोत: अक्तूबर 2013 से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान सा.क्षे.उ. से प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित

1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान 13 सा.क्षे.उ. में से छः सा.क्षे.उ. ने 18 वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया था जिसमें वर्ष 2017-18 के छः वार्षिक लेखे तथा पिछले वर्षों के 12 वार्षिक लेखे सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, 12 वार्षिक लेखे बकाया थे जो पाँच सा.क्षे.उ. से संबंधित हैं जैसा कि **परिशिष्ट-2.5** में वर्णित है। प्रशासनिक विभाग के पास इन निकायों की गतिविधियों की निगरानी करने एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन सा.क्षे.उ. द्वारा विनिर्धारित अवधि के भीतर लेखों को अंतिम रूप दिया और अपनाया जाए। वित्त विभाग को लेखों को अंतिम रूप देने में बकायों के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा मासिक रूप से सूचित किया गया तथा मामले को रा.रा.क्षे.दि.स. के मुख्य सचिव के समक्ष नवंबर 2018 में भी उठाया गया था।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने उन छः सा.क्षे.उ. को ₹ 2,194.25 करोड़ (ऋण: ₹ 50.00 करोड़), अनुदान/सब्सिडी: ₹ 2,144.25 करोड़) प्रदान किए थे, जिनके लेखों को कंपनी अधिनियम, 2013, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत निर्धारित 30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इन वर्षों के दौरान जिनके लिए लेखे बकाया हैं, राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का सा.क्षे.उ.-वार विवरण **परिशिष्ट-2.5** में दर्शाया गया है। हालाँकि, अक्तूबर 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान वर्ष 2017-18 के लिए दो[34]

[34] दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) एवं दि.रा.औ.अ.वि.नि.

सा.क्षे.उ. के लेखों को अंतिम रूप दिया गया था तथा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2016-17 के लिए एक[35] सा.क्षे.उ. के लेखे अंतिम रूप दिए जाने के अंतर्गत थे। तीन[36] कार्यशील राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित नौ लेखे 31 दिसंबर 2018 तक प्रतीक्षित थे।

शेष पाँच सा.क्षे.उ. में लेखों को अंतिम रूप न देने तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किए गए निवेश तथा व्यय को उचित रूप में लेखाबद्ध किया गया था तथा जिस उद्देश्य के लिए राशि को निवेशित किया गया था, वह प्राप्त हुई थी। इसलिए इन सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. का निवेश, राज्य विधानसभा के नियंत्रण के बाहर ही रहा।

### सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

**2.1.3.9** दो कार्यशील सांविधिक निगमों में से, एक निगम ने 2017-18 के अपने लेखों को 30 सितंबर 2018 तक प्रेषित किया था।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) सांविधिक निगमों के लेखों पर नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन होते हैं। ये प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधान मंडल के समक्ष रखे जाते हैं। सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखों तथा विधानमंडल में उनके एस.ए.आर. रखे जाने की स्थिति **तालिका-2.1.3.6** में दी गई है:

**तालिका-2.1.3.6: सांविधिक निगमों के एस.ए.आर. की प्रस्तुति की स्थिति**

| निगम का नाम | लेखों का वर्ष | रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रस्तुति की दिनांक | एस.ए.आर. की प्रस्तुति का माह |
|---|---|---|---|
| दिल्ली वित्तीय निगम | 2015-16 | 25.01.2016 | अभी प्रस्तुत किया जाना है। |
| | 2016-17 | - | अभी प्रस्तुत किया जाना है। |
| दिल्ली परिवहन निगम | 2015-16 | 04.09.2017 | 15.01.2018 |
| | 2016-17 | 19.12.2018 | अभी प्रस्तुत किया जाना है। |

स्रोतः सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

### राज्य सा.क्षे.उ. के लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने का प्रभाव

**2.1.3.10** जैसा कि पैराग्राफ 2.1.3.8 में इंगित है लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण संबंधित कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के रिसाव का जोखिम भी हो सकता है। लेखों के बकाया की उपरोक्त स्थिति के कारण वर्ष 2017-18 के लिए राज्य जी.डी.पी. में राज्य सा.क्षे.उ. के वास्तविक अंशदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा राज्य कोषागार में उनके अंशदान की सूचना भी राज्य विधान मंडल को भी नहीं दी गई थी।

[35] डीटीआईडीसी

[36] डीएससीएफडीसी (7, 2011-12 से 2017-18), डीटीआईडीसी (1) एवं डीटीसी (1)

अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा सख्ती से जाँच किया जाना चाहिए तथा लेखों में बकाया को समाप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए। सरकार को सा.क्षे.उ. के लेखों को तैयार करने में प्रतिबंधों की जाँच करनी चाहिए तथा लेखों में बकाया को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

## राज्य सा.क्षे.उ. का निष्पादन

**2.1.3.11** 30 सितंबर 2018 को 13 सा.क्षे.उ. के उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार वित्तीय स्थिति तथा कार्यशील परिणाम **परिशिष्ट-2.6** में वर्णित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से उम्मीद होती है कि वो सरकार द्वारा उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित वापसी दें। 31 मार्च 2018 को पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त सा.क्षे.उ. में निवेश की राशि ₹ 14,143.21 करोड़ थी, जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 2,341.97 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋणों के रूप में ₹ 11,801.24 करोड़ शामिल थे। इसमें से, रा.रा.क्षे.दि.स. ने पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त नौ सा.क्षे.उ.[37] में ₹ 13,855.71 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 2,083.51 करोड़ इक्विटी के रूप में तथा ₹ 11,772.20 करोड़ दीर्घावधि ऋणों के रूप में शामिल हैं।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश की वर्ष-वार स्थिति **चार्ट-2.1.3.2** में दर्शायी गई है:

**चार्ट-2.1.3.2: सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) में रा.रा.क्षे.दि.स. का कुल निवेश**

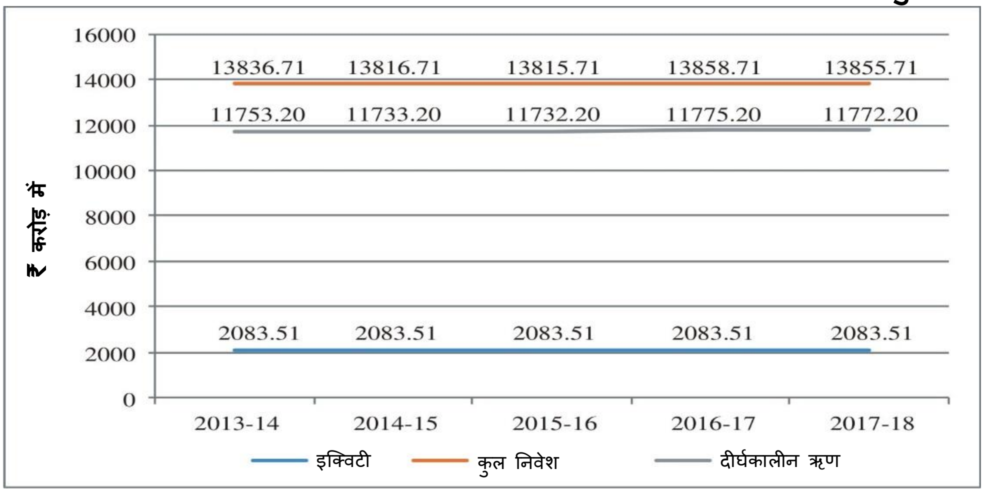


स्रोतः सा.क्षे.उ. के लेखे

किसी कंपनी की लाभप्रदता परंपरागत रूप से निवेश पर वापसी, इक्विटी पर वापसी तथा नियोजित पूँजी पर वापसी के माध्यम से मूल्यांकित की जाती है। निवेश पर वापसी किसी निश्चित वर्ष में इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेशित धनराशि से संबंधित लाभ अथवा हानि को बताता है एवं इसे कुल निवेश पर लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर वापसी एक वित्तीय अनुपात है, जो कंपनी की लाभप्रदता तथा दक्षता को मापता है जिसके लिए इसकी

37 एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी को छोड़कर

पूँजी का उपयोग किया जाता है तथा इसकी गणना शेयरधारकों की निधि में से कर के पश्चात निवल लाभ को विभाजित करके की जाती है।

**निवेश पर वापसी**

**2.1.3.12** निवेश पर वापसी कुल निवेश पर लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान 13 कार्यशील राज्य सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित/उठाए गए लाभ/हानियों[38] की समग्र स्थिति को **चार्ट-2.1.3.3** में दर्शाया गया है:

**चार्ट-2.1.3.3: वर्षों के दौरान 13 कार्यशील सा.क्षे.उ. द्वारा उठाई गई हानियाँ**

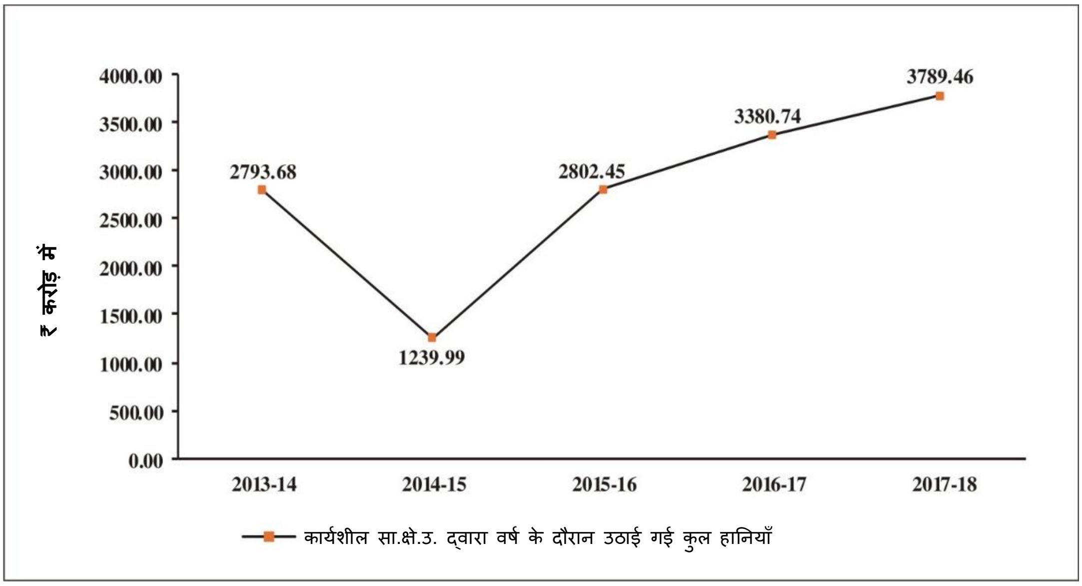


स्रोतः सा.क्षे.उ. के लेखे

सा.क्षे.उ. ने 2013-14 से 2017-18 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समग्र हानियाँ उठाई। निगम के अपने नवीन अंतिम लेखों के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम द्वारा ₹ 3,843.62 करोड़ की हानि उठाई गई। वर्ष 2017-18 के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, 13 सा.क्षे.उ. में से, पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 70.32 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा चार सा.क्षे.उ. ने ₹ 3,859.78 करोड़ की हानि उठाई (जिसमें डीटीसी की ₹ 3,843.62 करोड़ की हानि शामिल है) एवं चार सा.क्षे.उ. को सीमांत लाभ/हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट-2.6** में वर्णित है।

उच्च लाभ अर्जित करने वाली कंपनियाँ दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमेटड (₹ 37.98 करोड़), दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (₹ 19.32 करोड़), एवं दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 9.29 करोड़) थीं जबकि दिल्ली परिवहन निगम (₹ 3,843.62 करोड़) ने भारी हानि उठाई।

[38] आंकड़े, संबंधित वर्षों के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार है।

31 मार्च 2018 को 13 सा.क्षे.उ. में से, 2013-14 से 2017-18 के दौरान वे कार्यशील सा.क्षे.उ. जिन्होंने लाभ/हानि अर्जित/उठायी, की स्थिति **तालिका-2.1.3.7** में दी गई है:

**तालिका-2.1.3.7: 2013-14 से 2017-18 के दौरान उन कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण जिन्होंने लाभ/हानि अर्जित/उठायी**

| वित्त वर्ष | सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) की कुल संख्या | सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किए | सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान हानि उठायी |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | 12 | 6 | 6 |
| 2014-15 | 12 | 7 | 5 |
| 2015-16 | 12 | 8 | 4 |
| 2016-17 | 12 | 8 | 4 |
| 2017-18 | 13 | 5 | 8 |

स्रोतः सा.क्षे.उ. के लेखों के आधार पर संकलित

### निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर वापसी

**2.1.3.13** राज्य के 13 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, राज्य सरकार ने केवल नौ सा.क्षे.उ. में इक्विटी, दीर्घावधि ऋणों तथा अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में निधियों का निवेश किया। राज्य सरकार ने इन नौ सा.क्षे.उ. में ₹ 13,855.17 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 2,083.51 करोड़ की इक्विटी तथा ₹ 11,772.20 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

सा.क्षे.उ. से निवेश पर वापसी रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सा.क्षे.उ. में इक्विटी तथा ऋणों के रूप में किए गए निवेश पर परिकलित किया गया है। ऋणों के मामले में, केवल ब्याज मुक्त ऋणों को निवेश माना जाता है चूंकि सरकार ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं करती है इसलिए यह सरकार द्वारा इक्विटी निवेश की प्रकृति के है सिवाय इसके कि ऋणों के वापसी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार चुकाना होता है। इस प्रकार, इन नौ पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश, इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋणों पर विचार करके प्राप्त हुआ है और ऐसे मामलों में जहाँ ब्याज मुक्त ऋणों को सा.क्षे.उ. द्वारा चुकाया गया है, ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य (व.मू.) के आधार पर निवेश के मूल्य की गणना उस अवधि में ब्याज मुक्त ऋणों की घटी हुई शेष राशि पर की गई थी, जैसा कि **तालिका 2.1.3.9** में वर्णित है। अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों को निवेश के रूप में नहीं लिया गया है, क्योंकि वे निवेश के रूप में माने जाने योग्य नहीं हैं।

31 मार्च 2018 को इन नौ सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार की इक्विटी ₹ 2,083.51 करोड़ थी। ₹ 11,772.20 करोड़ के जारी किए गए दीर्घावधि ऋणों में से, ₹ 98.00 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण थे जो उस अवधि में ब्याज मुक्त ऋणों की घटी हुई शेष राशि के आधार पर थे। इस प्रकार, ऐतिहासिक लागत के आधार पर इन नौ सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार का निवेश ₹ 2,181.51 करोड़ (₹ 2,083.51 करोड़ + ₹ 98.00 करोड़) था।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर क्षेत्र-वार निवेश पर वापसी **तालिका-2.1.3.8** में दिया गया है:

**तालिका-2.1.3.8: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकारी निधियों पर वापसी**

| वर्ष-वार क्षेत्र-वार ब्रेक-अप | वर्ष के दौरान कुल कमाई (₹ करोड़ में) | | रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ऐतिहासिक लागत पर इक्विटी तथा ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में निवेशित निधियाँ (₹ करोड़ में) | | ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकारी निवेश पर वापसी (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **सामाजिक क्षेत्र** | | | | | | |
| **2013-14** | 13 | | 82.92 | | 15.68 | |
| **2014-15** | 13 | | 88.92 | | 14.62 | |
| **2015-16** | 11.24 | | 88.92 | | 12.64 | |
| **2016-17** | 11.6 | | 88.92 | | 13.05 | |
| **2017-18** | -1.89 | | 88.92 | | -2.13 | |
| **अन्य** | | | | | | |
| **2013-14** | 1.29 | | 11.76 | | 10.97 | |
| **2014-15** | 1.26 | | 12.76 | | 9.87 | |
| **2015-16** | 3.19 | | 12.76 | | 25 | |
| **2016-17** | 3.19 | | 12.76 | | 25 | |
| **2017-18** | 2.92 | | 12.76 | | 22.88 | |
| **प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र** | | | | | | |
| | **डीटीसी को शामिल कर** | **डीटीसी को छोड़ कर** | **डीटीसी को शामिल कर** | **डीटीसी को छोड़ कर** | **डीटीसी को शामिल कर** | **डीटीसी को छोड़ कर** |
| **2013-14** | -2,807.94 | 106.46 | 2,080.98 | 97.13 | -134.93 | 109.61 |
| **2014-15** | -1,254.24 | 109.5 | 2,079.83 | 95.98 | -60.3 | 114.09 |
| **2015-16** | -2,816.87 | 100.89 | 2,079.83 | 95.98 | -135.44 | 105.12 |
| **2016-17** | -3,395.53 | 15.57 | 2,079.83 | 95.98 | -163.26 | 16.22 |
| **2017-18** | -3,776.22 | 67.4 | 2,079.83 | 95.98 | -181.56 | 70.22 |
| **कुल** | | | | | | |
| **2013-14** | **-2,793.65** | **120.75** | **2,175.66** | **191.81** | **-128.4** | **62.95** |
| **2014-15** | **-1,239.98** | **123.76** | **2,181.51** | **197.66** | **-56.84** | **62.61** |
| **2015-16** | **2,802.44** | **115.32** | **2,181.51** | **197.66** | **-128.46** | **58.34** |
| **2016-17** | **-3,380.74** | **30.36** | **2,181.51** | **197.66** | **-154.97** | **15.36** |
| **2017-18** | **3,775.19** | **68.43** | **2,181.51** | **197.66** | **-173.05** | **34.62** |

स्रोतः सा.क्षे.उ. एवं सा.क्षे.उ. के लेखों से प्राप्त सूचना

राज्य सरकारी निवेश पर समग्र वापसी की गणना राज्य सरकार के निवेश की लागत से इन सा.क्षे.उ. के कुल कमाई[39] को विभाजित करके की जाती है। **नौ गैर-ऊर्जा सा.क्षे.उ. द्वारा राज्य सरकार के निवेश पर 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान अर्जित वापसी (-) 173.05 प्रतिशत और (-) 56.84 प्रतिशत के बीच रही। नकारात्मक रिटर्न दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को हुई भारी नुकसान के कारण थी जो 2013-14 में ₹ 2,914.40 करोड़ से 2017-18 में ₹ 3,843.62 करोड़ के बीच रही। डीटीसी को छोड़ने के पश्चात शेष आठ सा.क्षे.उ. के लिए निवेश पर वापसी 2013-14 से 2017-18 तक सभी पाँच वर्षों के लिए सकारात्मक थी जो 15.36 प्रतिशत से 62.95 प्रतिशत के बीच रही।** इसके अतिरिक्त, सामाजिक क्षेत्र से वापसी 2013-14 में 15.68 *प्रतिशत* से काफी हद तक घटकर 2017-18 में -2.13 *प्रतिशत* हो गई, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में दो[40] कंपनियों की कमाई पाँच वर्ष की अवधि के दौरान नकारात्मक हो गई।

39 इसमें उन राज्य सा.क्षे.उ. के संबंधित वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि सम्मिलित है जहाँ निवेश राज्य सरकार द्वारा किये गए हैं

40 डीएससीएससी एवं डीएससीएफडीसी

## निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वापसी

**2.1.3.14** उन नौ सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) जहाँ निधियाँ राज्य सरकार द्वारा निवेशित की गई थीं के संबंध में निवेश के साथ कमाई का विश्लेषण इन सा.क्षे.उ. की लाभप्रदता का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वापसी की पारंपरिक गणना निवेश पर वापसी की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसी गणना धन के वर्तमान मूल्य (व.मू.) की अनदेखी करती है।

सरकारी निवेशों का व.मू., निवेशों की ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में राज्य सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेशों के व.मू. पर वापसी की दर का मूल्यांकन करने के लिए परिकलित किया गया है। 31 मार्च 2018 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेशों की ऐतिहासिक लागत को अपने वर्तमान मूल्य में लाने के लिए, राज्य सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेशित पिछले निवेश/वर्ष-वार डाली गई निधियों की गणना सरकारी उधारियों पर ब्याज की वर्ष-वार औसत दर पर की गई है जो संबंधित वर्ष हेतु सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में मानी जाती है। इसलिए, राज्य सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य (व.मू.) की गणना उन नौ राज्य सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) के लिए की गई है, जहाँ राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 तक निधियाँ इक्विटी तथा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेशित की गई थीं। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन नौ सा.क्षे.उ. को निवेश पर नकारात्मक वापसी था।

नौ उपक्रमों में राज्य सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं पर की गई है:

- ब्याज मुक्त ऋणों को राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधि के रूप में माना गया है। हालाँकि, सा.क्षे.उ. द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, व.मू. को संपूर्ण अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋणों की घटी हुई शेष राशि पर परिकलित किया गया था। अनुदान/आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों को निवेश के रूप में नहीं माना गया है क्योंकि वे निवेश के रूप में अर्हता प्राप्त करने योग्य नहीं हैं जैसा कि पैरा 2.1.3.13 में संकेतित सब्सिडी की प्रकृति द्वारा इंगित किया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[41] के लिए सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुँचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश की ओर सरकार द्वारा भारित लागत

---

41 सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (रा.रा.क्षे.दि.स.) पर भारत के नि. एवं. म.ले.प. के प्रतिवेदनों से ली गई है।

का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर वापसी की न्यूनतम अनुमानित दर के रूप में माना गया है।

2013-14 से 2017-18 वर्षों के लिए, जब इन नौ कंपनियों ने हानियाँ उठायीं, तब निष्पादन को मापने का अधिक सही उपाय हानियों के कारण निवल मूल्य का अपक्षरण है। कंपनियों के निवल मूल्य के अपक्षरण पर पैरा 2.1.3.17 में टिप्पणी की गई है।

**2.1.3.15** इन नौ राज्य सा.क्षे.उ. में 2002-03 से 2017-18 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी तथा ऋणों के रूप में राज्य सरकार निवेश की सा.क्षे.उ.-वार स्थिति को **परिशिष्ट-2.7** में इंगित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उसी अवधि में राज्य सरकारी निवेश के व.मू. की समेकित स्थिति तथा इन सा.क्षे.उ. से संबंधित कुल कमाई को **तालिका 2.1.3.9** में इंगित किया गया है।

**तालिका 2.1.3.9: 2002-03 से 2017-18 की अवधि के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेशों तथा सरकारी निवेशों के वर्तमान मूल्य का वर्ष-वार विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| वित्त वर्ष | वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण | वर्ष के दौरान कुल निवेश | वर्ष के अंत में कुल निवेश | सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (% में) | वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के लिए निधियों की लागत वसूली के लिए न्यूनतम अनुमानित रिटर्न | वर्ष[42] के लिए कुल कमाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v=iii+iv | vi=ii+v | vii | viii={vi*(1+vii/100)} | ix=vii*vi/100 | x |
| 2002-03 | | 196.11 | 0 | 196.11 | 196.11 | 11.17 | 218.02 | 21.91 | -768.54 |
| 2003-04 | 218.02 | 0 | 0 | 0 | 218.02 | 10.65 | 241.23 | 23.22 | -534.27 |
| 2004-05 | 241.23 | 0 | 0 | 0 | 241.23 | 10.34 | 266.18 | 24.94 | -691.88 |
| 2005-06 | 266.18 | 0 | 0 | 0 | 266.18 | 8.87 | 289.79 | 23.61 | -857.78 |
| 2006-07 | 289.79 | 0.29 | 0 | 0.29 | 290.08 | 9.35 | 317.20 | 27.12 | -850.94 |
| 2007-08 | 317.20 | 377.30 | 0 | 377.30 | 694.50 | 9.84 | 762.84 | 68.34 | -1,174.20 |
| 2008-09 | 762.84 | 250.05 | 0 | 250.05 | 1,012.89 | 9.90 | 1,113.16 | 100.28 | -1,699.94 |
| 2009-10 | 1,113.16 | 630.71 | 0 | 630.71 | 1,743.87 | 9.52 | 1,909.89 | 166.02 | -2,011.63 |
| 2010-11 | 1,909.89 | 219.00 | 0 | 219.00 | 2,128.89 | 9.10 | 2,322.62 | 193.73 | -1,978.31 |
| 2011-12 | 2,322.62 | 211.65 | 40.00 | 251.65 | 2,574.27 | 9.77 | 2,825.78 | 251.51 | -2,185.59 |
| 2012-13 | 2,825.78 | 199.55 | 50.00 | 249.55 | 3,075.33 | 9.73 | 3,374.56 | 299.23 | -2,246.25 |
| 2013-14 | 3,374.56 | 0 | 1 | 1 | 3,375.56 | 9.21 | 3,686.45 | 310.89 | -2,793.65 |
| 2014-15 | 3,686.45 | -1.15 | 7 | 5.85 | 3,692.30 | 8.59 | 4,009.46 | 317.17 | -1,239.98 |
| 2015-16 | 4,009.46 | 0 | 0 | 0 | 4,009.46 | 8.54 | 4,351.87 | 342.41 | -2,802.44 |
| 2016-17 | 4,351.87 | 0 | 0 | 0 | 4,351.87 | 8.65 | 4,728.31 | 376.44 | -3,380.74 |
| 2017-18 | 4,728.31 | 0 | 0 | 0 | 4,728.31 | 8.58 | 5,134.00 | 405.69 | -3,775.19 |
| कुल | | 2,083.51 | 98.00 | 2,181.51 | | | | | |

स्रोतः सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना एवं राज्य वित्त पर भारत के नि. एवं म.ले.प. के प्रतिवेदन

इन सा.क्षे.उ. में वर्ष के अंत में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेश का शेष 2002-03 में ₹ 196.11 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 2,181.51 करोड़ हो गया, क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2002-03 से 2017-18 की अवधि के दौरान इक्विटी (₹ 2,083.51 करोड़) तथा ब्याज मुक्त ऋणों (₹ 98.00 करोड़) के रूप में अतिरिक्त

[42] वर्ष के लिए कुल अर्जन, उन नौ सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अलावा) से संबंधित वर्ष के लिए कुल निवल अर्जन (लाभ/हानि) को दर्शाता है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया था। यदि किसी वर्ष के दौरान किसी सा.क्षे.उ. के वार्षिक लेखे बकाया थे, तो उस वर्ष के लिए निवल अर्जन (लाभ/हानि) संबंधित सा.क्षे.उ. के नवीनतम लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार लिया गया है। 2002-03 से 2011-12 के लिए कुल आय के आँकड़ों में कर पूर्व आय शामिल है, क्योंकि कर के पश्चात आँकड़े केवल 2012-13 से 2017-18 के लिए उपलब्ध थे।

निवेश किया। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों का व.मू. ₹ 5,134 करोड़ था।

**2002-03 से 2017-18 के दौरान, इन सा.क्षे.उ. में वर्ष का कुल कमाई, इनमें निवेशित निधियों की लागत वसूल करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से कम रहा क्योंकि इस अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को काफ़ी हानि हुई। 2002-18 की अवधि के दौरान सा.क्षे.उ.[43] की कमाई को डीटीसी द्वारा किए गए नुकसान के प्रति लगाया गया जिसके कारण कुल कमाई न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से नीचे रहा, जैसा कि तालिका 2.1.3.9 मे विवरण दिया गया है। डीटीसी को छोड़कर शुद्ध वर्तमान मूल्य परिशिष्ट-2.8 में संगणित किया गया है। यह देखा गया है कि सभी सा.क्षे.उ. की कमाई 2008-09 और 2016-17 को छोड़कर 2002-03 से 2017-18 तक सभी वर्षों में न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से अधिक रही है।**

**2.1.3.16** 2013-14 से 2017-18 के दौरान, सरकार का इन सा.क्षे.उ. में किए निवेश पर वापसी नकारात्मक थी।

### निवल मूल्य का अपक्षरण

**2.1.3.17** निवल मूल्य का तात्पर्य प्रदत्त पूँजी तथा निर्बाध आरक्षितियों एवं अधिशेष के कुल योग में से संचित हानियों तथा आस्थगित राजस्व व्यय को घटाना है। अनिवार्य रूप से यह एक मापन है कि एक इकाई का मालिकों के लिए क्या मूल्य है। एक नकारात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा समस्त निवेश को संचित हानियों तथा आस्थगित राजस्व व्यय से मिटा दिया गया है।

**तालिका 2.1.3.10** इन गैर-पॉवर क्षेत्र की कंपनियों[44] में कुल प्रदत्त पूँजी, कुल संचित लाभ/हानि, एवं कुल निवल मूल्य को इंगित करती है, जहाँ रा.रा.क्षे.दि.स. ने प्रत्यक्ष निवेश किया है।

**तालिका 2.1.3.10: 2013-14 से 2017-18 के दौरान पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों की निवल मूल्य**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | वर्ष के अंत में सा.क्षे.उ. की प्रदत्त पूँजी | | वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-) | | आस्थगित राजस्व व्यय | कंपनी का निवल मूल्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीटीसी सहित | डीटीसी को छोड़ कर | डीटीसी सहित | डीटीसी को छोड़ कर | | डीटीसी सहित | डीटीसी को छोड़ कर |
| 2013-14 | 2,091.76 | 107.91 | -17,124.13 | 483.15 | 0 | -15,032.37 | 591.06 |
| 2014-15 | 2,091.76 | 107.91 | -18,474.36 | 496.66 | 0 | -16,382.60 | 604.57 |
| 2015-16 | 2,091.82 | 107.97 | -21,249.72 | 639.06 | 0 | -19,157.90 | 747.03 |
| 2016-17 | 2,091.88 | 108.03 | -24,565.12 | 734.88 | 0 | -22,473.24 | 842.91 |
| 2017-18 | 2,091.94 | 108.09 | -28,307.57 | 835.92 | 0 | -26,215.63 | 944.01 |

स्रोतः सा.क्षे.उ. के लेखे

43 मुख्यतः दि.रा.औ.अ.वि.नि., डीएससीएफडीसी तथा दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड

44 एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, दि.रा.औ.अ.वि.नि. मेंटनेंस सर्विसेज लिमिटेड, दि.रा.औ.अ.वि.नि. लिकर लिमिटेड तथा दिल्ली क्रिएटिव आर्ट लिमिटेड को छोड़कर

**13 गैर-पॉवर सा.क्षे.उ. में से रा.रा.क्षे.दि.स. ने नौ सा.क्षे.उ. में निवेश किया। इन नौ में से सात सा.क्षे.उ.[45] में सकारात्मक निवल मूल्य था और डीटीसी (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत सूचीबद्ध होने पर एक[46] कंपनी के लिए निवल मूल्य शून्य मान लिया गया) में नकारात्मक निवल मूल्य था। सात सा.क्षे.उ. का सकारात्मक निवल मूल्य (₹ 944.01 करोड़) से डीटीसी का नकारात्मक निवल मूल्य (₹ 27,159.64 करोड़) अधिक महत्वपूर्ण था और इन नौ सा.क्षे.उ. का कुल निवल मूल्य 2013-14 से 2017-18 के दौरान नकारात्मक रहा। हालाँकि डीटीसी को छोड़ने के पश्चात सात सा.क्षे.उ. का कुल निवल मूल्य इस अवधि के दौरान सकारात्मक था।**

**लाभांश भुगतान**

**2.1.3.18** राज्य सरकार ने सा.क्षे.उ. द्वारा लाभांश के भुगतान हेतु कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी।

नौ सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित लाभांश भुगतान जहाँ अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी निवेशित की गई थी, को **तालिका-2.1.3.11** में दर्शाया गया है:

**तालिका-2.1.3.11: 2013-14 से 2017-18 के दौरान नौ सा.क्षे.उ. के लाभांश भुगतान**

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कुल सा.क्षे.उ. जहाँ रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी निवेशित की गई | | सा.क्षे.उ. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किए | | सा.क्षे.उ. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा/भुगतान किया | | लाभांश अदायगी अनुपात (*प्रतिशत*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सा.क्षे.उ. की संख्या | रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेशित इक्विटी | सा.क्षे.उ. की संख्या | रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेशित इक्विटी | सा.क्षे.उ. की संख्या | सा.क्षे.उ. द्वारा घोषित किए गए भुगतान का लाभांश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/5*100 |
| 2013-14 | 9 | 2,083.51 | 6 | 81.61 | 2 | 1.13 | 1.38 |
| 2014-15 | 9 | 2,083.51 | 6 | 81.61 | 1 | 0.50 | 0.61 |
| 2015-16 | 9 | 2,083.51 | 7 | 99.66 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 2016-17 | 9 | 2,083.51 | 7 | 99.66 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 2017-18 | 9 | 2,083.51 | 5 | 66.74 | 1 | 0.50 | 0.75 |

स्रोतः सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. की संख्या पाँच से सात तक थी। इस अवधि के दौरान, केवल दो सा.क्षे.उ. (डीटीटीडीसी लिमिटेड एवं दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम) ने रा.रा.क्षे.दि.स. को लाभांश की घोषणा/भुगतान किया तथा लाभांश भुगतान अनुपात केवल 0.50 *प्रतिशत* से 1.38 *प्रतिशत* तक था।

[45] डीएससीएफडीसी, डीएससीएससी, दि.रा.औ.अ.वि.नि., डीटीटीडीसी, डीटीआईडीसी, डीएफसी एवं जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जीडीएल)

[46] शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट कार्पोरेशन (एस.आर.डी.सी.) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर मुनाफा वाली कंपनी है।

### इक्विटी पर वापसी

**2.1.3.19** इक्विटी पर वापसी (आर.ओ.ई.) वित्तीय निष्पादन का एक मापक है जिससे यह आकलन किया जाता है कि प्रबंधन शेयरधारकों की निधि का लाभ कमाने के लिए कितने प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है तथा इसकी गणना शेयरधारकों की निधि द्वारा निवल आय (अर्थात करों के पश्चात निवल लाभ) को भाग करके की जाती है। इसे एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा किसी भी कंपनी के लिए यह तभी परिकलित किया जा सकता है जब निवल आय तथा शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक संख्याएं हों।

किसी कंपनी के शेयरधारकों के निधि की गणना प्रदत्त पूँजी तथा निर्बाध आरक्षितियों, निवल संचित हानियों रहित एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और इससे पता चलता है कि यदि सभी परिसंपत्तियों को बेच दिया जाए तथा सभी ऋणों का भुगतान हो जाए तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना शेष बच जाएगा। एक सकारात्मक शेयरधारी निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियाँ है जबकि नकारात्मक शेयरधारी इक्विटी का आशय है कि देयताएँ परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

इक्विटी पर वापसी की गणना नौ पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों के संबंध में की गई है जहाँ रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निधियाँ निवेशित की गई थीं। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान नौ सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित शेयरधारकों की निधि तथा आर.ओ.ई. का विवरण **तालिका-2.1.3.12** में दिया गया है:

**तालिका-2.1.3.12: सा.क्षे.उ. जहाँ रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निधियाँ निवेशित की गई थीं, से संबंधित इक्विटी पर वापसी**

| वर्ष | नौ सा.क्षे.उ. का निवल आय (₹ करोड़ मे) | | नौ सा.क्षे.उ. के शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ मे) | | आर.ओ.ई. (प्रतिशत) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीटीसी सहित | डीटीसी को छोड़ कर | डीटीसी सहित | डीटीसी को छोड़ कर | डीटीसी सहित | डीटीसी को छोड़ कर |
| 2013-14 | -2,793.65 | 120.75 | -15,032.37 | 591.06 | - | 20.43 |
| 2014-15 | -1,239.98 | 123.76 | -16,382.60 | 604.57 | - | 20.47 |
| 2015-16 | -2,802.44 | 115.32 | -19,157.90 | 747.03 | - | 15.44 |
| 2016-17 | -3,380.74 | 30.36 | -22,473.24 | 842.91 | - | 3.60 |
| 2017-18 | -3,775.19 | 68.43 | -26,215.63 | 944.01 | - | 7.25 |

स्रोतः सा.क्षे.उ. के लेखे

**गत पाँच वर्षों के दौरान, डीटीसी के अतिरिक्त आठ कंपनियों के संबंध में शुद्ध आय, सभी पाँच वर्षों के लिए सकारात्मक था, तथा परिणामस्वरूप, इक्विटी पर 3.60 प्रतिशत से 20.47 प्रतिशत तक सकारात्मक वापसी मिला। हालाँकि, डीटीसी द्वारा भारी नुकसान उठाने, जो 2013-14 में ₹ 2,914.40 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 3,843.62 करोड़ हो गया, के कारण नौ कंपनियों के लिए शुद्ध आय सभी पाँच वर्षों में नकारात्मक हो गयी और इस प्रकार, इस अवधि के लिए आर.ओ.ई. नही निकाला जा सका।**

### नियोजित पूँजी पर वापसी

**2.1.3.20** नियोजित पूँजी पर वापसी (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता तथा उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी नियोजित है। आर.ओ.सी.ई. की गणना किसी कंपनी की ब्याज एवं करों से पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूँजी[47] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान नौ सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) का कुल आर.ओ.सी.ई. का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

**तालिका-2.1.3.13: नियोजित पूँजी पर वापसी**

| वर्ष | सा.क्षे.उ. के लिए ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में) | | सा.क्षे.उ. के लिए नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में) | | सा.क्षे.उ. के लिए आर.ओ.सी.ई. (*प्रतिशत*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीटीसी सहित | डीटीसी को छोड़ कर | डीटीसी सहित | डीटीसी को छोड़ कर | डीटीसी सहित | डीटीसी को छोड़ कर |
| 2013-14 | -648.56 | 208.80 | -3244.31 | 702.98 | - | 29.70 |
| 2014-15 | 1356.53 | 230.07 | -4614.54 | 696.49 | -29.40 | 33.03 |
| 2015-16 | 94.89 | 176.68 | -7396.50 | 832.29 | -1.28 | 21.23 |
| 2016-17 | 3.91 | 112.61 | -10673.17 | 966.84 | -0.04 | 11.65 |
| 2017-18 | 180.58 | 174.00 | -14438.43 | 1045.07 | -1.25 | 16.65 |

स्रोतः सा.क्षे.उ. के लेखे

**मार्च 2018 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, डीटीसी के अतिरिक्त अन्य आठ कंपनियों के संबंध में नियोजित कुल पूँजी, सभी पाँच वर्षों के लिए सकारात्मक थी एवं इसके परिणामस्वरूप, नियोजित पूँजी पर वापसी भी 11.65 प्रतिशत से 33.03 प्रतिशत के बीच सकारात्मक था। हालाँकि, डीटीसी को शामिल किए जाने से, इन कंपनियों के लिए नियोजित पूँजी सभी पाँच वर्षों के लिए नकारात्मक हो गयी।** वर्ष 2013-14 के लिए, चूंकि ब्याज एवं कर से पूर्व आय नकारात्मक थी, इसलिए नियोजित पूँजी पर वापसी की गणना नहीं की गई है।

### सा.क्षे.उ. के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

**2.1.3.21** 2013-14 से 2017-18 के दौरान उन सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके पास लिवरेज था, के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण कंपनियों की सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों को चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। इसका निर्धारण ब्याज कवरेज अनुपात तथा ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

### ब्याज कवरेज़ अनुपात

**2.1.3.22** ब्याज कवरेज़ अनुपात का उपयोग बकाया ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु किसी सा.क्षे.उ. की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है और एक ही अवधि के ब्याज व्यय से सा.क्षे.उ. के ई.बी.आई.टी. को विभाजित करके परिकलित

[47] नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + दीर्घावधि ऋण + निर्बाध आरक्षितियाँ- संचित हानियाँ - आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिसके लिए सा.क्षे.उ. के लेखों को 30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिया गया था।

किया जाता है। अनुपात जितना कम होगा, सा.क्षे.उ. की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करेगा कि सा.क्षे.उ. ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहा था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान जिन सा.क्षे.उ. में ब्याज भार था, उनसे संबंधित सकारात्मक तथा नकारात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण **तालिका-2.1.3.14** में दिया गया है।

**तालिका-2.1.3.14: राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित ब्याज कवरेज़ अनुपात**

| वर्ष | ब्याज (₹ करोड़ में) | ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में) | सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके पास सरकार तथा बैंको और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋणों की देयता है | सा.क्षे.उ. की संख्या जिनमें ब्याज कवरेज़ अनुपात एक से अधिक है | सा.क्षे.उ. की संख्या जिनमें ब्याज कवरेज़ अनुपात एक से कम है |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 2,064.54 | -648.59 | 7 | 2 | 5[48] |
| 2014-15 | 2,518.35 | 1,359.42 | 7 | 3 | 4[49] |
| 2015-16 | 2,862.25 | 94.88 | 6 | 3 | 3[50] |
| 2016-17 | 3,325.38 | 3.91 | 6 | 3 | 3[51] |
| 2017-18 | 3,874.95 | 166.31 | 6 | 2[52] | 4[53] |

स्रोतः सा.क्षे.उ. के लेखे

2017-18 के दौरान सरकार के साथ-साथ बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों की देयता वाले छः सा.क्षे.उ. में से, दो सा.क्षे.उ. का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था जबकि शेष चार सा.क्षे.उ. में ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था, जो इंगित करता है कि ये चार सा.क्षे.उ. अवधि के दौरान ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

**ऋण टर्नओवर अनुपात**

**2.1.3.23** पिछले पाँच वर्षों के दौरान 13 सा.क्षे.उ. के टर्नओवर में 4.18 *प्रतिशत* की संयोजित वार्षिक गिरावट दर्ज की गई तथा ऋणों की संयोजित वृद्धि 0.03 *प्रतिशत* थी, जिसके कारण ऋण टर्नओवर अनुपात 2013-14 में 2.52 से घटकर 2017-18 में 2.99 हो गया जैसाकि नीचे **तालिका-2.1.3.15** में दिया गया है*:*

---

48 दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड, जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट लिमिटेड, दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, एवं दिल्ली परिवहन निगम

49 दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड, जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट लिमिटेड एवं दिल्ली परिवहन निगम

50 दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड, एवं दिल्ली क्रिएटिव आर्ट लिमिटेड

51 दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निमग लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट लिमिटेड, एवं दिल्ली परिवहन निगम

52 डीटीआईडीसी एवं डीएफसी

53 दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट लिमिटेड, एवं दिल्ली परिवहन निगम

**तालिका-2.1.3.15: राज्य सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित ऋण टर्नओवर अनुपात**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| सरकार तथा अन्य (बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों) से ऋण | 11,788.09 | 11,768.09 | 11,761.43 | 11,800.10 | 11,801.24 |
| टर्नओवर | 4,675.16 | 4,569.35 | 4,186.91 | 4,100.76 | 3,940.75 |
| ऋण टर्नओवर अनुपात | 2.52:1 | 2.58:1 | 2.81:1 | 2.88:1 | 2.99:1 |

स्रोत: 30 सितंबर 2018 को सा.क्षे.उ. के नवीनतम अंतिम लेखों के आधार पर संकलित

इस अवधि के दौरान ऋण-टर्नओवर अनुपात 2.52 तथा 2.99 के बीच था। कुल संचित हानियों में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि थी जो मुख्यतः दिल्ली परिवहन निगम की संचित हानियों में वृद्धि के कारण थी।

## राज्य सा.क्षे.उ. के लेखों पर टिप्पणी

**2.1.3.24** 10 कंपनियों ने 1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान अपने 16 लेखापरीक्षित लेखों को प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से, 11 लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों तथा नि.म.ले.प. द्वारा की गई पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखों की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की टिप्पणियों का कुल धनमूल्य का विवरण **तालिका-2.1.3.16** में दिया गया है।

**तालिका-2.1.3.16: कार्यशील कंपनियों (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

**(₹ करोड़ में)**

| क्रम सं. | विवरण | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि |
| 1 | लाभ में कमी | 3 | 35.11 | 2 | 15.94 | 2 | 39.36 |
| 2 | लाभ में वृद्धि | 1 | 8.02 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| 3 | हानि में वृद्धि | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.45 |
| 4 | हानि में कमी | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 1 | 0.40 |
| 5 | महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकट न होना | 0 | 0 | 1 | 7.96 | 1 | 1.22 |
| 6 | वर्गीकरण में त्रुटि | 2 | 31.36 | 0 | 0 | 1 | 1.74 |

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/नि.म.ले.प. के टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सात[54] लेखों पर शर्त प्रमाणपत्र, सात[55] लेखों के लिए बिना शर्त प्रमाणपत्र, एक[56] लेखे हेतु अस्वीकरण तथा एक[57] लेखे के लिए प्रतिकूल प्रमाणपत्र जारी किए थे। सा.क्षे.उ. द्वारा लेखा मानकों का

[54] दि.प.अ.वि.नि. (2014-15), दि.रा.औ.अ.वि.नि. (2016-17), दि.रा.औ.अ.वि.नि. लीकर लिमिटेड (2016-17), दि.रा.औ.अ.वि.नि. क्रिएटिव आर्ट लिमिटेड (2016-17), दिल्ली क्रिएटिव आर्टस लिमिटेड (2017-18), दि.रा.औ.ओ.वि.नि. लीकर लिमिटेड तथा दि.एस.सी.एफ.डी.सी. (2004-05)

[55] दि.प.प.वि.नि., जी.एस.डी.एल, एस.आर.डी.सी. 2016-17 के लिए, जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड, दि.प.प.वि.नि., दि.रा.औ.अ.वि.नि अनुरक्षण सेवाएं लिमिटेड तथा एस.आर.डी.सी. 2017-18 के लिए

[56] एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2016-17)

[57] दि.रा.सि.आ.नि. (2016-17)

अनुपालन खराब रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखों में लेखांकन मानकों के गैर-अनुपालन के पाँच मामलों को इंगित किया।

**2.1.3.25** रा.रा.क्षे.दि.स. के दो सांविधिक निगम, अर्थात (i) दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) तथा (ii) दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी) हैं। नि.म.ले.प. डीटीसी का एकमात्र लेखापरीक्षक है।

1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 के दौरान, डीटीसी ने वर्ष 2016-17 के अपने वार्षिक लेखों को अग्रेषित किया जबकि डीएफसी ने वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों को अग्रेषित किया। दोनों लेखों को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा नि.म.ले.प. की एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षा ने लेखों के रख-रखाव की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता का संकेत दिया। सांविधिक निगमों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के समग्र धन मूल्य तथा नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के विवरण **तालिका-2.1.3.17** में दिए गए हैं:

**तालिका-2.1.3.17: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

**(₹ करोड़ में)**

| क्रम स. | विवरण | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि |
| 1 | लाभ में कमी | 0 | 0 | 1 | 3.78 | 1 | 10.56 |
| 2 | लाभ में वृद्धि | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 |
| 3 | हानि में वृद्धि | 1 | 1,978.50 | 1 | 2,389.34 | 1 | 2,332.74 |
| 4 | हानि में कमी | 0 | 0 | 1 | 15.10 | 1 | 19.65 |
| 5 | महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकट न होना | 1 | 964.04 | 2 | 127.94 | 2 | 125.39 |
| 6 | वर्गीकरण में त्रुटि | 0 | 0 | 1 | 25.24 | 1 | 1.02 |

स्रोत: सांविधिक निगमों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/नि.म.ले.प. की टिप्पणियों से संकलित।

## अनुपालन लेखापरीक्षा के पैराग्राफ

**2.1.3.26** 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) के प्रतिवेदन के लिए, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (डीटीटीडीसी ), से संबंधित दो अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ, तथा "दिल्ली परिवहन व अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना का प्रबंधन" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.) प्रतिवेदन संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। राज्य सरकार से दो अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों तथा एक नि.ले. पर जवाब प्राप्त हुए हैं जिन्हें पैराग्राफों एवं नि.ले. को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया है। दो अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 3.73 करोड़ तथा निष्पादन लेखापरीक्षा का ₹ 454.83 करोड़ है।

## लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

**बकाया जवाब**

**2.1.3.27** लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) यह निर्धारित करती है कि भारत के नि.म.ले.प. प्रतिवेदन की विधान सभा में प्रस्तुति के पश्चात, विभागों को लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर कार्रवाई आरंभ करनी होगी तथा उस पर सरकार द्वारा की गई एक्शन टेकन नोट (एटीएन) प्रतिवेदन को पटल पर रखने के चार महीनों के भीतर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। सा.क्षे.उ. (पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर एटीएन की स्थिति **तालिका-2.1.3.18** में दी गई है।

**तालिका-2.1.3.18: पॉवर क्षेत्र के अतिरिक्त सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर एटीएन की स्थिति (30 सितंबर 2018 को)**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (सा.क्षे.उ.) | राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तिथि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में गैर-पॉवर क्षेत्र से संबंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (नि.ले.) तथा पैराग्राफ | | पी.ए./पैराग्राफों की संख्या जिनके एटीएन प्राप्त नहीं हुए | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | नि.ले. | पैराग्राफ | नि.ले. | पैराग्राफ |
| 2013 | 01.08.2014 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | 30.06.2015 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 13.06.2016 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 10.03.2017 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2017 | 03.04.2018 | 1 | 5 | 0 | 0 |

स्रोतः रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त किए गए एटीएन पर आधारित संकलित

एक अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर एटीएन सितंबर 2018 तक विभाग के पास लंबित था।

**सरकारी उपक्रमों पर समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा**

**2.1.3.28** सा.क्षे.उ. से संबंधित निष्पादन लेखा परीक्षाओं तथा पैराग्राफ जिन्हें 30 सितम्बर 2018 को कोगू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में दर्शाया गया था पर चर्चा की स्थिति **तालिका-2.1.3.19** में दी गई हैः

**तालिका-2.1.3.19: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नि.ले./पैराओं की स्थिति (30 सितंबर 2018 को), जिनकी कोगू में चर्चा की गई है**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष | निष्पादन लेखापरीक्षाओं/पैराग्राफों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत | | चर्चा किए गए पैराग्राफ | |
| | निष्पादन लेखापरीक्षाएं | पैराग्राफ | निष्पादन लेखापरीक्षाएं | पैराग्राफ |
| 2013 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2014 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 5 | 0 | 0 |

स्रोतः लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोगू की चर्चा पर आधारित संकलन

**कोगू के प्रतिवेदनों की अनुपालन**

**2.1.3.29** 2013 से 2017 की अवधि के लिए कोगू से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

## परिवहन विभाग

## 2.2. "दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना का प्रबंधन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी) के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (रा.रा.क्षे.दि.) में यात्रियों तथा पर्यटकों को बेहतर सुख सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना की योजना, विकास तथा अनुरक्षण का अधिदेश है। सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ करने/ सृजित करने के संबंध में अपने अधिदेश में डीटीआईडीसी पाँच अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनलों (आईएसबीटी) तथा रा.रा.क्षे.दि. में सभी बस क्यू शैल्टरों (बीक्यूएस) के निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा जाँच का सार नीचे प्रस्तुत किया गया है:

### विशिष्टताएं

कार्य करने का स्थान समय पर उपलब्ध कराने में डीटीआईडीसी की विफलता के कारण आईएसबीटी कश्मीरी गेट का उन्नयन कार्य निर्धारित समाप्ति तिथि के आठ वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी पूरा नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार तथा दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड द्वारा ₹ 113.80 करोड़ का दावा किया गया।

***(पैरा 2.2.2.1(क)(क))***

दिल्ली के उत्तर तथा दक्षिण-पश्चिम एंट्री प्वांइटंस पर आईएसबीटी की स्थापना करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के 20 वर्ष से अधिक बीत जाने के पश्चात भी द्वारका तथा नरेला में आईएसबीटी स्थापित नहीं की जा सकी। इन दो आईएसबीटी की स्थापना करके रा.रा.क्षे.दि.स. में वायु प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आने वाली 516 तथा 1243 अंतर्राज्यीय डीजल से चलने वाली बसों का क्रमशः सराय काले खाँ और कश्मीरी गेट से/ तक चलना जारी है।

***(पैरा 2.2.2.1 (क)(ग))***

नरेला आईएसबीटी के मामले में डीडीए को ₹ 10.30 करोड़ का भुगतान करने के पश्चात आईएसबीटी की स्थापना के लिए भूमि निर्धारण को 11 वर्षों के बीत जाने के बाद भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

***(पैरा 2.2.2.1 (क)(ग)(ii))***

डीटीआईडीसी 1397 बीक्यूएस के विकास के लिए 2013 से उपयुक्त रियायतग्राहियों का पता लगाने में विफल रहा। वैकल्पिक वित्त पोषण पद्धतियों पर विचार नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप किसी नये बीक्यूएस का निर्माण पिछले पाँच वर्षों में नहीं हुआ है।

***(पैरा 2.2.2.2(क))***

डीटीआईडीसी ने आईटीआर फाईल करने में चूक/विलंब तथा अग्रिम कर के भुगतान में चूक/स्थगन के कारण ₹ 2.76 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया।

***(पैरा 2.2.3.1)***

डीटीआईडीसी ने रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 25.55 करोड़ का कम भुगतान किया।

***(पैरा 2.2.3.2)***

डीटीआईडीसी समावेशन के आठ वर्षों के पश्चात भी अपने भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने में विफल रहा। भर्ती नियमों के अभाव में, यह इंजीनियरिंग और कार्यकारी संवर्गों में नियमित स्टाफ की नियुक्ति नहीं कर रहा था तथा परिवहन विभाग (प.वि.)/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) से प्रतिनियुक्ति आधार पर स्टाफ का प्रबंध कर रहा था जिससे संगठन में सेवा की निरंतरता में कमी आई। अनुपालन समयबद्ध तरीके से नहीं किये जाने, उन्नयन कार्य में विलंब तथा नरेला और द्वारका में आईएसबीटी हेतु भूमि के आवंटन के लिए कार्रवाई में धीमी प्रगति का प्रभाव इसके सांविधिक अनुपालन पर पड़ा।

***(पैरा 2.2.4.1)***

## 2.2.1 प्रस्तावना

डीटीआईडीसी को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रा.रा.क्षे.दि.स. के परिवहन विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा पूर्ण-स्वामित्व कंपनी के रूप में समाविष्ट किया (अगस्त 2010) गया था ।

डीटीआईडीसी का मुख्य उद्देश्य रा.रा.क्षे.दि. में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सुविधाओं के विकास को सरल बनाने के लिए (दिल्ली से/तक अंतर्राज्यीय बसों के साथ-साथ दिल्ली के भीतर स्थानीय बसों को पूरा करने), बीक्यूएस और बस डिपो को ध्यान में रखते हुए मौजूदा के साथ-साथ नए आईएसबीटी की स्थापना, विकास, पुनर्विकास, सुधार, संचालन, प्रबंध और रखरखाव करना था। डीटीआईडीसी कार्यकारी अभिकरण भी है तथा यह परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपी गई परियोजनाओं तथा निर्माण कार्यों को निष्पादित करता है।

डीटीआईडीसी ने 1 अप्रैल 2011 से कश्मीरी गेट, आनंद विहार तथा सराय काले खाँ के तीन परिचालित आईएसबीटी को उन की परिसंपत्तियों तथा देयताओं सहित, एक चालू व्यवसाय के रूप में, अधिकार में ले लिया।

इसके अतिरिक्त, सभी शहरी बसों को काम्प्रेसड नेचुरल गैस (सीएनजी) फ्यूल मोड में परिवर्तित करने की पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) की सिफारिशों पर सर्वोच्च न्यायालय ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 31 मार्च 2000 तक दिल्ली की परिधि के बाहर डीजल चालित अंतर्राज्यीय बसों के प्रवेश को रोकने के

लिए दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम और उत्तरी हिस्से में दो आईएसबीटी की स्थापना करने का आदेश दिया (जुलाई 1998)। जब डीटीआईडीसी का गठन किया गया था इन आईएसबीटी की स्थापना की जानी थी तथा इन दो नए आईएसबीटी के विकास का कार्य भी डीटीआईडीसी को सौंपा गया था।

आईएसबीटी के अतिरिक्त, डीटीआईडीसी को रा.रा.क्षे.दि. में सभी बीक्यूएस के निर्माण तथा रखरखाव का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया था (अगस्त 2012) तथा तदनुसार डीटीआईडीसी ने डीओटी, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) तथा दिल्ली इंटिग्रेटिड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (डीआईएमटीएस) से 1594 बीक्यूएस का भी कार्यभार लिया था।

### 2.2.1.1 संगठनात्मक ढ़ांचा

रा.रा.क्षे.दि.स. का सचिव-सह-परिवहन आयुक्त डीटीआईडीसी के निदेशक मंडल का पदेन कार्यकारी अध्यक्ष है। डीटीआईडीसी का संचालन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है जिसे कार्यकारी निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

### 2.2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या

(i) रा.रा.क्षे. दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं की योजना तथा निष्पादन प्रभावी थे जैसी अभिकल्पना की गई थी;

(ii) डीटीआईडीसी का वित्तीय प्रबंधन मितव्ययी, कुशल तथा प्रभावी था;

(iii) सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को मितव्ययी, कुशल तथा प्रभावी रूप से वांछित स्तर की सेवाएं प्रदान करने के लिए उचित रूप से संचालित तथा अनुरक्षित किया गया था; और

(iv) निरीक्षण और निगरानी पद्धतियाँ पर्याप्त थीं तथा कंपनी के आकार तथा व्यवसाय के अनुरूप थीं।

### 2.2.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

डीटीआईडीसी के कार्यों पर निष्पादन लेखापरीक्षा 2013-14 से 2017-18 तक पाँच वर्षों की अवधि के दौरान डीटीआईडीसी की गतिविधियों की जाँच के लिए अप्रैल से अगस्त 2018 के दौरान की गई। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेखों की जांच, प्रश्नावली जारी करना, डीटीआईडीसी के मुख्य कार्यालय तथा इस के क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित प्रमाण का प्रलेख तथा विश्लेषण करना, बोर्ड की बैठकों के कार्यसूची तथा कार्यवृत्तों की जांच तथा जारी लेखापरीक्षा ज्ञापनों के उत्तरों की जांच सम्मिलित है। निष्पादन लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, क्षेत्र, उद्देश्य तथा मानदण्ड को स्पष्ट करने के लिए 10 अप्रैल 2018 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा के लिए 23 जनवरी 2019 को निर्गम सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

### 2.2.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित से प्राप्त मानदण्ड के प्रति मूल्यांकित किया गया था:

(i) कंपनी के बोर्ड की बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त;

(ii) आईएसबीटी के पुनर्विकास हेतु परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के निर्देश;

(iii) सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य मैनुअल, सामान्य वित्तीय नियमावली;

(iv) शक्ति का प्रत्यायोजन, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति; तथा

(v) राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य नीति/मानदण्ड/दिशा-निर्देश।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.2.2 अवसंरचना विकास एवं अनुरक्षण

### 2.2.2.1 (क) अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल

राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण दिल्ली, सभी पड़ोसी राज्यों के लोगों को आकर्षित करती है। परिणामस्वरूप दिल्ली से जाने और आने वाली बसों द्वारा अंतर्राज्यीय यात्रा में लगातार वृद्धि हुई है। कश्मीरी गेट का आईएसबीटी रा.रा.क्षे. दिल्ली में निर्मित (1976) पहला आईएसबीटी था तथा अप्रैल 1993 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा इसका रखरखाव किया गया था। उसके पश्चात इसे रा.रा.क्षे.दि.स. के परिवहन विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया (मई 1993) था। तदनंतर दो ओर आईएसबीटी अर्थात अगस्त 1993 में आनंद विहार में पहला तथा मार्च 1996 में सराय काले खाँ में दूसरा स्थापित किए गए थे।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (1998) के अंतर्गत जनवरी 1998 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) नामक एक समिति का गठन किया गया। ईपीसीए ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु समय सीमा सहित कुछ उपायों की सिफारिश की। सर्वोच्च न्यायालय ने ईपीसीए की रिपोर्ट का अनुसरण करने के पश्चात समस्त शहरी बस बेड़े (डीटीसी तथा निजी) को 31 मार्च 2001 तक सीएनजी के सिंगल फ्यूल मोड में बदलने तथा अंतर्राज्यीय बसों (डीजल से चलने वाली) के प्रवेश के कारण प्रदूषण से बचने के लिए 31 मार्च 2000 तक दिल्ली के उत्तर तथा दक्षिण-पश्चिम में एंटरी प्वाइंट पर नये आईएसबीटी का निर्माण करने के निर्देश (जुलाई 1998) दिए। तदनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली तथा उत्तर दिल्ली से प्रवेश करने वाली बसों का प्रबंध करने हेतु रखते हुए द्वारका तथा नरेला पर दो आईएसबीटी की योजना बनाई गई थी। ये दो आईएसबीटी अंतर्राज्यीय बसों को क्रमशः शहर में आने तथा सराय काले खाँ और कश्मीरी गेट आईएसबीटी की ओर जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देंगे। हालाँकि, द्वारका तथा

नरेला में ये दो आईएसबीटी अभी स्थापित किए जाने हैं जिनके कारण आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं।

इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि. में पाँच आईएसबीटी अपने जीवनचक्र में विभिन्न स्तरों पर है। पाँच आईएसबीटी में से केवल तीन कश्मीरी गेट, आनंद विहार तथा सराय काले खाँ आईएसबीटी सक्रिय हैं जिसमें से केवल कश्मीरी गेट आईएसबीटी का ढ़ांचा 'पक्का' स्थायी है।

**पाँच आईएसबीटी की स्थान निर्धारण को दर्शाता मैप**

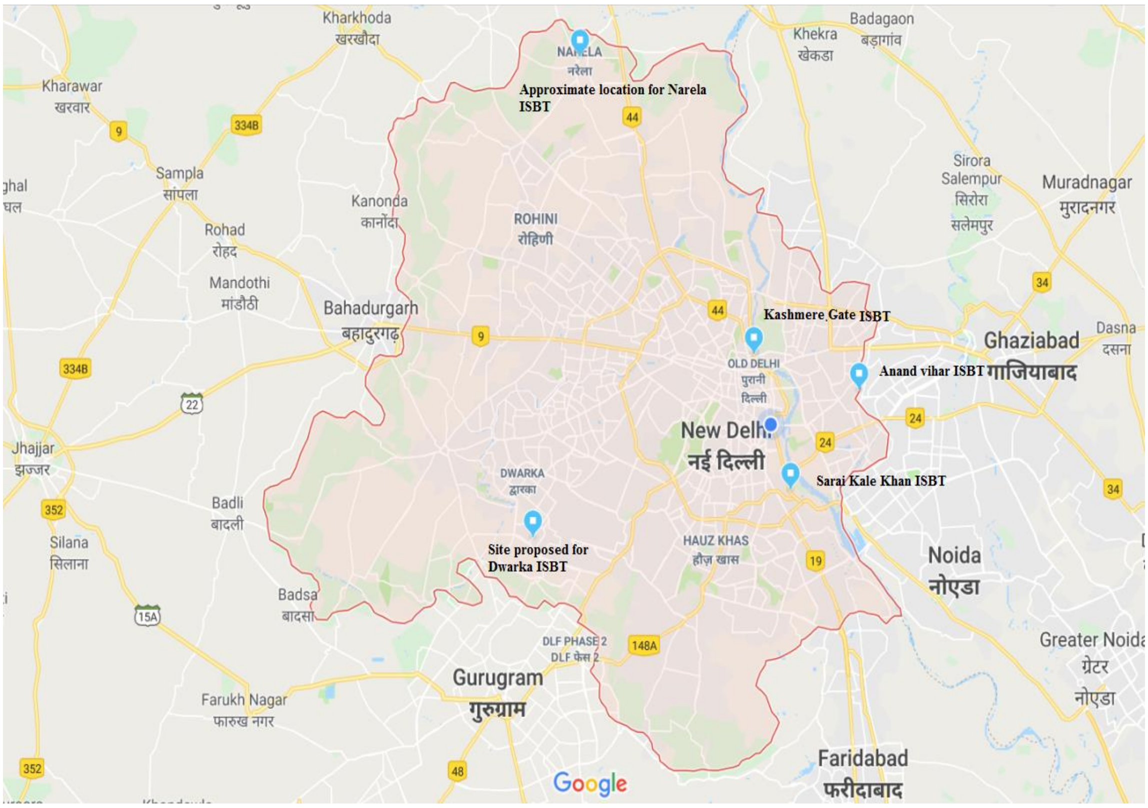


स्रोतः गूगल मैप

कश्मीरी गेट आईएसबीटी के उन्नयन, आनंद विहार तथा सराय काले खाँ के दो आईएसबीटी का पुनर्विकास तथा द्वारका और नरेला के आईएसबीटी के निर्माण के उद्देश्य से केबिनेट ने सभी पाँच आईएसबीटी के विकास/ पुनरूद्धार कार्य के लिए दिल्ली इंटीग्रेटेड मैट्रो ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया (सितंबर 2008)। परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने तब डीआईएमटीएस के साथ परियोजना निधियों के प्रबंधन सहित योजना, निर्माण, परियोजना प्रबंधन, अनुरक्षण, डिजाइन तथा कार्यान्वयन का अनुबंध किया (जून 2010)।

तत्पश्चात, डीटीआईडीसी ने परिवहन विभाग से इन परियोजनाओं को ले लिया (अप्रैल 2011)। अगस्त 2016 तक पाँच परियोजनाओं में से चार परियोजनाओं जैसे आनंद विहार और सराय काले खाँ के दो प्रचालित आईएसबीटी के पुनर्विकास कार्य तथा द्वारका और नरेला के दो नए आईएसबीटी के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई

थी। उसके पश्चात, सरकार ने (अगस्त 2016) डीटीआईडीसी से तीन परियोजनाओं (सराय काले खाँ आईएसबीटी, आनंद विहार आईएसबीटी तथा द्वारका आईएसबीटी) को लो.नि.वि. को सौंपने का प्रस्ताव रखा परन्तु अंतिम निर्णय अभी जुलाई 2019 तक लिया जाना था। इस प्रकार, डीटीआईडीसी वर्तमान में कश्मीरी गेट आईएसबीटी की उन्नयन परियोजना की समाप्ति तथा नरेला आईएसबीटी के विकास के अतिरिक्त केवल तीन प्रचालित आईएसबीटी के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है, जिनके लिए भूमि का आवंटन अभी किया जाना है।

सरकार ने, पीडब्ल्यूडी को निर्माण कार्य प्रस्ताव हस्तांतरित करते समय यह भी कहा कि पीडब्ल्यूडी, डीटीआईडीसी द्वारा तीन परियोजनाओं के लिए परामर्श शुल्क पर पहले से खर्च किए गए ₹ 14.46 करोड़ की प्रतिपूर्ति करेगा परन्तु डीटीआईडीसी ने अभी तक (जनवरी 2019) राशि वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अतिरिक्त, जब से पीडब्ल्यूडी ने डीटीआईडीसी को सूचित किया (अक्तूबर 2016) कि डीआईएमटीएस के साथ मौजूदा पीएमसी अनुबंधों को रद्द कर दिया जाएगा यदि उनका उपयोग पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं किया गया, परामर्श शुल्क पर किया गया खर्च व्यर्थ हो गया।

**आईएसबीटी के उन्नयन/पुनर्विकास/विकास की परियोजनाएं**

पाँच आईएसबीटी के उन्नयन/पुनर्विकास/विकास की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में त्रुटियों से संबंधित अभ्युक्तियों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है:

**(क) कश्मीरी गेट आईएसबीटी की उन्नयन परियोजना**

परियोजना के लिए पीएमसी के रूप में डीआईएमटीएस की नियुक्ति के सरकार के निर्णय (सितंबर 2008) के उपरांत रा.रा.क्षे.दि.स. के परिवहन विभाग ने डीआईएमटीएस के साथ एक अनुबंध[58] पर हस्ताक्षर किए (जून 2010)। तत्पश्चात डीआईएमटीएस ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी के उन्नयन का कार्य आगमन ब्लाक, प्रस्थान ब्लाक तथा ऑफिस ब्लाक सहित ठेकेदार 'ए' को ₹ 73.19 करोड़ पर सौंपा (जुलाई 2010), जिसे मार्च 2011 तक पूरा किया जाना था।

परियोजना में आरंभ से विलंब था चूंकि अक्तूबर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के निकट आगमन को ध्यान में रखते हुए किसी नए निर्माण कार्य को आरंभ न करने का निर्णय किया गया। तदनुरूप यद्यपि आईएसबीटी के आगमन तथा प्रस्थान ब्लाक का उन्नयन कार्य पूरा हो गया तथा मई 2013[59] में उसका उद्घाटन किया गया, ऑफिस ब्लाक का उन्नयन कार्य अभी पूरा किया जाना था (जुलाई 2019)।

[58] अनुबंध के अनुसार प.वि./डीटीआईडीसी को ठेकेदार के बिलों, पीएमसी प्रतिफल तथा परियोजना से संबंधित अन्य व्ययों का भुगतान करने हेतु परियोजना निधि में अग्रिम में पर्याप्त निधियाँ जमा करनी होंगी। पीएमसी द्वारा ऐसे बिलों की प्रमाणित प्रतियाँ परियोजना निधि के उपयोग की विवरणी सहित प.वि./डीटीआईडीसी को मासिक आधार पर प्रस्तुत करनी होंगी

[59] विभिन्न कारणों की वजह से विलंब जैसे आईएसबीटी में ड्राइंग्स/विद्यमान सेवाओं की गैर-उपलब्धता तथा परियोजना निर्दिष्टताओं में परिणामी पुनः संशोधन, बसों का बहुत अधिक आवागमन तथा आईएसबीटी की कार्यप्रणाली में टर्मिनल यूजर्स की अप्रबंधित भीड़/आवागमन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऑफिस ब्लाक के उन्नयन कार्य में बहुत अधिक विलंब डीटीआईडीसी द्वारा ठेकेदार को अपेक्षित कार्य-स्थल प्रदान करने की विफलता के कारण था।

डीटीआईडीसी के स्वयं के कार्यालय, हरियाणा रोडवेज़, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति इत्यादि सहित विभिन्न कार्यालयों द्वारा परिसरों पर कब्जा कर लिया गया।

तदनुरूप, ठेकेदार 'ए' के साथ मूल अनुबंध को बंद[60] कर दिया गया (जून 2017) तथा डीटीआईडीसी ने शेष कार्य को छः माह की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों[61] के अनुसार एक पूरक अनुबंध (₹ 6.41 करोड़ की राशि के शेष कार्य हेतु) किया। हालाँकि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए किसी अभिलेख ने अपेक्षित कार्य-स्थलों की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना पूरक अनुबंध करने हेतु किसी औचित्य को इंगित नहीं किया।

इस प्रकार, डीटीआईडीसी द्वारा ठेकेदार को कार्य-स्थल समय पर उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता की अक्षमता के कारण ठेकेदार ने आठ वर्षों से अधिक से कश्मीरी गेट आईएसबीटी के उन्नयन की परियोजना को विलंबित किया है और परिणामस्वरूप ठेकेदार तथा डीआईएनटीएस द्वारा लागत वृद्धि के रूप में ₹ 113.80 करोड़ के दावे उत्थित किए गए।

उसी समय, डीटीआईडीसी को विलंबों के लिए आरोपित करते हुए ठेकेदार 'ए' ने लागत वृद्धि के रूप में ₹ 112.07 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया (दिसंबर 2016) तथा डीआईएमटीएस ने भी ठेका अवधि के बाद की अवधि के लिए इसके अतिरिक्त परामर्श शुल्क के रूप में ₹ 1.73 करोड़ का दावा किया (अगस्त 2013)। इस प्रकार, डीटीआईडीसी की ओर से कार्यस्थलों को समयोचित ढंग से प्रदान करने की विफलता के कारण प्रभावित दलों द्वारा इसके लिए परिणामी विलंबों के साथ ₹ 113.80 करोड़ के अतिरिक्त दावे उत्थित[62] किए गए।

प.वि. तथा डीटीआईडीसी के बीच हस्ताक्षर किए गए एक अनुबंध ने भी डीआईएमटीएस (पीएमसी) द्वारा प.वि./डीटीआईडीसी को आवधिक आधार पर परियोजना निधि के उपयोग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुबंध किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि डीटीआईडीसी ने डीआईएमटीएस से

[60] यह बताया गया कि ठेके की वैधता को बढ़ाना अनिवार्य था जिनके विफल होने पर डीटीआईडीसी सभी वित्तीय दावे जो अभी तक किए गए है तथा तत्पश्चात त्रुटियों के निपटान हेतु संविदात्मक रूप से उत्तरदायी होगा। बाद में डीआईएमटीएस ने मूल अनुबंध को बंद करने का प्रस्ताव देते हुए बताया कि इसके निम्नलिखित लाभ हैं:

- शेष कार्य का निष्पादन पुनः तत्कालिक रूप से आरंभ करने का अवसर
- 2010 में दी गई दरों पर निर्माण
- मूल कार्य के बंद होने के साथ-साथ लंबित कार्यों को भी पूरा किया जा सकता है
- वार्तालाप का अवसर

[61] सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल के अनुसार पूरक अनुबंध वहाँ नहीं किए गए जहाँ लघु मदों के लिए पूरा ठेका रखना वांछनीय नहीं है अथवा पूर्व-माँग जो ठेकेदार का उत्तरदायित्व नहीं है इत्यादि

[62] इस खाते में डीटीआईडीसी द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया

समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट तथा व्यय-विवरण नहीं मांगा और न ही डीआईएमटीएस ने इसे प्रस्तुत किया। डीआईएमटीएस द्वारा जारी भुगतानों के विवरण के अभाव में डीटीआईडीसी उन्नयन परियोजना की प्रगति को कुशलतापूर्वक मॉनीटर करने अथवा परियोजना निधियों के उपयोग के सामंजस्य की स्थिति में नहीं था।

डीटीआईडीसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2019) कि जिन विभागों के कार्यालय आईएसबीटी विंग में हैं, उनको नोटिस जारी किए गए तथा पुनरूद्धार कार्य को पूरा करने के लिए परिसरों को रिक्त/स्थानांतरित करने हेतु बैठकें की गईं। उत्तर में आगे बताया गया कि पूरक अनुबंध में दिया गया कार्य स्थानीय निकायों जैसे अग्निशमन सेवाओं इत्यादि से एनओसी प्राप्त करने के सिवाय लगभग पूरा हो गया था। यह भी बताया कि डीटीआईडीसी ने कार्य निष्पादन अभिकरणों की बढ़ी हुई लागत का कोई भुगतान नहीं किया था।

**डीटीआईडीसी उन्नयन कार्य के समापन की निर्धारित तिथि के आठ वर्ष से अधिक बीत जाने पर भी पूरा करने में विफल रहा।**

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीटीआईडीसी ने कोई समर्थित प्रलेख जैसे बैठकों के कार्यवृत्त अथवा उन विभागों, जिन्होंने परिसरों को रिक्त नहीं किया था, को जारी नोटिसों की प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की थीं। यह भी पाया गया कि इतनी विलंब जून 2019 को, डीआईएमटीएस ने कार्य स्थलों[63] की गैर-उपलब्धता को सूचित किया था। इसके अतिरिक्त, डीटीआईडीसी ने पूरक अनुबंध के लिए 31 अगस्त 2019 तक अस्थायी समय के लिए बढ़ा दिया था।

डीटीआईडीसी को सुनिश्चित करना चाहिए कि कश्मीरी गेट आईएसबीटी के उन्नयन कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए चूंकि परियोजना को आरंभ में ही मार्च 2011 तक पूरा किया जाना निर्धारित था, परंतु अप्रैल 2011 में डीटीआईडीसी द्वारा कार्य को अधिकार में लेने के पश्चात आज तक भी (जुलाई 2019) पूरा नहीं किया गया है। डीटीआईडीसी को कार्य स्थलों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना पूरक अनुबंध पर किए गए हस्ताक्षर हेतु उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करना चाहिए।

### (ख) आनंद विहार तथा सराय काले खाँ आईएसबीटी के पुनर्विकास की परियोजनाएं

आनंद विहार तथा सराय काले खाँ आईएसबीटी को क्रमशः अगस्त 1993 तथा मार्च 1996 में अस्थायी बस शैड संरचनाओं वाले बस टर्मिनलों के रूप में विकसित किया गया था। सरकार ने दो आईएसबीटी के पुनर्विकास की मंजूरी दी तथा पीएमसी के रूप में डीआईएमटीएस को नियुक्त (सितंबर 2008) किया। सितंबर 2008 को आनंद विहार परियोजना का कुल परिव्यय ₹ 196.28 करोड़ था तथा सराय काले खाँ परियोजना में यह ₹ 202.17 करोड़ था। अप्रैल 2011 में डीटीआईडीसी ने दो

[63] डीटीआईडीसी कार्यालय तथा हरियाणा रोडवेज़

परियोजनाओं की नोडल एजेन्सी के रूप में इसे परिवहन विभाग से ले लिया तथा डीआईएमटीएस के साथ नया अनुबंध (जून 2011) किया।

हालाँकि, जब सरकार ने इन दो परियोजनाओं को पीडब्लयूडी को सौंपने का प्रस्ताव आरंभ किया, दोनों परियोजनाओं में अगस्त 2016 तक कोई विचारणीय प्रगति नहीं की जा सकी। हालाँकि, इन कार्यों को डीटीआईडीसी जो एजेंसी मुख्य रूप से आईएसबीटी के विकास तथा संचालनों के लिए स्थापित की गई, से पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित करने के पीछे का मूल कारण उसने लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए किसी भी दस्तावेज में प्रलेखित नहीं किया और न ही लेखापरीक्षा के सवालों के जवाब में कोई स्पष्टीकरण दिया।

दो परियोजनाओं से संबंधित विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

| सराय काले खाँ आईएसबीटी | आनंद विहार आईएसबीटी |
|---|---|
| सराय काले खाँ आईएसबीटी परियोजना का आरंभ विलंब से किया गया क्योंकि स्थल को शुरू से ही मास्टर प्लान दिल्ली (एमपीडी) 2021 में 'डिस्ट्रिक पार्क' के रूप में निर्दिष्ट (फरवरी 2007) कर दिया गया था। डीटीआईडीसी ने डीडीए से नवंबर 2012 अर्थात परियोजना लेने के 19 महीने के बाद भूमि-उपयोग को 'परिवहन' में बदलने का अनुरोध किया। भूमि-उपयोग के बदलाव को फरवरी 2015 में ही स्वीकृत किया गया जिसके पश्चात भवन योजनाओं को एसडीएमसी को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया (अगस्त 2015) जो जून 2016 तक प्रतीक्षित था। तत्पश्चात सरकार ने परियोजना को पीडब्ल्यूडी को सौंपने के प्रस्ताव की पहल की (अगस्त 2016)। इस दौरान परियोजना लागत ₹ 202.17 करोड़ से बढ़कर ₹ 371.34 करोड़ हो गई। | आनंद विहार आईएसबीटी परियोजना को स्वीकृत किया गया (सितंबर 2008) और यह प.वि. के अंतर्गत थी जो सांविधिक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी था। अप्रैल 2011 में डीटीआईडीसी ने प.वि. से परियोजना को ले लिया तथा सांविधिक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करना जारी रखा। हालाँकि, उससे पहले कि सभी सांविधिक अनुमोदन प्राप्त किए जाए तथा निविदाएं आमंत्रित की जाए दिल्ली मैट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने आनंद विहार आईएसबीटी परियोजना भूमि के बाहर भूमि के आवंटन का अनुरोध किया (जनवरी 2013)। डीएमआरसी को भूमि सौंपने की स्वीकृति सरकार द्वारा मिल गई थी तथा डीआईएमटीएस को ड्राइंग्स में सुधार करने के लिए कहा गया था (फरवरी 2014)। तदनुरूप ₹ 604.88[64] करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत पर संशोधित संकल्प योजना को स्वीकृत किया गया (फरवरी 2015)। हालाँकि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए प्रलेखों के अनुसार परियोजना वास्तुकार ने मई 2016 तक अंतिम योजनाएं प्रस्तुत नहीं की क्योंकि डीटीआईडीसी द्वारा वास्तुकार को भुगतान नहीं किए गए थे। तत्पश्चात |

[64] जबसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) मानको को संशोधित किया गया था कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया था

| | |
|---|---|
| | सरकार ने परियोजना को पीडब्ल्यूडी को सौंपने का प्रस्ताव किया (अगस्त 2016)। |

इन दो परियोजनाओं के लिए एशियन विकास बैंक (एडीबी) ने ₹ 298.84 करोड़ के ऋण (दिसंबर 2014 तक उपयोग किए जाने) संस्वीकृत किए थे (जून 2011)। हालाँकि दोनों परियोजनाओं में विलंब के कारण संस्वीकृत ऋण डीटीआईडीसी द्वारा निकाला नहीं जा सका। एडीबी ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार ₹ 69.95 लाख के वचनबद्ध प्रभारों को उद्ग्रहीत किया। एनसीआरपीबी द्वारा ₹ 69.95 लाख की राशि का भुगतान किया गया तथा उतनी ही राशि का दावा एनसीआरपीबी द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. से किया गया (अगस्त 2013) जिसने दावे को आगे डीटीआईडीसी को भेज दिया। उसके पश्चात न तो डीटीआईडीसी और न ही रा.रा.क्षे.दि.स. ने एनसीआरपीबी को भुगतान किए।

इन दो आईएसबीटी के विकास निर्माण कार्यों का पी.डब्ल्यू.डी. को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव अभी अनुमोदित किया जाना था।

**इस प्रकार, आनंद विहार तथा सराय काले खाँ आईएसबीटी अपनी स्थापना के दो दशक बीत जाने के पश्चात भी अभी तक अस्थायी बस शैड ढ़ांचे से अपर्याप्त आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं के साथ चल रहे हैं।**

### (ग) द्वारका तथा नरेला पर दो नए आईएसबीटी का विकास

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों (जुलाई 1998) के अनुसरण में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली तथा उत्तर दिल्ली से प्रवेश करने वाली बसों का प्रबंध करने हेतु तथा अंतर्राज्यीय बसों को सराय काले खाँ तथा कश्मीरी गेट आईएसबीटी पहुँचने के लिए शहर को पार करने की जरूरत को समाप्त करने के लिए क्रमशः द्वारका तथा नरेला पर दो आईएसबीटी बनाने की योजना बनाई गई। द्वारका तथा नरेला में नियोजित दो आईएसबीटी की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

#### (i) द्वारका आईएसबीटी

परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने आईएसबीटी की स्थापना के लिए सेक्टर-22, फेस-1 द्वारका में 16.11 हेक्टर भूमि हेतु डीडीए को ₹ 8.17 करोड़ का भुगतान किया (मार्च 1997)। डीडीए ने परिवहन विभाग को मई 2000 में 11 हेक्टर भूमि ही सुपुर्द की तथा शेष भूमि को जुलाई 2013 में बस डिपो हेतु आवंटित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि आईएसबीटी, द्वारका की स्थापना के लिए तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन डीआईएमटीएस द्वारा किया गया (जून 2008) जिसने परियोजना के लिए ₹ 241.63 करोड़ की अनुमानित लागत बताई थी परन्तु परिवहन विभाग अथवा डीटीआईडीसी द्वारा आईएसबीटी के विकास के लिए नोडल एजेन्सी

के रूप में कार्य लेने (अप्रैल 2011) के पश्चात भी पाँच वर्षों से अधिक से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों ने डीटीआईडीसी द्वारा अप्रैल 2011 के दौरान दिसंबर 2013 तक की गई किसी कार्रवाई को इंगित नहीं किया जब तक सैक्टर-22, द्वारका में मल्टी-मोडल-ट्रांजिट सुविधा की योजना तथा रूपरेखा के लिए बोलियां आमंत्रित नहीं की गई (दिसंबर 2013)। सफल बोलीकर्ता को परियोजना के वास्तुकार के रूप में नियुक्त किया गया (अक्तूबर 2014)। वास्तुकार द्वारा ₹ 873.78 करोड़ के आरंभिक लागत अनुमान के साथ तैयार संकल्पना योजना को डीटीआईडीसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया (अगस्त 2015) तथा सभी आवश्यक अनुमतियों को अगस्त 2016 तक प्राप्त करने का लक्ष्य था। हालाँकि, इससे पहले कि द्वारका आईएसबीटी के विकास की परियोजना आरंभ हो सकती, सरकार ने डीटीआईडीसी से परियोजना को आनंद विहार तथा सराय काले खाँ आईएसबीटी की अन्य परियोजनाओं के साथ पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित कर दिया (अगस्त 2016)।

डीटीआईडीसी अपने उत्तर में, वास्तुकार के लिए निविदाएं आमंत्रित करने में विलंब के कारणों के संबंध में मौन रहा। जब से तीन वर्ष पूर्व पीडब्ल्यूडी को कार्य के हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना था, कोई प्रगति नहीं हुई है। डीटीआईडीसी ने परियोजना की योजना तथा डिजाइनिंग के लिए निविदाओं के आमंत्रण में ढाई वर्ष तथा प्रारंभिक लागत अनुमानों के अनुमोदन के लिए आगे डेढ़ वर्ष ओर लगा दिए।

### (ii) नरेला आईएसबीटी

परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने आईएसबीटी के विकास के लिए नरेला में आवंटित आठ हेक्टर की भूमि के लिए डीडीए को ₹ 10.30 करोड़ का भुगतान[65] किया (सितंबर 2006)। डीडीए द्वारा आवंटित पहले स्थल (फरवरी 2007) को वापस ले लिया गया तथा दूसरा आवंटित स्थल (जून 2007) अतिक्रमित पाया गया (अगस्त 2007)।

अक्तूबर 2007 में, उच्च न्यायालय ने डीडीए को नरेला में आईएसबीटी के लिए एक वैकल्पिक स्थल तुरंत प्रदान कराने का निर्देश दिया तथा परिवहन आयुक्त ने भी डीडीए से न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक स्थल का कब्जा देने का अनुरोध किया (अक्तूबर 2007)। भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए अगले पाँच वर्षों तक रा.रा.क्षे.दि.स. अथवा डीटीआईडीसी द्वारा कोई सक्रिय प्रतिपादन नहीं किया गया था। डीडीए ने एक वैकल्पिक स्थल प्रस्तावित किया (जनवरी 2013) परन्तु डीटीआईडीसी ने केवल नवंबर 2017 में जाकर ही स्थल का सर्वेक्षण किया तथा पाया कि वह भी अतिक्रमित थी। डीटीआईडीसी ने फिर डीडीए को अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया (दिसंबर 2017) उसके पश्चात सितंबर 2018 तक आगे कोई प्रगति

---

[65] अक्तूबर 2003 में ₹ 3.92 करोड़ तथा मई 2007 में ₹ 6.38 करोड़

नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, डीडीए को अदा किए ₹ 10.30 करोड़ की निधियाँ अवरूद्ध थीं और आगे ₹ 6.03 करोड़[66] के ब्याज की हानि हुई। डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि जब कभी डीडीए द्वारा मुकदमेबाजी से मुक्त भूमि आवंटित की जाएगी तब वह नरेला में आईएसबीटी के विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हालाँकि, उत्तर इस बारे में मौन है कि डीडीए द्वारा जनवरी 2013 में प्रस्तुत भूमि के सर्वेक्षण में डीटीआईडीसी द्वारा चार वर्ष से अधिक क्यों लगे थे।

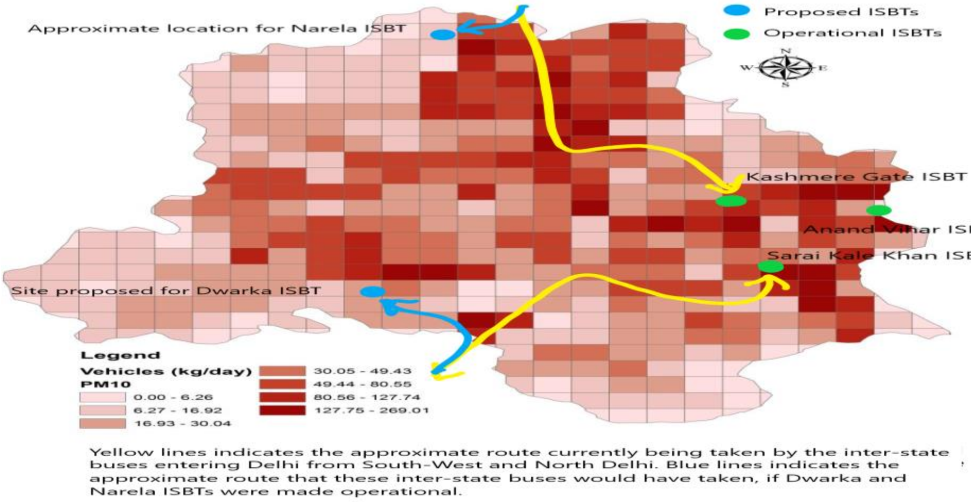


स्रोतः पर्यावरण विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को आईआईटी कानपुर द्वारा जनवरी 2016 में "दिल्ली में वायु प्रदूषण तथा ग्रीनहाऊस गैसों पर विस्तृत अध्ययन का प्रतिवेदन"

रा.रा.क्षे.दि.स. में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश से आ रही सराय काले खाँ और कश्मीरी गेट को/से दैनिक आधार पर क्रमशः 516 तथा 1243 अंतर्राज्यीय डीजल चालित बसों के कारण, वायु प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कश्मीरी गेट तथा सराय काले खाँ दोनों आईएसबीटी दिल्ली के मुख्य प्रदूषित क्षेत्र हैं **तथा इन डीजल चालित बसों का दिल्ली के भीतर न्यूनतम 50,000[67] किमी प्रतिदिन यात्रा करना अपेक्षित है, जिससे बचा जा सकता था यदि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार द्वारका तथा नरेला आईएसबीटी को चालू कर दिया जाता।**

**इस प्रकार, डीजल चालित अन्तर्राज्जीय बसों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तरी प्रवेश पर आईएसबीटी की स्थापना के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के 20 वर्ष से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी द्वारका तथा नरेला में संकल्पित आईएसबीटी जिन्हें दिल्ली की परिधि से दूर डीजल चालित अंतर्राज्जीय बसों के प्रवेश को रोकने के लिए स्थापित किया जाना था, स्थापित नहीं किए गए (जुलाई 2019)।**

---

66 अवधि के दौरान सावधि जमाओं पर लागू 7.5 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर ₹10.30 करोड़ की अवरूद्ध राशि पर परिकलित

67 दैनिक ट्रिप की संख्या जो द्वारका आईएसबीटी को हस्तांतरित किए जा सकते थे (516)*द्वारका आईएसबीटी से सराय काले खाँ आईएसबीटी की एकतरफा दूरी (30 किमी) + दैनिक ट्रिप की संख्या जो नरेला आईएसबीटी को स्थानांतरित की जी सकती थी (1243)* नरेला से कश्मीरी गेट आईएसबीटी की एकतरफा दूरी (31 किमी)

### 2.2.2.1 (ख) आईएसबीटी का संचालन तथा अनुरक्षण

तीन क्रियाशील आईएसबीटी के संचालन तथा अनुरक्षण में त्रुटियों से संबंधित अभ्युक्तियों पर चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है:

**i. स्टॉल/ दुकानें:**

कश्मीरी गेट आईएसबीटी, आनंद विहार आईएसबीटी तथा सराय काले खाँ आईएसबीटी में क्रमशः कुल 98,51 तथा सात दुकानें/स्टॉल थीं। इनमें से मार्च 2018 को कश्मीरी गेट आईएसबीटी में 22 दुकानें दो वर्ष से अधिक से रिक्त पड़ी थीं तथा आनंद विहार आईएसबीटी तथा सराय काले खाँ आईएसबीटी में क्रमशः 15 तथा सात दुकाने एक वर्ष से अधिक से खाली पड़ी थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दुकानों के लिए आरक्षित कीमत गैर-पारदर्शी ढंग से बिना किसी निश्चित प्रणाली से नियत की गई। जून 2019 में आमंत्रित निविदा में दुकानों के लिए नियत आरक्षित कीमत की नमूना-जाँच में यह पाया गया कि छोटे आकार की दुकानों (दुकान सं. 72 तथा 73) तथा अप्रत्यक्ष उपमार्ग/न्यूनतम अग्रभाग की दुकानों की प्रति वर्ग फीट आरक्षित कीमत प्रत्यक्ष उपमार्ग (दुकान सं. 71) के साथ स्थापित निकटवर्ती बड़ी दुकान के प्रति अधिक थी।

**तालिका-सं. 2.2.1**

| दुकान का विवरण | दुकान का आकार | आरक्षित कीमत |
|---|---|---|
| दुकान सं. 71 आगमन ब्लाक | 64.04 व.फी. | ₹ 25000 (₹ 390 प्रति व.फी.) |
| दुकान सं. 72 आगमन ब्लाक | 18.19 व.फी. | ₹ 20000 (₹ 1100 प्रति व.फी.) |
| दुकान सं. 73 आगमन ब्लाक | 18.19 व.फी. | ₹ 20000 (₹ 1100 प्रति व.फी.) |

**चित्र 1: प्रत्यक्ष उपमार्ग में विविधता वाली दुकानें**

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि कुछ दुकानें/स्टॉल अनुचित रूप से छोटे थे, जिनके परिणामस्वरूप निरपवाद रूप से दुकान मालिकों द्वारा रास्ते/पारपथों का अतिक्रमण किया गया था। एक व्याख्यात्मक चित्र नीचे दिया गया है जो दो निकटवर्ती दुकानों (27.55 व.फी. का आवंटित आकार), एक रिक्त (लाल) तथा दूसरी एक क्रियाशील (नीली) दुकान को दर्शाता है। क्रियाशील दुकान ने बहुत बड़े क्षेत्र में अपना विस्तार किया है जो दुकान मालिकों द्वारा अतिक्रमण पर डीटीआईडीसी के शिथिल नियंत्रण को इंगित करता है तथा संभावना यह भी है कि दुकान का वास्तविक आकार लाभ उठाए जाने के जोखिम को अव्यवहारिक बना सकता है।

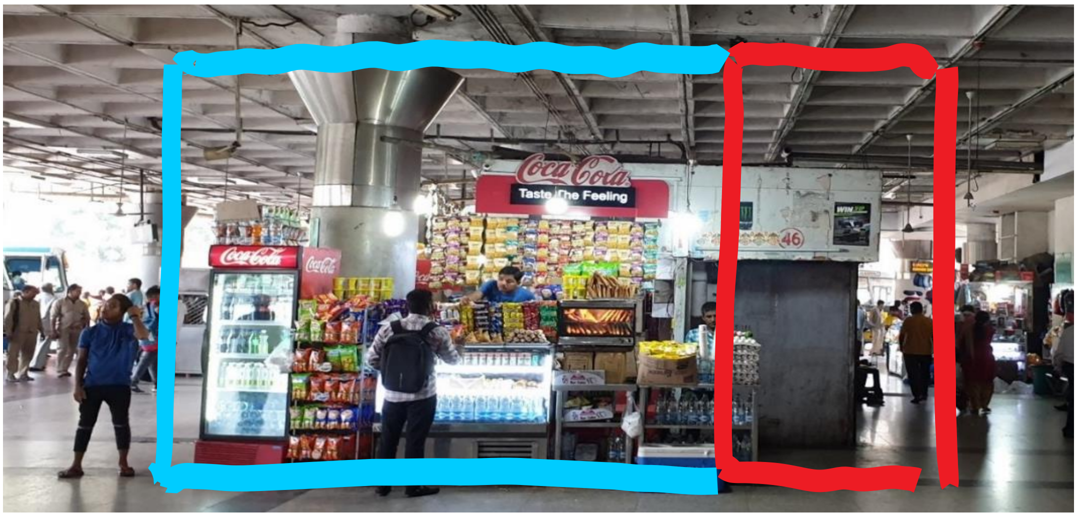


**चित्र 2: वास्तविक क्षेत्र बनाम आच्छादित क्षेत्र**

लेखापरीक्षा में अधिकतर अधिकृत दुकानों/ स्टॉलों द्वारा पैदल पारपथों (चित्र 3 तथा 4) के अतिक्रमणों को पाया गया था, जो यात्रियों के निर्बाध आवागमन में असुविधा उत्पन्न करती हैं।

**चित्र 3: पैदल पारपथों में स्टॉलों से संबंधित रखी गई मदें**

**चित्र 4: स्टॉल मालिक के अतिक्रमण से बाधित पैदल पथ**

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि वर्तमान में कश्मीरी गेट आईएसबीटी में 22 दुकानें खाली हैं जिनके लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, दुकानदारों द्वारा पैदल पारपथों पर अतिक्रमण के संबंध में संपदा प्रबंधक द्वारा समय-समय पर किराया/चालान जारी किए गए थे।

डीटीआईडीसी यात्रियों को सरकारी वेबसाइट पर किसी भी दुकान/विक्रेता के विरूद्ध शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है। हालाँकि, यह पाया गया था कि किसी भी दुकान ने अपना एकमात्र संख्या को नहीं दर्शाया था जिससे शिकायत उद्देश्यों के लिए किसी विशेष दुकान की पहचान करने में कठिनाई आई। डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि अधिकतर दुकानों को एकमात्र संख्या दी गई है। हांलाकि, अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिकायत यदि कोई है तो इस उद्देश्य के लिए आम जनता को एकमात्र संख्या दिखाई देनी चाहिए।

**क. डीटीआईडीसी को रिक्त दुकानों की निविदाओं के खराब प्रत्युतर के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए तथा बेहतर प्रत्युतर प्राप्त करने के लिए अनुबंध की शर्तों की समीक्षा पर विचार करना चाहिए।**

**ख. डीटीआईडीसी को दुकानों की आरक्षित कीमत की औचित्यता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यप्रणाली पर विचार करना चाहिए जिससे अधिक निविदाओं को आकर्षित किया जा सके।**

**ग. डीटीआईडीसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकान/स्टॉल मालिकों द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं हैं।**

- **सभी आईएसबीटी में एक वर्ष से अधिक के लिए दुकानें रिक्त रहीं।**
- **सराय काले खाँ आईएसबीटी में कोई दुकान/स्टॉल अधिकृत नहीं थे।**
- **दुकानों/स्टॉलों के लिए स्थान अपर्याप्त थे तथा विद्यमान दुकानों द्वारा अतिक्रमण भी देखा गया।**

**ii. ऑफिस स्थान:**

कश्मीरी गेट आईएसबीटी में, डीटीआईडीसी ने विभिन्न निजी तथा सरकारी इकाईयों को ऑफिस ब्लाक में किराये पर स्थान दिया है। हालाँकि, दोनों से निजी के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों से भी देय किराये प्राप्त किए जाने थे। 2013-14 से 2017-18 तक पाँच वर्षों की अवधि के दौरान बकाया देयों की राशि में 31 मार्च 2014 को ₹ 8.08 करोड़ से 31 मार्च 2018 को ₹ 28.82 करोड़ तक की लगातार वृद्धि आई है। ₹ 28.82 करोड़ में से ₹ 15.56 करोड़ (54 प्रतिशत) तथा ₹ 7.53 करोड़ (26 प्रतिशत) की राशि क्रमशः डीआईएमटीएस तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से बकाया थी।

सामान्य विवेक के सिद्धांत में अपेक्षित है कि किसी भी वाणिज्यिक स्थान को उचित बाजार मूल्य पर किराए पर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि डीटीआईडीसी को ज्ञात था (अगस्त 2012) कि कश्मीरी गेट क्षेत्र में बाजार किराया डीआईएमटीएस से प्रभारित किए जाने वाले ₹ 45 प्रति वर्ग फुट की दर के प्रति ₹ 175 प्रति वर्ग फुट से अधिक था फिर भी इसने बिना उचित प्रक्रिया के पालन के केवल दो वर्षों से अधिक के पश्चात ही किराए को ₹ 100 प्रति वर्ग फुट तक बढ़ाया (जनवरी 2015 में)। इसके अतिरिक्त, डीटीआईडीसी ने केवल छः वर्षों के अंतराल के पश्चात डीआईएमटीएस को किराए पर दिए गए परिसरों का उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सिफारिश की जिसका पीडब्ल्यूडी ने आज तक कभी निर्धारण नहीं किया था।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि किराया निर्धारण समिति जिसमें लोक निर्माण विभाग के स्वतंत्र सदस्य हैं की सिफारिशों तथा इसके परिपत्र दिनांक 21 दिसंबर 2018 के अनुसार लाइसेंस शुल्क जनवरी 2019 से संशोधित कर दिया गया है।

31 दिसंबर 2018 तक के बकायों को जमा कराने के लिए माँग पत्र भी जारी कर दिए गए हैं।

### iii. अग्नि रोकथाम प्रणाली

**चित्र 5 : अग्नि हाईड्रेंट स्टॉल द्वारा अवरूद्ध**

किसी सार्वजनिक स्थान विशेषतः आईएसबीटी में फोसिल फ्यूल पर चल रही बहुत सी बसों में अग्नि रोकथाम उपकरण आपातकाल के मामले में उपयोग के लिए आसानी से सुलभ होने चाहिए। यह पाया गया कि सभी तीन क्रियाशील आईएसबीटी अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उनकी उन्नयन/पुनर्विकास परियोजनाएं अभी तक पूरी की जानी थीं।

कश्मीरी गेट आईएसबीटी में यह पाया गया कि अग्नि हाइड्रेंटस कुछ स्थानों पर अधिष्ठापित किए गए हैं परन्तु दुकानों/स्टॉलों (चित्र 5) को प्रदर्शित वस्तुओं, डस्टबिनों इत्यादि द्वारा अवरूद्ध किया गया था जो अग्नि दुर्घटना के मामले में उनकी पहुँच को कठिन बनाता है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कश्मीरी गेट आईएसबीटी के उन्नत आगमन तथा प्रस्थान ब्लाक पाँच वर्षों से अधिक से क्रियाशील थे फिर भी डीटीआईडीसी अभी तक अग्नि विभाग से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि ऑफिस ब्लाक अभी तक पूरा किया जाना है।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि आईएसबीटी के नवीकरण/उन्नयन का कार्य प्रगति पर है तथा अग्नि विभाग से एनओसी, आईएसबीटी के उन्नयन कार्य की समाप्ति के पश्चात ही प्राप्त किया जा सकता है।

### iv. सार्वजनिक सुविधाएं, हाउसकीपिंग तथा सुरक्षा प्रबंध

डीटीआईडीसी तीन आईएसबीटी का अनुरक्षण पहरेदारी एवं निगरानी, हाउसकीपिंग तथा स्वच्छता इत्यादि के लिए रियायतग्राही नियुक्त करता है। सार्वजनिक सुविधाओं, हाउसकीपिंग तथा सुरक्षा प्रबंधों के अनुरक्षण से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ निम्नलिखित है:

क. यह पाया गया कि कश्मीरी गेट आईएसबीटी में सभी यात्री सुरक्षा चैक-प्वाईंट से होकर गुजरते हैं तथा सामान की भी उचित प्रकार से जांच की जाती है। हालाँकि, आनंद विहार तथा सराय काले खाँ दोनों आईएसबीटी में यात्रियों की मुक्त पहुँच तथा अप्रतिबंधित आवागमन था। इसलिए इन दो आईएसबीटी में सुरक्षा स्तर कश्मीरी गेट आईएसबीटी के सुरक्षा स्तरों की अपेक्षा बहुत निम्न था जिससे बहुत जोखिम होता है।डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि दोनों आईएसबीटी में यात्रियों की जाँच के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। यह भी बताया गया कि दिल्ली पुलिस को सामान की उचित जाँच के लिए

अपने स्वयं के सामान स्क्रीनर प्रदान करने का अनुरोध किया (जुलाई 2018) गया है।

ख. कश्मीरी गेट से पृथक आनंद विहार तथा सराय काले खाँ दोनों आईएसबीटी में निर्दिष्ट पैदल क्रासिंग सुविधाओं के अभाव में पैदलयात्री तथा यात्रियों को ट्रैफिक के बीच से रास्ता पार करना पड़ता है। इस प्रकार निर्दिष्ट पैदल यात्री क्रॉसिंग सुविधाओं का अभाव पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए खतरा है **(चित्र 6 तथा 7)**। डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि दोनों आईएसबीटी वर्तमान में अस्थायी अवसंरचना के साथ कार्य कर रहे हैं तथा सराय काले खाँ आईएसबीटी में पैदल यात्रियों के प्रवेश के लिए एक अलग रास्ता बनाया गया है (जनवरी 2019)।

**चित्र 6: एसकेके आईएसबीटी पर पैदल यात्रियों का आवागमन**

**चित्र 7: एवी आईएसबीटी पर पैदल यात्रियों का आवागमन**

ग. इसी प्रकार, कश्मीरी गेट आईएसबीटी की तुलना में आनंद विहार तथा सराय काले खाँ आईएसबीटी में सार्वजनिक सुविधाएं जैसे सामान्य स्वच्छता **(चित्र 8)**, बैठने का स्थान **(चित्र 9)** अपर्याप्त, नाकाफी तथा खराब स्थिति में था। डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि बैठने के स्थान को बेंच लगाकर बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के सुझावों/अभ्युक्तियों को अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

**चित्र 8 : एवी आईएसबीटी में कूड़े का जमाव**

**चित्र 9 : एस.के. के आईएसबीटी में प्रतीक्षा हॉल में टूटी हुई कुर्सियां**

घ. यह पाया गया, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है, कि आनंद विहार आईएसबीटी तथा कश्मीरी गेट आईएसबीटी की तुलना में सराय काले खाँ आईएसबीटी में शौचालय खराब स्थिति में थे।

**चित्र 10: सराय काले खाँ आईएसबीटी**

**चित्र 11: आनंद विहार आईएसबीटी**

**चित्र 12: कश्मीरी गेट आईएसबीटी**

### 2.2.2.2 बस क्यू शैल्टर

रा.रा.क्षे.दि.स., के परिवहन विभाग, द्वारा दिल्ली में सभी[68] बीक्यूएस के निर्माण और रखरखाव का उत्तरदायित्व डीटीआईडीसी को सौंपा गया (अगस्त 2012)। डीटीआईडीसी को परिवहन विभाग/दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के दायित्वों के निष्पादन तथा रियायत समझौतों के संबंध में उस पर मासिक भुगतानों की वसूली/ प्राप्ति के लिए सभी रियायतग्राहियों[69] के साथ एक पूरक अनुबंध करना था। मार्च

[68] एनडीएमसी द्वारा चलाए जा रहे 197 बी क्यू एस को छोड़कर

[69] रियायतग्राहियों के लिए बीक्यूएस का रख-रखाव तथा डीटीआईडीसी के साथ विज्ञापन स्थल की बिक्री/किराए से उत्पन्न राजस्व का हिस्सा करना आवश्यक था।

2018 को डीटीआईडीसी 1594 बीक्यूएस का रखरखाव कर रहा था जैसाकि **तालिका-2.2.2** में दिया गया है:

**तालिका-2.2.2: 1594 बीक्यूएस के विवरण**

| बीक्यूएस की सं. | मूल रूप से निम्न द्वारा अनुरक्षित | निम्न तक ठेका | डीटीआईडीसी ने कब्जा लिया | वर्तमान में रखा गया | राजस्व अनुबंध |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 | डीओटी/राजदीप पब्लिसिटी लिमिटेड | मार्च 2017 | अगस्त 2012 | पूर्व ठेका अवधि की समाप्ति के पश्चात एआरसी आउटडोर मीडिया लिमिटेड (दिसंबर 2017 से) | ठेका अवधि: दिसंबर 2027 तक 10 वर्ष 5 *प्रतिशत* वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 4.14 करोड़ का वार्षिक शुल्क। |
| 319 | डीओटी/जेसी डीकोक्स | अप्रैल 2032 | मार्च 2013 | जेसी डीकोक्स के साथ आज तक ठेके जारी हैं | डीटीआईडीसी के साथ 39% का राजस्व हिस्सा |
| 100 | डीओटी/जेसी डीकोक्स | अप्रैल 2032 | मार्च 2013 | | 5 *प्रतिशत* वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 1.12 करोड़ का वार्षिक शुल्क |
| 238 | डीओटी/जेसी डीकोक्स | अक्तूबर 2032 | मार्च 2013 | | 5 *प्रतिशत* वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 4 करोड़ वार्षिक शुल्क तथा डीटीआईडीसी के साथ 40% राजस्व हिस्सा |
| 100 | डीओटी/जेसी डीकोक्स | अक्तूबर 2032 | मार्च 2013 | | |
| 250 | डीआईएमटीएस/ डीकोक्स | अप्रैल 2030 | सितंबर 2012 | | 5 *प्रतिशत* वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 2.78 करोड़ वार्षिक शुल्क; तथा डीटीआईडीसी के साथ 16 *प्रतिशत* राजस्व हिस्सा |
| 156 | डीटीसी/प्रभातम एडवरटाइजिंग | अप्रैल 2014 | मई 2014 | पूर्व ठेका अवधि की समाप्ति के पश्चात टाइम्स इनोवेटिव लिमिटेड (दिसंबर 2014 से) | प्रत्येक वर्ष 5 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ ₹ 2 करोड़ वार्षिक शुल्क; तथा 46 *प्रतिशत* राजस्व हिस्सा |

डीटीआईडीसी द्वारा बीक्यूएस के निर्माण तथा अनुरक्षण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

### (क) नये बीक्यूएस के निर्माण में विलंब

डीटीआईडीसी को रा.रा.क्षे. दिल्ली में सभी बीक्यूएस के निर्माण तथा रखरखाव का अधिदेश है। हालाँकि, डीटीआईडीसी ने अक्तूबर 2013 में 1173 बीक्यूएस के लिए चार बार, मई 2014 में बेहतर राजस्व संभावना वाले स्थानों पर 509 बीक्यूएस के लिए, फरवरी 2015 में संशोधित डिजाइन विशिष्टताओं वाले 1173 बीक्यूएस के लिए तथा दिसंबर 2017 में 1397 बीक्यूएस के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं परन्तु किसी भी निविदा को निविदाकारों के प्रत्युतर न करने/खराब प्रत्युतर के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका। डीटीआईडीसी ने 1397 बीक्यूएस के निर्माण की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने के लिए एक समिति का भी गठन (मई 2018) किया। परन्तु समिति के प्रयासों का कोई परिणाम अभिलेख में नहीं पाया गया था।

**डीटीआईडीसी ने पिछले पाँच वर्षों में किसी नए बीक्यूएस का निर्माण नहीं किया है।**

यद्यपि डीटीआईडीसी को निविदाओं का खराब प्रत्युत्तर मिला तथा अतिरिक्त बीक्यूएस के निर्माण हेतु जनता से कई अभिवेदन प्राप्त हुए फिर भी इसने वैकल्पिक निधीयन पद्धतियों पर विचार नहीं किया और न ही बीक्यूएस के निर्माण हेतु निधीयन के लिए सरकार से सिफारिश की।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि उसने पाँच बार ऐसे विक्रेता की पहचान के लिए प्रयास किया था जो इन स्थानों पर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) पद्धति से बीक्यूएस का निर्माण कर सकता है तथा नवंबर 2013, जून 2014, फरवरी 2015 तथा दिसंबर 2017 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। हालाँकि, स्टेनलेस स्टील की बीक्यूएस की उच्च लागत, विज्ञापन द्वारा 1397 बीक्यूएस के प्रस्तावित स्थान से राजस्व आकृष्ट करने की कम क्षमता, या बीक्यूएस की विज्ञापन क्षमता का संतृप्ति तक पहुँचने के कारण प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने आगे बताया कि सरकार बीक्यूएस का निर्माण पीपीपी पद्धति की बजाय सरकारी निधियों से करेगी।

### (ख) बीक्यूएस की खराब स्थिति

लेखापरीक्षा ने 92 बस क्यू शैल्टरों का संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन किया तथा पाया कि 26 पुराने बीक्यूएस जिनको अभी तक पुनः डिजाइन नहीं किया गया था, जर्जर हालत में थे जो यात्रियों का धूप और बरसात से बचाव नहीं कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने 66 बीक्यूएस में टूटी हुई टाइलें, टूटी हुई छत, दिव्यांगों के लिए अनुकूल पहुंच का गैर-प्रावधान तथा स्थानीय फेरी वालों द्वारा अतिक्रमण इत्यादि पाया। कुछ व्याख्यात्मक चित्र नीचे दिए गए हैं:

चित्र 13 :बैठने के स्थान के बिना पुराने बीक्यूएस

चित्र 14 : टूटे हुए फर्श के साथ खराब रूप से रखरखाव किए गए बीक्यूएस

चित्र 15: टूटी हुई छत वाले बीक्यूएस

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि यद्यपि रियायतग्राही के साथ अनुबंधों में डीटीआईडीसी के अधिकारियों तथा रियायतग्राही द्वारा बीक्यूएस का आवधिक संयुक्त निरीक्षण आवश्यक होता है, किए गए किसी संयुक्त निरीक्षण का कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि इसने चार बार निविदाएं आमंत्रित की थीं परन्तु पुराने 26 बीक्यूएस को पुनः डिजाइन नहीं किया जा सका क्योंकि वहाँ निविदाकारों का कोई प्रत्युत्तर नहीं था/खराब प्रत्युतर था। इसके अतिरिक्त इसने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षित शेष 66 बीक्यूएस के नवीकरण/उन्नयन कार्य को अब पूरा कर लिया गया है तथा यात्रियों के उपयोग के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

**(ग) 157 बीक्यूएस का कब्जा लेने में विलंब के कारण ₹ 1.16 करोड़ की हानि**

डीटीसी का 157 बीक्यूएस, जिन्हें रियायतग्राही से राजस्व हिस्से की वसूली के अधिकार के साथ अगस्त 2012, से डीटीआईडीसी को स्थानातंरित किया जाना था, के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए रियायतग्राही के साथ एक अनुबंध था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में, पाया गया कि डीटीआईडीसी ने रियायतग्राही के जरिए डीटीसी द्वारा रख-रखाव किए जा रहे इन बीक्यूएस का कब्जा लेने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। अप्रैल 2014 में ठेके की समाप्ति के पश्चात डीटीसी ने डीटीआईडीसी को 156 (157 की बजाय) बीक्यूएस (मई 2014) की सूची प्रस्तुत की जो उपेक्षित पड़े थे। इसके पश्चात डीटीआईडीसी ने विज्ञापन अधिकारों के बदले में 'जैसा है जहां है आधार' पर इन बीक्यूएस के अनुरक्षण हेतु निविदाएं आमंत्रित की (जुलाई 2014) तथा यह ठेका किसी अन्य रियायतग्राही को सात वर्षों के लिए सौंप दिया गया (दिसंबर 2014)।

इस प्रकार यद्यपि डीटीआईडीसी को अगस्त 2012 में तुरंत ही बीक्यूएस का कब्जा लेना था फिर भी इसने अप्रैल 2014 तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। परिणामस्वरूप, 156 बीक्यूएस छः माह से अधिक के लिए उपेक्षित रहे तथा परिणामस्वरूप डीटीआईडीसी को ₹ 1.16 करोड़[70] के राजस्व की हानि भी हुई।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि डीटीसी ने बीक्यूएस को अप्रैल 2014 में रियायत अनुबंध के समाप्त होने के पश्चात डीटीआईडीसी को सौंपा तथा डीटीसी से संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने का अनुरोध किया जिसमें डीटीसी ने सहयोग करने से मना कर दिया। रियायतग्राही को कार्य सौंपने के लिए निविदाओं को दिसंबर 2014 में अंतिम रूप दिया गया था।

---

70 ₹ 50 लाख (न्यूनतम तिमाही रियायत शुल्क)/3x7 महीनें

### (घ) 82 बीक्यूएस की स्थिति को सुनिश्चित करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 8.82 करोड़ का अवरोधन

परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 431 बीक्यूएस के विपणन, संचालन तथा अनुरक्षण हेतु रियायतग्राही के साथ एक अनुबंध किया (जून 2011)। इन बीक्यूएस में कुछ कमियां थीं जिन्हें रियायतग्राही को चरणबद्ध[71] ढ़ग में सौंपने से पहले उनमें सुधार किया गया था। बाद में डीटीआईडीसी ने परिवहन विभाग से इन 431 बीक्यूएस के संचालन तथा अनुरक्षण का अधिकार लिया (अगस्त 2012) परंतु रियायतग्राही के साथ पूरक अनुबंध नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीटीआईडीसी ने शेष 82 बीक्यूएस की सुपुर्दगी की स्थिति सुनिश्चित किये बिना केवल 349 बीक्यूएस के बिल प्रस्तुत किए तथा फरवरी 2017 में 82 बीक्यूएस के लिए ₹ 8.82 करोड़ के बिल प्रस्तुत किए। हालाँकि 82 बीक्यूएस के लिए बिलों को प्रस्तुत करने पर रियायतग्राही ने मामले को मध्यस्थता में लिया (अप्रैल 2018) और कहा कि इन बीक्यूएस को कभी नहीं सौंपा गया। मध्यस्थता का मामला जुलाई 2019 तक लंबित था।

इसके अतिरिक्त, डीटीआईडीसी ने 2016-17 में अपने लेखे में ₹ 8.82 करोड़ की राशि को अपनी आय के रूप में दर्ज किया तथा बिना किसी कानूनी राय के ₹ 2.64 करोड़ आयकर (मार्च 2018) के रूप में तथा ₹ 1.32 करोड़ सेवा कर (मार्च 2017) के रूप में अदा किया। परिणामस्वरूप डीटीआईडीसी ने 82 बीक्यूएस के लिए ₹ 8.82 करोड़ के बिलों की समय पर गैर-प्रस्तुति के कारण ₹ 1.41[72] करोड़ के ब्याज की हानि वहन की।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि 431 बीक्यूएस का कार्यभार लेने पर डीटीआईडीसी ने केवल 349 बीक्यूएस के लिए रियायत शुल्क का दावा करना आरंभ किया। जब यह पता चला कि 01.09.2012 से 82 बीक्यूएस के रियायत शुल्क का दावा किया जाना था तो डीटीआईडीसी ने फरवरी 2017 में 82 बीक्यूएस के लिए ₹ 8.82 करोड़ के बिलों को प्रस्तुत किया तथा मार्च 2017 और मार्च 2018 में ₹ 3.96 करोड़ का कर (सेवाकर के रूप में ₹ 1.32 करोड़+आयकर के रूप में ₹ 2.64 करोड़) अदा किया। डीटीआईडीसी ने आगे बताया कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी होने से बिल जारी करने के पश्चात सेवाकर तथा आयकर का भुगतान अनिवार्य बाध्यता है। चूंकि मामला मध्यस्थता में विचाराधीन है इसलिए बकाया देयों की वसूली का निर्णय मध्यस्थता निर्णय के पश्चात लिया जाएगा।

---

[71] 1 दिसंबर 2011 को 157 बीक्यूएस, 1 मार्च 2012 को 192 बीक्यूएस तथा 1 अप्रैल 2012 को 82 बीक्यूएस

[72] ब्याज की हानि के बिलों को उत्थित करने में (सितंबर 2012 से जनवरी 2017 के बीच) विलंब के आधार पर संबंधित बिल मूल्य तथा संबंधित समय पर प्रचलित सावधि जमा ब्याज की न्यूनतम दर (7.25 प्रतिशत) पर परिकलित किया गया।

### (ड़) 431 बीक्यूएस के छः माह के गैर-अनुरक्षण तथा निविदा प्रक्रिया में विलंब के कारण ₹ 2.85 करोड़ की राजस्व हानि

रियायतग्राही को आवंटित 431 बीक्यूएस के संचालन तथा अनुरक्षण का अनुबंध नवंबर 2016 से मार्च 2017 के बीच चरणों[73] में समाप्त हुआ। हालाँकि, डीटीआईडीसी ने 157 बीक्यूएस के पहले बैच की समाप्ति के दो महीने के बाद बी क्यू एस के लिए निविदाएं आमंत्रित की (जनवरी 2017)। निविदा प्रक्रिया में छः माह से अधिक लगे तथा सभी 431 बीक्यूएस अंततः नए रियायतग्राही को सौंप दिए गए (अक्तूबर 2017)।

डीटीआईडीसी को अनुबंध की समाप्ति से पहले निविदा प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए थी। 157, 192 तथा 82 बीक्यूएस के मामले में निविदा प्रक्रिया आरंभ करने में विलंब के कारण बीक्यूएस क्रमशः ग्यारह, आठ तथा छः माह तक उपेक्षित रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.85 करोड़[74] के राजस्व की हानि भी हुई।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि 431 बीक्यूएस के संचालन तथा अनुरक्षण का अनुबंध मार्च 2017 को समाप्त हुआ तथा नई निविदाएं जनवरी 2017, मई 2017, जून 2017 तथा अगस्त 2017 को आमंत्रित की गई थी। जनवरी 2017 तथा जून 2017 में आमंत्रित निविदाओं को डीटीआईडीसी के निदेशक मंडल द्वारा उद्धृत कम दरों के कारण रद्द कर दिया गया था तथा मई 2017 में आमंत्रित निविदाओं पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। हालाँकि, अगस्त 2017 में आमंत्रित निविदा को अक्तूबर 2017 में सौंप दिया गया था। अतः यह बताया गया कि निविदा प्रक्रिया आरंभ करने में कोई विलंब नहीं हुआ। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि 431 बीक्यूएस के लिए निविदाएं जनवरी 2017 तथा अगस्त 2017 के दौरान आमंत्रित की गई थी जबकि 157 बीक्यूएस का अनुबंध नवंबर 2016 में समाप्त हो चुका था।

**निविदा प्रक्रिया समय से आरंभ न करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.85 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।**

## 2.2.3 वित्तीय प्रबंधन

2017-18 के लेखे तैयार नहीं किए गए हैं। 2016-17 के लेखे अस्थायी हैं तथा वार्षिक सामान्य बैठक में अभी अनुमोदित किए जाने हैं।

31 मार्च 2017 को समाप्त चार वर्षों के लिए डीटीआईडीसी के कार्य परिणामों को **तालिका-2.2.3** में दिया गया है।

[73] 30 नवंबर 2016 को 157 बीक्यूएस, 28 फरवरी 2017 को 192 बीक्यूएस तथा 31 मार्च 2017 को 82 बीक्यूएस

[74] 248 दिनों के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क ₹ 34,56,600 के आधार पर परिकलित (₹ 34,56,600/30x248)

## तालिका-2.2.3: डीटीआईडीसी के कार्य परिणाम

*(₹ लाख में)*

| विवरण | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 (अस्थायी) |
|---|---|---|---|---|
| **संचालनों से राजस्व** | | | | |
| वस्तुओं की टर्नओवर (होलोग्राम) | 101.02 | 110.80 | 99.86 | 97.52 |
| बीक्यूएस से लाइसेंस शुल्क | 1,657.64 | 1,716.59 | 1,990.05 | 3,293.07 |
| समग्र शुल्क | 136.65 | 259.04 | 153.86 | 298.41 |
| पार्किंग शुल्क | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| स्टैंड शुल्क | 1,687.67 | 1,696.33 | 1,653.72 | 1,754.02 |
| लाइसेंस शुल्क (किराया) | 696.98 | 991.81 | 1,165.88 | 1,336.20 |
| अन्य आय | 13.60 | 731.51 | 173.22 | 289.32 |
| एफडीआर आय पर ब्याज | 3,048.77 | 3,271.54 | 3,362.63 | 1,538.87 |
| **कुल आय (क)** | **7,396.33** | **8,831.62** | **8,653.22** | **8,661.41** |
| **बिक्री की लागत** | | | | |
| व्यापार में माल का क्रय | 1.55 | 2.97 | 1.43 | 1.54 |
| माल में बदलाव | 0.01 | 0.01 | 0.07 | (0.07) |
| कर्मचारी लाभ व्यय | 703.25 | 786.38 | 907.55 | 701.82 |
| वित्त लागत | 1,825.10 | 2,022.42 | 2,057.27 | 151.13 |
| प्रशासन, विक्रय तथा अन्य व्यय | 1,861.11 | 2,692.51 | 2,614.89 | 2,034.00 |
| मूल्यह्रास | 189.14 | 206.83 | 173.15 | 155.66 |
| **कुल व्यय (ख)** | **4,580.16** | **5,711.12** | **5,754.36** | **3,044.08** |
| **लाभ (क-ख)** | **2,816.17** | **3,120.50** | **2,898.86** | **5,617.33** |

वर्ष 2016-17 के दौरान बीक्यूएस से लाइसेंस शुल्क में वृद्धि मुख्यतः पिछले चार वर्षों से डीटीआईडीसी द्वारा 82 बीक्यूएस के लिए बिल जारी करने (सितंबर 2012 से फरवरी 2017 की अवधि के लिए) के कारण थी जो 2016-17 के दौरान उत्थित किए गए। 2014-15 के दौरान 'अन्य आय' में वृद्धि आनंद विहार आईएसबीटी में डीएमआरसी से भूमि हस्तांतरण के बदले प्राप्तियों के कारण थी। एफडीआर पर ब्याज 2016-17 में कम हो गया क्योंकि एफडीआर के रूप में रखे ₹ 175.75 करोड़ को रा.रा.क्षे.दि.स. को वापिस कर दिए गए (पैरा 2.2.3.2 में वर्णित) जिसके परिणामस्वरूप 2016-17 में ब्याज आय तथा वित्त लागत में कमी आई। कार्य परिणामों के सार को **चार्ट-2.2.1** में दर्शाया गया हैं।

**चार्ट-2.2.1**

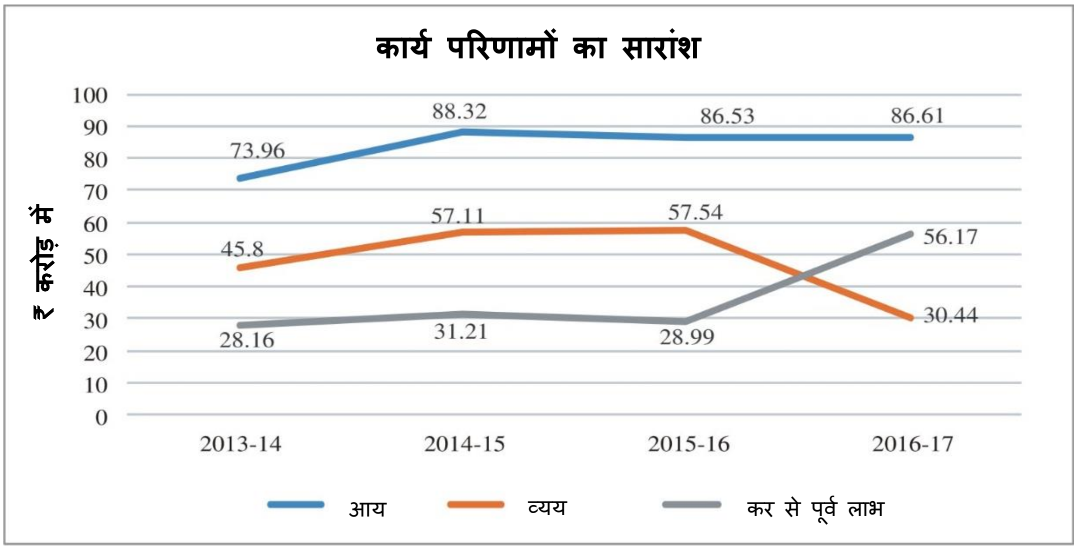


लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि डीटीआईडीसी द्वारा लेखांकन में सहायता के लिए एक सी.ए. फर्म को काम पर रखा, फिर भी लेखांकन पद्धति कमजोर थी क्योंकि उसमें काफी कमियां पाई गईं, जैसे आयकर रिटर्नों को फाईल करने में चूक, रा.रा.क्षे.दि.स. को कम भुगतान तथा सावधि जमाओं के नवीकरण में विलंब और वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब।

डीटीआईडीसी द्वारा वित्तीय प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

### 2.2.3.1 आईटीआर फाईल करने में चूक/विलंब तथा अग्रिम कर के भुगतान से चूक/आस्थगन के कारण ₹ 2.76 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर अधिनियम 1961 (आईटी अधिनियम) के अनुसार, ब्याज आयकर रिटर्न (आईटीआर) को प्रस्तुत करने में चूक, अग्रिम कर के भुगतान में चूक तथा अग्रिम कर के आस्थगन के लिए देय होता है। **डीटीआईडीसी वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के लिए आईटीआर को समय पर प्रस्तुत करने में चूक गया** तथा आयकर विभाग ने डीटीआईडीसी को 31 मार्च 2018 से पहले कथित वि.व. के लिए सही और उचित आईटीआर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया (मार्च 2018)। तदनुसार, डीटीआईडीसी ने रिटर्न फाइल की, इसे आईटीआर फाईल करने में चूक के लिए ₹ 0.75 करोड़, अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ₹ 1.46 करोड़ तथा अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ₹ 0.55 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना पड़ा, जिससे बचा जा सकता था यदि डीटीआईडीसी ने आईटी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया होता।

**इस प्रकार, आईटीआर फाईल करने में चूक/विलंब तथा अग्रिम कर के भुगतान में चूक/आस्थगन के कारण डीटीआईडीसी ने ₹ 2.76 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।**

**2014-15 से 2016-17 वर्षों के लिए आयकर रिटर्नों को फाइल करने में विलंब के कारण डीटीआईडीसी को कर प्राधिकारियों को ₹ 2.76 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा था।**

डीटीआईडीसी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए आईटीआर फाईल करने में चूक/विलंब की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर विवाद नहीं किया। उसने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि डीटीआईडीसी के अंतर्गत आईएसबीटी के जीएम कार्यालय (परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.) का कार्यभार लेने के पश्चात (अप्रैल 2011) पूर्व के आईएसबीटी के जीएम कार्यालय की लेखा पुस्तिकाओं को प्रोद्भवन आधार पर दोहरी प्रविष्टी प्रणाली में रखना अपेक्षित था तथा कंपनी अधिनियम 1956 की आवश्यकता के अनुसार आईएसबीटी कार्यालय के वित्तीय लेखांकन के समेकन तथा समाधान हेतु बहुत बड़ी मात्रा में पिछले वित्तीय आंकड़े थे। इस प्रकार कुछ परिस्थितियों के कारण लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ तथा परिणामस्वरूप कर अनुपालन को पूरा नहीं किया जा सका। डीटीआईडीसी ने आगे बताया कि उसने वित्तीय वर्ष 2017-18 की आईटीआर समय पर फाइल की है।

**डीटीआईडीसी को आईटीआर रिटर्नों की समय पर फाईलिंग सुनिश्चित करने के लिए अपने वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करना चाहिए।**

### 2.2.3.2 रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 25.55 करोड़ का कम भुगतान

रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीटीआईडीसी को ₹ 175.75 करोड़, भारत सरकार (भा.स.) को अग्रवर्ती रूप से जारी करने के लिए पश्चिमी और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अपने हिस्से के संबंध में जारी किए (मार्च 2012)। हालाँकि, रा.रा.क्षे.दि.स. ने भा.स. को निधियों के निर्गम को रोका तथा बाद में डीटीआईडीसी को राशि को उस पर अर्जित ब्याज के साथ वापिस करने का निर्देश दिया (फरवरी 2016)।

इसी बीच डीटीआईडीसी ने इन निधियों को सावधि जमाओं में निवेश कर दिया तथा ₹ 75.55 करोड़ (मई 2016 तक) का ब्याज अर्जित किया। कंपनी ने ब्याज को अपनी आय के रूप में तथा कर प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसी राशि को व्यय (वित्त लागत) के रूप में दर्शाया।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 251.30 करोड़ (मूलधन ₹ 175.75 करोड़ + ब्याज ₹ 75.55 करोड़) की देय राशि के प्रति डीटीआईडीसी ने केवल ₹ 225.75 करोड़ वापिस किए (जून 2016) तथा ₹ 75.55 करोड़ की ब्याज आय पर आयकर देयता के प्रति ₹ 25.55 करोड़ की कटौती की। **इस प्रकार, डीटीआईडीसी ने तो खाते में लिखा और न ही ब्याज राशि पर आयकर का भुगतान किया, इसने रा.रा.क्षे.दि.स. को राशि पुनः भुगतान के दौरान ₹ 25.55 करोड़ को गलत तरीके से रोके रखा।**

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि उसने ₹ 75.55 करोड़ की प्राप्त ब्याज आय पर कर देयता उत्पन्न की तथा रा.रा.क्षे.दि.स. को राशि वापिस करते समय अपनी ₹ 25.55 करोड़ की कर देयता को वसूल किया। उसने आगे बताया कि इस खाते पर पीडब्ल्यूडी के प्रति कोई बकाया नहीं है। उत्तर गलत है चूंकि डीटीआईडीसी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अर्जित ब्याज आय पर आयकर अदा नहीं किया तथा वित्तीय वर्ष 2012-13/कर निर्धारण वर्ष 2013-14[75] के लिए आयकर विभाग ने भी आगे कोई माँग प्रस्तुत नहीं की।

**डीटीआईडीसी ने पश्चिमी और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे के लिए राशि की वापसी के समय गलती से ₹ 25.55 करोड़ को आयकर के लिए रख दिया जबकि इसे न तो कभी लेखों में डाला गया और न ही इस राशि का भुगतान कर प्राधिकारियों को किया गया।**

**डीटीआईडीसी को उचित लेखांकन तथा विलंबों के लिए जुर्मानों के भुगतान से बचने के लिए अपने बकायों का समय पर भुगतान करना चाहिए।**

### 2.2.3.3 रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 59.53 करोड़ के ब्याज का गैर-भुगतान

परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी के आधुनिकीकरण/ नवीकरण के लिए डीटीआईडीसी को ₹ 70 करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया (मार्च 2011 से मार्च 2013) जिसको तीन वर्षों के आरंभिक स्थगन के पश्चात दस वार्षिक किश्तों में वापस किया जाना था। यह पाया गया कि यद्यपि रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीटीआईडीसी को तुरंत ब्याज सहित ऋण को वापस करने का निर्देश दिया (जनवरी 2015) फिर भी डीटीआईडीसी ने केवल मूल राशि को ही वापस किया (मार्च 2017) तथा ₹ 39.67 करोड़ का ब्याज अभी भी रा.रा.क्षे.दि.स. को वापस देना था। इसके अतिरिक्त, समय पर ब्याज के गैर-भुगतान के कारण ₹ 5.51 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का भुगतान रा.रा.क्षे.दि.स. को देय है।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि मामले को वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. को ब्याज के साथ-साथ दंडात्मक ब्याज की छूट के लिए प्रेषित किया गया है। भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डीटीआईडीसी का ब्याज पर छूट लेने का अनुरोध रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा पहले ही इस आधार पर ठुकरा दिया (जून 2015) कि डीटीआईडीसी में राजस्व की कमी नहीं है।

इसके अतिरिक्त, ₹ 17.49 करोड़ की राशि का अन्य परिसम्पत्तियों तथा देयताओं सहित कार्यालय महाप्रबंधक, आईएसबीटी, से डीटीआईडीसी को अंतरण (अगस्त 2010) किया गया था। यह निधियां डीआईएमटीएस तथा डीओटी द्वारा कार्यान्वित की जा रही उच्च क्षमता बस सेवा (एचसीबीएस) परियोजना के लिए थी जिसमें

[75] जनवरी 2019 तक आईटीआर केवल 2013-14 करनिर्धारण वर्ष तक निर्धारित की गई है।

डीटीआईडीसी की इसके निष्पादन में कोई भूमिका नहीं थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि **डीटीआईडीसी के पास मई 2018 तक ₹ 17.49 करोड़ की निधियाँ व्यर्थ पड़ी रहीं, जब तक की ये रा.रा.क्षे.दि.स. को वापिस की गई थीं। हालाँकि, परियोजना के कार्यान्वयन में उपयोग हेतु इन निधियों पर अर्जित ब्याज को वापस करने के निर्देश के बावजूद इन निधियों पर अर्जित ₹ 14.35 करोड़[76] ब्याज को रा.रा.क्षे.दि.स. को वापिस नहीं किया गया।**

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि परिवहन विभाग के अधीन ₹ 17.49 करोड़ पर ब्याज भुगतान की जाँच जारी है और इसके लिए वह सक्षम प्राधिकारी से आगे की कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश प्राप्त करेगा।

इस प्रकार, डीटीआईडीसी ने रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 59.53 करोड़ का ब्याज (₹ 39.67 करोड़ + ₹ 5.51 करोड़ + ₹ 14.35 करोड़) वापिस नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 से 2017-18 की अवधि के लिए डीटीआईडीसी का लाभ उस राशि तक बढ़ गया था।

### 2.2.3.4 सावधि जमाओं के नवीनकरण में विलंब के कारण ₹ 46.36 लाख के ब्याज की हानि

विवेक के सामान्य सिद्धांतों में अपेक्षित है कि पूर्व योजना तथा तैयारी से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आवधिक जमाओं का उनकी परिपक्वता पर बिना किसी विलंब के ब्याज की हानि से बचने के लिए पुनःनिवेश किया गया है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने आवधिक जमाओं का उनकी परिपक्वता पर नवीकरण में 16 और 37 दिनों के बीच का विलंब पाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46.36 लाख की ब्याज हानि हुई। आधिक्य निधियों के निवेश में विलंब के विवरण **परिशिष्ट-2.9** में दिए गए हैं।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि सावधि जमा पर रिटर्न की बेहतर दर को जुटाने के लिए इसने पुनरीक्षण के अंतर्गत अवधि के दौरान अखबारों के जरिए पीएसयू बैंकों से ब्याज की दर आमंत्रित की थी परन्तु उत्तम ब्याज दर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में समय लगा। उसने यह भी बताया कि इस अवधि में शामिल 8 नवंबर 2016 से 31 दिसंबर 2017 के दौरान मुद्रा का विमुद्रीकरण भी शामिल है जो विलंब का एक कारक है। **हालाँकि, उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि डीटीआईडीसी को नवीकरण में विलंब तथा ब्याज की हानि न हो, को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से समयोचित ढंग में उद्धरण प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी चाहिए थी। लेखापरीक्षा द्वारा विमुद्रीकरणोतर अवधि से संबंधित किसी मामले को भी इंगित नहीं किया गया और इसलिए तर्क-वितर्क का विषय वैध नहीं है।**

---

[76] संबंधित वर्षों के दौरान एफडीआर पर उपलब्ध ब्याज की न्यूनतम दर पर परिकलित।

**डीटीआईडीसी ने अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण आयकर विभाग को ₹ 2.76 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया, सावधि जमाओं पर ₹ 0.46 करोड़ की हानि वहन की तथा रा.रा.क्षे.दि.स. को दिए जाने वाले दंडात्मक ब्याज के कारण ₹ 5.51 करोड़ की देयता को वहन किया।**

**डीटीआईडीसी को आवधिक जमाओं के गैर-नवीनीकरण के कारण ब्याज की हानि से बचने हेतु विवेकपूर्ण ढ़ग से निधियों को प्रबंधित करना चाहिए।**

## 2.2.4 प्रबंधन तथा निगरानी

### 2.2.4.1 मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबंधन एक समयावधि से एक संगठन की गतिविधियों के निष्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीटीआईडीसी ने मानव संसाधन (मा.स.) नियमावली अथवा अपने कार्मिक प्रबंधन, जैसे कि स्थापना मामले, भर्ती, प्रशिक्षण इत्यादि के लिए कोई मानव संसाधन (एचआर) मैनुअल अथवा संहिताबद्ध नियम तथा विनियम तैयार नहीं किए थे। इसने अधिक स्टाफ/कम स्टाफ/उपयुक्त संख्या से बचने के लिए श्रमशक्ति आवश्यकता का कोई आवधिक निर्धारण भी नहीं किया था।

इस क्षेत्र में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

**(i)** 31.03.2018 को डीटीआईडीसी की संस्वीकृत श्रमशक्ति की तुलना में वास्तविक श्रमशक्ति की स्थिति **तालिका-2.2.4** में दी गई है:

**तालिका-2.2.4: संस्वीकृत पद तथा तैनाती की स्थिति**

| स्टाफ का संवर्ग | संस्वीकृत पद | तैनाती की स्थिति | रिक्त पद | रिक्तता की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| **इंजीनियरिंग स्टाफ** | 27 | 12 | 15 | 56 |
| **गैर-इंजीनियरिंग** | 58 | 13 | 45 | 78 |
| **कुल** | **85** | **25** | **60** | **71** |

स्रोत: डीटीआईडीसी द्वारा प्रदत्त सूचना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 31 मार्च 2018 को मुख्य अभियंता तथा सहायक अभियंता (विद्युत) के सभी पद तथा कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पाँच पद रिक्त थे। 31 मार्च 2018 को महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, अध्यक्ष का ओएसडी, सहायक निदेशक (पी) तथा अधीक्षक के पदों सहित मुख्य पद भी रिक्त पड़े थे। इस प्रकार, डीटीआईडीसी के महत्वपूर्ण संचालनों तथा वित्त के प्रबंध तथा लेखांकन कार्यो के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं थी। इसका बदले में प्रभाव पड़ा है जिसे सांविधिक अनुपालनों का समयोचित ढंग से पालन न किया जाना, विलंब जो उन्नयन कार्य में हुए तथा नरेला एवं द्वार के आईएसबीटी हेतु भूमि के आवंटन के अनुपालन

में खराब प्रगति से देखा जा सकता है। अभिलेख प्रबंधन भी खराब था जिसका संकेत इस तथ्य से होता है कि डीटीआईडीसी ने कहा कि उन्होंने बैठकें तो की थीं परन्तु वे विभिन्न मुद्दों जैसे ऑफिस ब्लाक को खाली कराना इत्यादि पर बैठकों के कार्यवृत्तों की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं कर सके।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि इंजीनियरिंग तथा एक्सीक्यूटिव स्टाफ की रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए परिपत्र समय-समय पर जारी किए गए हैं। हालाँकि, सहायक निदेशक (पी) के पद को 1 अगस्त 2018 से प्रतिनियुक्ति पर भरा गया है। रिक्त पदों को भरने के लिए सेवा विभाग को अनुरोध भी किया गया है।

**(ii)** यह भी पाया गया कि डीटीआईडीसी मार्च 2018 को एक वर्ष से अधिक के लिए परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. में कार्य कर रहे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को वेतन अदा कर रहा था तथा 2017-18 के दौरान इन 24 कर्मचारियों को ₹ 1.43 करोड़ का वेतन अदा किया गया। चूंकि डीटीआईडीसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक अलग कानूनी इकाई है तथा वाणिज्यिक सिद्धांतों पर कार्य कर रही है इसलिए डीटीआईडीसी को अन्य संगठन के लिए वेतन का भुगतान नहीं करना चाहिए।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि ये कर्मचारी डीटीआईडीसी में प्रतिनियुक्ति भत्ते के बिना विदेशी सेवा पर कार्य कर रहे हैं तथा परिवहन विभाग इन कर्मचारियों का मूल विभाग है। हालाँकि, उत्तर इस तथ्य के बारे में मौन है कि डीटीआईडीसी, एक अलग कानूनी इकाई होने के बावजूद, इन कार्य-प्रभारित स्टाफ को वेतन अदा कर रहा है जो डीटीआईडीसी मे कार्य न करके परिवहन विभाग में कार्य कर रहे हैं।

(iii) डीटीआईडीसी को अगस्त 2010 में निगमित किया गया था फिर भी इसने अभी तक भर्ती नियमों (आरआर) को अंतिम रूप नहीं दिया है। आरआर के अभाव में, डीटीआईडीसी इंजीनियरिंग तथा गैर-इंजीनियरिंग संवर्गों में नियमित स्टाफ की नियुक्ति नहीं कर रहा है तथा प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रबंधन कर रहा था जिससे संगठन में सेवा की निरंतरता में कमी आई।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि इंजीनियरिंग स्टाफ के भर्ती नियमों का तैयार किया जाना प्रक्रिया में है तथा इसे निदेशक मंडल के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाएगा। हालाँकि, उत्तर आरआर को अंतिम रूप देने

**गैर-इंजीनियरिंग तथा इंजीनियरिंग स्टाफ में क्रमशः 78 *प्रतिशत* तथा 56 *प्रतिशत* की कमी थी। यद्यपि यह स्टाफ कम था फिर भी डीटीआईडीसी परिवहन विभाग में कार्य कर रहे कार्मिकों को वेतन का भुगतान कर रहा था।**

के लिए कोई समय सीमा के बारे में मौन है जबकि सात वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।

**इस प्रकार, डीटीआईडीसी का मानव संसाधन प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था तथा इंजीनियरिंग के साथ-साथ गैर-इंजीनियरिंग संवर्गों में रिक्त पदों का डीटीआईडीसी के संचालन निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता था।**

**डीटीआईडीसी को उपयुक्त संख्या के लिए अपने मानव संसाधन आवश्यकताओं की पुनः जाँच करनी चाहिए तथा रिक्त पदों को भरने हेतु समयबद्ध ढ़ंग से उचित कार्रवाई करनी चाहिए।**

### 2.2.4.2 निगमित शासन

कंपनी अधिनियम 2013 में अच्छे निगमित शासन के लिए प्रावधान शामिल हैं जो कंपनी की प्रणाली को सीधे ही निर्दिष्ट करता है तथा संचालनों को नियंत्रित करता है जिससे पारदर्शिता और समायिक वित्तीय रिपोर्टिंग को सुनिश्चित किया जा सके। लेखापरीक्षा ने डीटीआईडीसी के निगमित शासन के क्षेत्र में निम्नलिखित कमियां पाईं:

**(i) स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति:**

डीटीआईडीसी ने दो 'स्वतंत्र निदेशकों' की नियुक्ति नहीं की थी जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित है जबकि उनकी उपस्थिति लेखापरीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में अनिवार्य थी।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी अर्थात परिवहन विभाग के विचाराधीन है।

**(ii) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार डीटीआईडीसी को एक सीएसआर समिति का गठन करना था तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों पर पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम दो *प्रतिशत* का व्यय करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीटीआईडीसी को 2014-15 में ₹ 37.89 लाख, 2015-16 मे ₹ 49.39 लाख तथा 2016-17 में ₹ 58.90 लाख कुल मिलाकर 31 मार्च 2017 तक ₹ 146.18 लाख व्यय करना अपेक्षित था। हालाँकि, डीटीआईडीसी ने 2016-17 के दौरान केवल ₹ 13.53 लाख व्यय किया था जो सीएसआर गतिविधियों पर किए जाने वाले अपेक्षित व्यय ₹ 146.18 लाख का 9.25 *प्रतिशत* था।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि उसने सीएसआर पहल के प्रति निधियों के उपयोग के उद्देश्य हेतु एक एस्क्रो खाता खोला है तथा ₹ 70 लाख की

राशि का इस खाते में अंतरण किया गया है। निदेशक मंडल ने उपयोग के क्षेत्रों को स्वीकृत किया है जिसमें ऐसी राशि खर्च की जाएगी।

**(i) डीटीआईडीसी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर विचार करना चाहिए जैसाकि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित है।**

**(ii) सीएसआर गतिविधियों पर निधियाँ का व्यय किया जाना चाहिए जैसा कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित है।**

### 2.2.4.3 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

आंतरिक नियंत्रण यह उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु एक प्रबंधन उपकरण है कि प्रबंधन लक्ष्य कुशल, प्रभावी तथा सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त किए जा रहे हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि डीटीआईडीसी में आंतरिक नियंत्रण तंत्र निम्नलिखित कमियों के दृष्टिकोण से अपर्याप्त था:

(i) डीटीआईडीसी में कोई औपचारिक तथा प्रलेखित मानक संचालन कार्यविधि नियमपुस्तक (एसओपी) अथवा प्रक्रिया नियमपुस्तक नहीं थी जिनके अभाव में किसी भी गतिविधि[77] के लिए कोई मानक कार्यविधि नहीं थी जिनका कर्मचारियों तथा कंपनी द्वारा अनुपालन किया जाना था।

(ii) कंपनी में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की कोई अवधारणा नहीं थी। मासिक एमआईएस की तैयारी तथा समीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी भी कंपनी में उच्च प्रबंधन द्वारा आंतरिक नियंत्रण उद्देश्य के लिए अपेक्षित है।

(iii) डीटीआईडीसी के वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए लेखाओं को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 जिसमें प्रावधान है कि वित्तीय विवरणियाँ संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से छः माह के भीतर एजीएम में प्रस्तुत की जानी हैं, के उल्लंघन में अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अप्रैल 2016 से तथा उसके पश्चात लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के अभाव में कथित अवधि के दौरान निवेशों तथा निधियों के उपयोग सहित वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता तथा प्राप्तियों, व्ययों, परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लेखे-जोखे का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(iv) कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) का पालन नहीं किया था क्योंकि वह वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न अंतिम तिथियों के भीतर दायर करने में विफल रहा। इन वित्तीय वर्षों के

[77] एसओपी के अभाव में किसी गतिविधि के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं है जैसे जमा कार्यों/ बीक्यूएस के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देना, बकायों की वसूली तथा उन पर परिणामी कार्रवाई हेतु समयसीमा।

लिए रिटर्न 31 मार्च 2018 को दायर की गई थीं जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज/ जुर्माना प्रावधान को आकर्षित करता है।

(v) डीटीआईडीसी ने बस क्यू शैल्टरों से मासिक आधार पर प्राप्त हो रहे राजस्व के संबंध में अपने लेखाओं का समशोधन रियायतग्राहियों के साथ नहीं किया जैसा अपेक्षित था।

डीटीआईडीसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि निदेशक मंडल द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार आंतरिक नियंत्रण का अनुसरण किया जा रहा है। हालाँकि, आगे के सुधार तथा आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु सुझाव तथा प्रयास किए जा रहे हैं।

**आंतरिक नियंत्रण तंत्र को वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर सुदृढ़ करना चाहिए।**

### 2.2.5 निष्कर्ष

डीटीआईडीसी लगभग आठ वर्षों से रा.रा.क्षे.दि.स. में यात्रियों तथा पर्यटकों को बेहतर सुविधाओं वाली परिवहन अवसंरचना प्रदान करने तथा विकसित करने के अधिदेश से अस्तित्व में रही है। डीटीआईडीसी को विद्यमान के साथ-साथ नए आईएसबीटी तथा बीक्यूएस का प्रबंध तथा रखरखाव भी करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईएसबीटी के उन्नयन, पुनर्विकास की परियोजनाओं की समग्र रूप से गति धीमी है। कश्मीरी गेट आईएसबीटी के उन्नयन में आठ वर्षों से अधिक का विलंब हुआ है। आनंद विहार तथा सराय काले खाँ आईएसबीटी की भूमि पर पुनर्विकास कार्य डीटीआईडीसी द्वारा जून 2011 में अधिकार में लिया गया था, को अभी भी तक आरंभ नहीं किया गया था जबकि अनुमानित लागत बढ़कर ₹ 198 करोड़ हो गई थी।

दिल्ली के उत्तर तथा दक्षिण पश्चिम प्रवेश द्वारों पर आईएसबीटी की स्थापना करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के 20 वर्ष से अधिक बीत जाने के पश्चात भी द्वारका तथा नरेला में आईएसबीटी स्थापित नहीं किए जा सके जिससे इन रूटों पर चलने वाली अंतर्राज्जीय डीज़ल बसों के कारण वायु प्रदूषण स्तर में कमी का उद्देश्य विफल हो गया।

इसके अतिरिक्त द्वारका आईएसबीटी को भूमि का कब्जा लेने के 18 वर्षों के पश्चात भी विकसित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत ₹ 632.15 करोड़ तक बढ़ गई है। नरेला आईएसबीटी में डीडीए को ₹ 10.30 करोड़ का भुगतान जारी करने के पश्चात आईएसबीटी की स्थापना हेतु भूमि को 11 वर्षों के बीत जाने के बाद भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

**चूंकि किसी भी परियोजना ने अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई है जैसा कि तथ्य भी है कि इन परियोजनाओं को अन्य एजेंसी/पीडब्ल्यूडी को सौंपने का प्रस्ताव है। अब सरकार को यह समीक्षा करनी चाहिए कि क्या निगम को बने रहने की आवश्यकता है खासकर तब जब जिस उद्देश्य के साथ निगम की स्थापना की गई थी, वह पूरा नहीं हुआ है।**

डीटीआईडीसी में कमजोर वित्तीय प्रबंधन भी था। यह आईटीआर फाईल करने में विलंब/चूक तथा अग्रिम कर के भुगतान में विलंब/आस्थगन के कारण ₹ 2.76 करोड़ के ब्याज के भुगतान तथा सावधि जमाओं के नवीकरण में विलंब के कारण ₹ 46.36 लाख के ब्याज की हानि से प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त डीटीआईडीसी पाँच वर्षों से अधिक व्यतीत हो जाने पश्चात भी 1397 बीक्यूएस के निर्माण का समाधान करने में विफल रहा जिससे आम जनता शैल्टर से वंचित रही जो उन्हें उपल्बध हो सकता था। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत व्यय की जाने वाली अपेक्षित निधियों का 2014-15 से 2016-17 के दौरान सकल रूप से कम उपयोग किया गया था।

इस प्रकार, डीटीआईडीसी को अपने वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसे दिल्ली में बसों से यात्रा कर रहे यात्रियों, सवारियों तथा पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न आईएसबीटी के कार्य तथा बीक्यूएस के निर्माण को समय पर पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करने हेतु इन त्रुटियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनका सुव्यवस्थित तथा समयबद्ध ढंग से निपटान किया गया है।

### 2.2.6 सिफारिशें

**डीटीआईडीसी को चाहिए:**

- कश्मीरी गेट आईएसबीटी का उन्नयन कार्य जो आठ वर्षों से अधिक से चल रहा है, की समाप्ति सुनिश्चित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक अग्नि सुरक्षा विनियमों को पूरा किया गया है जिससे अग्नि विभाग से एनओसी प्राप्त किया जा सके।
- डीडीए के साथ नरेला आईएसबीटी (दिल्ली के उत्तरी प्रवेश द्वार पर) की स्थापना हेतु अतिक्रमण रहित भूमि का कब्जा लेने के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करना जो 20 वर्षों से अधिक से लंबित पड़ा है जब से उच्चतम न्यायालय ने इसकी स्थापना के निर्देश दिए हैं।
- राजस्व को अधिकतम रूप से बढ़ाए जाने के लिए, आई.एस.बी.टी. में दुकानों के आकार और स्थापना को ध्यान में रखते हुए, उनके आरक्षित मूल्यों को यथोचित रूप से सुनिश्चित किए जाने की उचित कार्यप्रणाली के उपाय करना।
- नए बीक्यूएस के निर्माण हेतु निधियों के वैकल्पिक तरीके पर विचार करना क्योंकि राजस्व अंशदायी मॉडल पर नए बीक्यूएस के निर्माण हेतु निविदाएं कुछ प्रयासों के बावजूद भी सफल नहीं हुई हैं।
- विद्यमान अनुरक्षण ठेकों की समाप्ति से पहले निविदाओं की निश्चयात्मकता सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान बीक्यूएस के अनुरक्षण हेतु निविदा प्रक्रिया समय पर आरंभ करना।
- अपनी मानव संसाधन आवश्यकताओं की पुनः जाँच तथा तत्पश्चात रिक्तियों को भरने हेतु समयबद्ध ढंग से उचित कार्रवाई करना।

## पर्यटन विभाग

## दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड

## 2.3 राजस्व की हानि

**डीटीटीडीसी के एनडीएमसी (भू स्वामी एजेंसी) की सहमति प्राप्त किए बिना कॉफी होम के संचालन के लिए एक फर्म के साथ समझौता करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹ 3.05 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।**

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (डीटीटीडीसी) ने आर.के.पुरम में कॉफी होम के संचालन एवं प्रबंधन के लिए 25 नवंबर 2006 को फर्म 'क' के साथ मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर 31 मार्च 2016 तक की 10 वर्षों की अवधि हेतु एक समझौता किया। डीटीटीडीसी ने भी मार्च 2016 तक की अवधि के लिए 5 अगस्त 2008 को नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के साथ जो भूमि का स्वामी था, एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के अनुसार, फर्म 'क' से प्राप्त लाइसेंस शुल्क 50:50 के आधार पर डीटीटीडीसी और एनडीएमसी के बीच साझा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फर्म 'क' ने डीटीटीडीसी को सूचित किया (सितंबर 2014) कि वे कॉफी होम को चलाने में असमर्थ हैं और मार्च 2015 में कॉफी होम का स्वामित्व उसे सौंप दिया। डीटीटीडीसी ने कॉफी होम के संचालन एवं रख-रखाव हेतु नई फर्म के चयन के लिए बोलियाँ आमंत्रित की (जनवरी 2015)। कॉफी होम का संचालन फर्म 'ख' को 10 वर्षों की अवधि हेतु ₹ 14 लाख प्रति माह की लाइसेंस शुल्क पर सौंपा गया।

फर्म 'ख' ने कॉफी होम के वाणिज्यिक संचालन को शुरू करने के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस जारी करने हेतु एनडीएमसी से संपर्क किया, हालाँकि एनडीएमसी द्वारा इसे जारी नहीं किया गया। फर्म 'ख' स्वास्थ्य लाइसेंस के अभाव में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं कर सकी।इसने डीटीटीडीसी, एनडीएमसी और रा.रा.क्षे.दि.स. के विरूद्ध उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की (मार्च 2016)। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मामले को डीटीटीडीसी और एनडीएमसी के बीच 5 अगस्त 2008 को किए गए एमओयू के खण्ड 9 का हवाला देते हुए विवादों पर निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. को संदर्भित किया (मार्च 2016)।एनडीएमसी ने मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. को सूचित किया (मई 2016) कि इसकी परिषद ने फर्म 'ख' के साथ इस शर्त के साथ समझौते को स्वीकृति देने का संकल्प लिया था (दिसंबर 2015) कि राजस्व एनडीएमसी और डीटीटीडीसी के बीच 50:50 के अनुपात में 31 मार्च 2016 तक साझा किया जाएगा, संपूर्ण राजस्व एनडीएमसी के पास जमा किया जाएगा तथा फर्म 'ख' 15 अप्रैल 2025 को परिसर को खाली कर देगी।

मुख्य सचिव ने आदेश दिया (जुलाई 2016) कि 31 मार्च 2016 के बाद कॉफी होम चलाने के लिए मामले को एनडीएमसी के पास इसकी सहमति एवं डीटीटीडीसी एवं एनडीएमसी के बीच नए एमओयू को हस्ताक्षरित करने के लिए भेजा जाना था क्योंकि नए उप-अनुबंध की अवधि पुराने एमओयू के निर्धारित दस वर्ष के आगे तक है। आगे यह निर्देश दिया कि एनडीएमसी और डीटीटीडीसी को राजस्व साझाकरण प्रणाली के समान पैटर्न अर्थात 50:50 को अपनाना चाहिए और एनडीएमसी फर्म 'ख' को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर कॉफी होम को चलाने के लिए अनुमति देने हेतु डीटीटीडीसी के साथ एक नए एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। डीटीटीडीसी ने एनडीएमसी को नया एमओयू अग्रेषित किया (अगस्त 2016)। परन्तु एमओयू पर नवंबर 2018 तक हस्ताक्षर नहीं किया गया।

फर्म 'ख' ने मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया। डीटीटीडीसी ने तब बैंक गारंटी का उपयोग किया तथा फर्म 'ख' से परिसर को खाली करवा लिया (अप्रैल 2018)।

सरकार ने कहा (नवंबर 2018) कि निगम ने एनडीएमसी की सहमति से पहले कॉफी होम के लिए नए ऑपरेटर की नियुक्ति/चयन हेतु बोली प्रक्रिया शुरू की है। हालाँकि, यह निगम के साथ-साथ एनडीएमसी के वाणिज्यिक हित की सुरक्षा के लिए किया गया। सरकार का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि डीटीटीडीसी और एनडीएमसी के बीच हस्ताक्षरित एमओयू डीटीटीडीसी को केवल फर्म 'क' के साथ मार्च 2016 तक समझौते में शामिल होने की अनुमति देता था। एमओयू की शर्तों में कोई भी संशोधन जिसमें कि फर्म के बदलाव और समयावधि के विस्तार भी शामिल हैं, के लिए एनडीएमसी की पूर्व सहमति आवश्यक थी। यदि डीटीटीडीसी ने एनडीएमसी की पूर्व सहमति प्राप्त कर ली होती तो कॉफी होम के संचालन में मुकदमेबाजी/लागत और विलंब के फलस्वरूप ₹ 3.05 करोड़[78] के लाइसेंस शुल्क की हानि से बचा जा सकता था।

[78] 16.10.2015 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क अभिलेखों के अनुसार कंपनी द्वारा परिकलित की गई - ₹ 4.13 करोड़ से कंपनी द्वारा उपयोग की गई ₹ 0.50 करोड़ की बैंक गारंटी और रिट याचिका के निपटान के पश्चात न्यायालय से प्राप्त ₹ 0.58 करोड़ को घटा कर।

## 2.4 संचालक को अनुचित लाभ

**डीटीटीडीसी को केंद्रीय सतर्कता आयोग दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्य सौंपे जाने के पश्चात निविदा शर्तों से विचलित होने के परिणामस्वरूप ₹ 0.68 करोड़ के रियायत शुल्क की हानि हुई और संचालक को अनुचित लाभ हुआ।**

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) दिशानिर्देश कहता है कि अनुबंध में प्रवेश करने के बाद, अनुबंध की शर्तों/निविदा शर्तों और विनिर्देशों में किसी भी छूट को गंभीर रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर भी, अपवाद के मामलों में, जहाँ परिवर्तनों/संशोधनों को सर्वथा आवश्यक माना जाए, वहाँ वित्तीय निहितार्थों को ध्यान में रखने के पश्चात ही अनुमति दी जानी चाहिए।

डीटीटीडीसी ने प्रतिवर्ष ₹ 1.76 करोड़ की वार्षिक आय पर, तीन प्रोपराइटरों (संचालक) के एक संघ को, दिल्ली हाट, जनकपुरी में बैंक्वेट सुविधा (सुविधा) के साथ फाइन डाइनिंग रेस्तरां का कार्य सौंपा (10 मार्च 2015)।

संचालक ने अपनी बोली प्रस्तुत करते हुए (फरवरी 2015) कहा था कि वार्षिक आय को सभी निबंधन व शर्तों को ध्यान में रखते हुए और स्थल के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन तथा बोली को प्रभावित कर सकने वाली सभी शर्तों के पश्चात ही उद्धृत किया गया था। हालाँकि, 14 मार्च 2015 को, संविदा सौंपे जाने के पश्चात संचालक ने कुछ अतिरिक्त सुविधाओं जैसे रसोई घर स्थापित करने के लिए लॉन के पास की रिक्त जगह, नाममात्र शुल्क पर कार्यालय के लिए पर्याप्त जगह, लॉन में अस्थाई ढाँचा लगाने हेतु अनुमति, कैफेटेरिया और फाइन डाईनिंग रेस्तरां को जोड़ने के लिए छोटा गेट और छः महीने का फिट-आउट समय देने का निवेदन किया, क्योंकि फाइन डाईनिंग रेस्तरां को संचालित करने के लिए 5-6 महीने की आवश्यकता थी।

डीटीटीडीसी ने संचालक के निवेदन की जाँच करने हेतु एक समिति का गठन किया (मार्च 2015) जो इस दृष्टिकोण से था कि रसोई घर अपने ग्राहकों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुत छोटा था तथा रसोई घर के लिए अतिरिक्त जगह भुगतान आधार पर देने की सिफ़ारिश की। आगे यह कहा कि डीटीडीडीसी इंजीनियरिंग विंग तथा अन्य सांविधिक निकायों से अनुमति प्राप्त करने के लिए फिट-आउट समय को 45 दिनों से 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। डीटीटीडीसी ने इन सिफ़ारिशों को मान लिया तथा उसे संचालक को प्रेषित किया गया (18 अप्रैल 2015)। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इसी सुविधा के लिए जून 2014 में आयोजित पूर्व निविदा की पूर्व-बोली बैठक में रसोई घर के लिए जगह की अपर्याप्तता, अतिरिक्त जगह और अन्य बोलीकर्ताओं द्वारा सुविधा के नवीकरण हेतु किराया-मुक्त फिट-आउट समय में 45 दिनों से चार महीने तक के विस्तार के मुद्दों को उठाया गया था, लेकिन डीटीटीडीसी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अतः यदि

तर्कसंगत माने गए थे तो डीटीटीडीसी को इन मुद्दों को पुनर्निविदाकरण के समय ध्यान में रखना चाहिए था।

संचालक को, डीटीटीडीसी के साथ, कार्य सौंपे जाने के 30 दिनों के भीतर अर्थात 10 अप्रैल 2015 को या उससे पहले समझौता करने हेतु स्पेशल परपज़ व्हीकल (एसपीवी) बनाना अपेक्षित था और वास्तविक कब्जा भी संचालक को समझौते पर हस्ताक्षर करने के दिन सौंपा जाना था। संचालक को साज-सज्जा एवं उपस्कर कार्य प्रभावी तिथि से 45 दिनों के भीतर(अर्थात 25 मई 2015 तक) पूर्ण करना था; कार्य की समाप्ति के पश्चात जिस तिथि पर डीटीटीडीसी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करती, वही वाणिज्यिक परिचालन की तारीख होती।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संचालक ने समय सीमा का पालन नहीं किया और दो महीने की विलंब के साथ 09 जून 2015 को ही एसपीवी का गठन किया। औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना संचालक को सुविधा का वास्तविक कब्जा 19 जून 2015 को दे दिया गया। डीटीटीडीसी ने 19 जून 2015 (सुविधा के वास्तविक कब्जे की तारीख) को प्रभावी तारीख मानते हुए किराया-मुक्त फिट-आउट समय को 14 अक्तूबर 2015 तक बढ़ा दिया और 11 दिसंबर 2015 को 10 साल तक सुविधा संचालित करने के लिए संचालक के साथ समझौते (15 अक्तूबर 2015 से प्रभावी) पर हस्ताक्षर किए।

इस प्रकार, डीटीटीडीसी, सीवीसी के दिशानिर्देशों को उल्लंघन करते हुए संचालक को कार्य सौंपे जाने के पश्चात निविदा शर्तों से विचलित हुआ और 142 दिनों (26 मई 2015 से गणना की गई) तक फिट-आउट समय को बढ़ाने की अनुमति दी, परिणामस्वरूप डीटीटीडीसी को हानि हुई और संचालक को ₹ 0.68[79] करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

सरकार ने कहा (नवंबर 2018) कि फिट-आउट समय बढ़ाया गया क्योंकि संचालक द्वारा सुझाए जा रहे परिवर्धन/परिवर्तन, सुविधा के सुचारू संचालन के लिए इसे वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु महत्वपूर्ण थे और संचालक को डीटीटीडीसी के इंजीनियरिंग विभाग एवं अन्य सांविधिक निकायों से अनुमति प्राप्त करनी थी। इसने आगे कहा कि फिट-आउट समय को बोली प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बढ़ा दिया गया था क्योंकि संचालक अपनी उद्धृत आमंत्रित बोली को जारी रखने के लिए दुविधा में था कि क्षेत्र में बैंक्वेट का संचालन और प्रबंधन अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक था तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी कि एसपीवी का गठन 09 जून 2015 को किया गया था, जो डीटीटीडीसी के नियंत्रण से बाहर था।

---

[79] ₹1.76 करोड़ * 142 दिनों/ 365 दिनों

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संचालक ने अपनी बोली प्रस्तुत करते हुए (फरवरी 2015) कहा था कि वार्षिक आय सभी निबंधन एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुए और स्थल के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद उद्धृत किया गया था। कार्य सौंपे जाने के पश्चात निबंधन एवं शर्तों का विचलन सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन था और परिणामस्वरूप अन्य बोलीकर्ताओं को समान अवसर भी नहीं दिया गया।

**नई दिल्ली** **(लैसराम अंगम चंद सिंह)**
**दिनांकः** **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली** **(राजीव महर्षि)**
**दिनांकः** **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**